गुरुवार
26 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८——गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ — २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

अंक ५९——शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४६ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

अंक ६०——सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेपाल नरेश का प्रधान मंत्री को निमंत्रण

†१७४५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल नरेश ने भारत के प्रधान मंत्री को नेपाल आने का निमंत्रण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). जी हां, ये निमंत्रण स्वीकार कर लिये गये हैं, लेकिन यात्रा की ठीक तारीख अभी नियत नहीं की गई है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा क्या राष्ट्रपति जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट (उपराष्ट्रपति) साहब को भी निमंत्रण दिया गया है ।

†**श्री सादत अली खां** : राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं, वाइस प्रेजिडेंट साहब ताजपोशी की जो दावत होगी उस में तशरीफ ले जायेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भारत सरकार उस समारोह में किस प्रकार से भाग लेगी और क्या उस समय नरेश को कुछ उपहार भी भेंट किये जायेंगे, और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री सादत अली खां** : जी हां, भारत की जनता की ओर से एक उपहार नेपाल नरेश के लिये ले जाया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा भारत से और भी कोई प्रतिनिधि जा रहे हैं, यदि हां, तो कौन-कौन से और वे किस तरह से चुने गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कुछ अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है ?—प्रश्न यही है न ?

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या कुछ अन्य व्यक्तियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : राज्याभिषेक के लिये भारतीय शिष्टमंडल में उपराष्ट्रपति, वैदेशिक कार्य उपमंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्रालय में महासचिव रहेंगे ।

गोआ

†*१७४६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस ने उन भारतीयों को, जिन्होंने सत्याग्रह करने के लिये दिसम्बर १९५५, जनवरी और फरवरी १९५६ में, गोआ में प्रवेश करने का प्रयास किया था, गिरफ्तार कर लिया था; और

(ख) क्या सशस्त्र पुलिस का घेरा अब भी भारतीयों को गोआ में प्रवेश करने से रोक रहा है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत-गोआ सीमा पर चोरी छिपे माल लाने ले जाने को रोकने के लिये जो पुलिस तैनात है, उसका उपयोग गोआ में भारतीयों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिये भी किया जाता है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : भारत गोआ सीमान्त पर डाले गये सशस्त्र पुलिस के घेरे में कितने व्यक्ति हैं और उन्हें कब से वहां नियुक्त किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: मुझे विश्वास है कि सदन मुझ से इस प्रश्न का उत्तर देने की आशा नहीं करेगा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या भारतीयों को सत्याग्रह करने के लिये गोआ में प्रवेश करने से रोकने के अतिरिक्त, पुलिस को कुछ और काम करने के लिये भी कहा जाता है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : सीमान्त पर पुलिस बल के जो साधारण कर्त्तव्य होते हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या यह सच है कि कुछ गोआ के निवासियों को, जो शरणार्थियों के रूप में भारत में प्रवेश करना चाहते थे, रोका गया है, और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह प्रश्न कुछ समय पूर्व पूछा गया था ।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : कुछ ही दिन पूर्व मैंने बताया था कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुणावगुण के आधार पर किया जाता है ।

दस्तकारी

†*१७४७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीपजिग मेले में प्रदर्शित की गई भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं ने विभिन्न विदेशों का ध्यान किस हद तक आकर्षित किया है; और

(ख) क्या पूर्व जर्मनी इन वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में आयात करने का विचार कर रहा है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) अन्य वस्तुओं के साथ, दस्तकारी की वस्तुओं ने भी विभिन्न देशों के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया था । पूर्व जर्मनी सरकार ने लदान के आधार पर दस्तकारी की समस्त वस्तुओं को जिन का मूल्य १·८२ लाख रुपये है, ले लिया है; अन्य देशों ने कितनी रुचि ली है यह मालूम नहीं है ।

(ख) पूर्व जर्मनी द्वारा और भी माल के आयात किये जाने की सम्भावनायें हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : इस लीपजिग मेले के बाद भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० सी० रेड्डी** : किन वर्षों के निर्यात की तुलना में ?

†**श्री कासलीवाल** : गत वर्ष की, लीपजिग मेले से पहले के वर्ष की तुलना में ।

†**श्री के० सी० रेड्डी** : हम ने दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात के पृथक् आंकड़े नहीं रखे हैं; उन्हें सामान्य निर्यात को मद में सम्मिलित किया जाता है, किन्तु अब हम दस्तकारी की वस्तुओं को पृथक् कर रहे हैं । ऐसा पृथक्करण हो जाने के बाद हम यह बता सकेंगे कि केवल दस्तकारी की वस्तुओं के सम्बन्ध में ही वर्ष प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि लीपजिग मेले के संचालक श्री मीनहार्ट भारत आये थे ? यदि हां, तो क्या उन्होंने भारत के सब भागों का दौरा किया था और भारत की दस्तकारियों का निरीक्षण किया था, और क्या उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि इन वस्तुओं का अधिक आयात किया जायेगा ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : माननीय सदस्य इस प्रश्न के लिये अलग सूचना दें ।

†**श्री ए० एम० थामस** : सरकार द्वारा अब तक इस मेले पर कुल कितना धन लगाया गया है ? दस्तकारी सम्बन्धी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदर्शित माल का मूल्य १,२५,००० रुपये था । क्या यह माल पूर्व जर्मनी सरकार को लाभ पर बेचा गया था अथवा इस अन्तर का निश्चित कारण क्या है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : माननीय सदस्य लेखे के ब्योरे का प्रश्न उठा रहे हैं । मेरे पास यहां आंकड़े हैं, दस्तकारी बोर्ड द्वारा इस प्रदर्शनी में भाग लेने पर जो खर्च किया गया है, उस के पृथक्-पृथक् आंकड़े मेरे पास हैं । कुछ व्यय भारत में किया गया है; और कुछ व्यय विभन्न मदों पर पूर्व जर्मनी में किया गया है जब तक कि हम सब मदों को न देखें, यह संभव नहीं होगा कि.....

†**श्री ए० एम० थामस** : कुल राशि कितनी है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : सरकार द्वारा विनियोजित कुल राशि के १·२५ लाख रुपये से अधिक होने की आशा नहीं है । मेरे पास यही आंकड़े हैं । ५५,००० रुपये का वह माल, जो कि किसी अन्य प्रदर्शनी के लिये वहां भेजा गया था, इस प्रदर्शनी में भी भेजा गया था । अतः आप को १,२५,००० रुपये में ५५,००० रुपये की यह राशि भी जोड़नी है ?

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इन दो शिकायतों की ओर आकर्षित हुआ है कि प्रथम इन वस्तुओं के प्रतिमान को बनाये नहीं रखा जाता है और दूसरे, यदि अधिक मात्रा में माल के लिये आर्डर दिया जाये, तो पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध नहीं होता है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : इस माल को वस्तुओं के गुण प्रकार को सुधारने के लिये निरन्तर कार्यवाही की जा रही है और मेरे विचार से हम वर्ष प्रति वर्ष इन के गुण प्रकार में सुधार कर रहे हैं । जहां तक अधिक माल के आर्डर का सम्बन्ध है, जहां तक दस्तकारी की वस्तुओं का सम्बन्ध है उसके अधिक मात्रा में मंगवाये जाने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि यह माल ही ऐसा है, कि इसकी अधिक मांग नहीं हो सकती है ।

नगरीय गृह निर्माण

†*१७४८. **श्री गाडिंगिलन गौड़** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये संघ सरकार ने आन्ध्र सरकार को क्या वित्तीय सहायता देने को कहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : अभी तक किसी भी राज्य सरकार को गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कोई विशिष्ट सहायता नहीं दी गई है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों को हटाने के प्रयोजन के लिये राज्यों को सहायता देने के लिये सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये एक औपचारिक योजना बनाई गई है, जो कि शीघ्र ही राज्य सरकारों को भेज दी जायेगी । उन से उस योजना के अनुसार विस्तृत परियोजनायें तैयार करने और इस मंत्रालय को तुरन्त ही अपनी निश्चित आवश्यकताओं से सूचित करने की प्रार्थना की जायेगी ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या आन्ध्र राज्य ने इस मामले विशेष के सम्बन्ध में कोई सहायता मांगी है, और यदि हां, तो क्या वह प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : २८ मार्च, १९५६ के एक पत्र में, आन्ध्र सरकार ने लिखा है कि उसने गन्दी बस्तियां हटाने के लिये स्थानीय निकायों को सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में १२ लाख रुपये की व्यवस्था की है और यह प्रार्थना की है कि भारत सरकार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक ऋण और अनुसहाय्य की मंजूरी दे ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड:** क्या गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये सहायता के रूप में दी जाने वाली इस राशि के सम्बन्ध में आन्ध्र राज्य में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : इसका निर्णय करना आन्ध्र राज्य का काम है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : गन्दी बस्तियों के हटाने के लिये राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या थी ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : राज्य सरकारों से शीघ्र अपनी निश्चित आवश्यकतायें बताने के लिये कहा जायेगा ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह सच नहीं है कि लगभग एक वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से योजनायें मांगी थी और बहुत सी राज्य सरकारों ने विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता दिये जाने की प्रार्थना की थी, और यदि हां, राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई उन योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : पहली पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र विशेष में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि स्थानीय निकायों ने केवल केन्द्रीय ऋणों से गन्दी बस्तियों को हटाने का काम शुरू करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी; उनका कहना था कि चूंकि गन्दी बस्तियों को हटाने का यह काम स्पष्टतया एक घाटे का सौदा था, इसलिये केंद्र द्वारा पर्याप्त अनुसहाय्य दिया जाना अत्यन्त आवश्यक था। किन्तु अन्य विकास योजनाओं की तुलनात्मक आवश्यकताओं और संसाधनों के सीमित होने के कारण भारत सरकार पहली पंचवर्षीय योजना में कोई धन उपलब्ध नहीं करा सकी थी ।

आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्च आयोग

†***१७५२. मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में, आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्च आयोग के कार्यालय और निवास की इमारतों के लिये कुल कितना किराया दिया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५०–५१ में किराये की तत्स्थानी राशि क्या थी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) ६२,८६१ रुपये ।

(ख) ३३,८९० रुपये ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या अब आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्च आयोग का कार्यालय और निवास की इमारतें हमारे देश की मान और प्रतिष्ठा के अनुसार हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : निस्संदेह ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या सरकार आस्ट्रेलिया में हमारे उच्चायोग के लिये स्थायी स्थान ढूंढने का प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री सादत अली खां** : जी, हां । वहां एक चांसलरी मारत, उच्चायुक्त के रहने का मकान और अन्य मकान बनाने का विचार है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : कितनी लागत पर ?

†**श्री सादत अली खां** : लागत मैं इस समय वैसे ही नहीं बता सकता ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मकान से प्रतिष्ठा होती है या गुणों से होती है ?

श्री सादत अली खां : यह तो अपनी-अपनी राय है ।

मंत्रियों के भाषण

†*१७५३. **श्री गिडवानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संघ सरकार के किन्हीं भी मंत्रियों के भाषणों का संग्रह प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से मंत्रियों के; और

(ग) क्या इस काम में कोई हानि हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) जी, हां । कुछ ऐसी पुस्तकें जिनमें मंत्रियों के भाषण हैं, प्रकाशित की गई थी; केवल इस लिये नहीं कि वे बहुत अच्छे भाषण हैं बल्कि इस लिये क्योंकि वे भारत सरकार की कार्यवाहियों और नीतियों के बारे में हैं और उनमें इन के बारे में प्रमाणीकृत जानकारी देते हैं ।

(ख) पिछले तीन चार वर्षों में, प्रधान मंत्री, स्वर्गीय सरदार पटेल और शिक्षा मंत्री. मौलाना आज़ाद के भाषणों के संग्रहों को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया है ।

(ग) कुछ प्रकाशन तो बिक कर समाप्त हो चुके हैं और दूसरे संस्करण की मांग है । अन्य प्रकाशनों की बिक्री की प्रगति से पता चलता है कि वे भी शीघ्र बिक जायेंगे । जो प्रकाशन बिक गये हैं, सरकार को उन से लाभ हुआ है और अन्य प्रकाशनों की बिक्री से भी लाभ होने की आशा है ।

†**श्री गिडवानी** : कुल कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई हैं, और प्रत्येक मंत्री के लिये कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**डा० केसकर** : यदि आप अनुमति दें, तो मैं इस लम्बी सूची से पढ़ कर सुना दूं । किन्तु सब से अधिक प्रतियां—लगभग १५,०००—प्रधान मंत्री के भाषणों की छापी गई हैं । अन्य मंत्रियों के सम्बन्ध में प्रकाशित की प्रतियों की संख्या प्रत्येक मंत्री के लिये लगभग ५,००० हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : मंत्री महोदय ने कहा था कि कुछ मंत्रियों के भाषण पुस्तक के रूप में प्रकाशित किये गये हैं। समाचारपत्रों में जो इतना साहित्य प्रति दिन छपता है, उसमें से इन भाषणों का चुनाव कौन करता है ? क्या मंत्री या उसका मंत्रालय या मंत्रिमंडल की कोई समिति या उपसमिति इनका चुनाव करती है ? यदि ऐसा नहीं, तो कौन सा अभिकरण इस बात का ध्यान रखता है कि नीरस, उकता देने वाले और पुनरुक्ति-पूर्ण भाषणों को पुस्तक के रूप में न प्रकाशित किया जाय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य ने इन में से कोई भाषण पढ़े हैं।

†**श्री कामत** : जी, हां।

†**डा० केसकर** : जहां तक 'नीरस' और 'उकता देने वाले' जैसे शब्दों का सम्बन्ध है यह तो अपनी-अपनी राय का प्रश्न है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य उन भाषणों को पसन्द नहीं कर सकते .....

†**श्री कामत** : नहीं, नहीं।

†**डा० केसकर** : जहां तक भाषणों को चुनने का सम्बन्ध है यह कार्य सूझ-बूझ से किया जाता है .....

†**श्री कामत** : सूझ बूझ से ?

†**डा० केसकर** : यदि माननीय सदस्य अन्तर्बाधा न डालें, तो मैं समझा सकता हूं।

†**श्री कामत** : मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं।

†**डा० केसकर** : जहां भी ऐसा करना संभव होता है महत्वपूर्ण भाषणों का बड़ी संख्या में चुनाव किया जाता है, और प्रधान मंत्री अथवा शिक्षा मंत्री के भाषण उन भाषणों का चुनाव करने के लिये जो सब से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, उन्हीं को भेज दिये जाते हैं। ऐसे मामलों में जिनमें कि भाषण सम्बन्धित मंत्री को प्रस्तुत नहीं किये जा सकते जैसा कि स्वर्गीय सरदार पटेल के मामले में है, अन्य मंत्री और स्वयं प्रधान मंत्री भी उन्हें देखते हैं और यह निर्णय करते हैं कि कौन से भाषण चुने जाने चाहिये।

†**श्री वेलायुधन** : क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में हमारे प्रतिनिधियों के कार्यों और भाषणों के सम्बन्ध में भी कोई पुस्तक प्रकाशित की गई है ?

†**डा० केसकर** : भाषण प्रकाशित नहीं किये गये हैं। परन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ की गतिविधियों के बारे में पुस्तिकायें प्रकाशित की जाती हैं, किन्तु इस मंत्रालय द्वारा नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : हमारी सरकार के मिनिस्टर विदाउट पोर्ट फोलियो (विना विभाग मंत्री) ने विदेशों में हमारी नीति को बहुत सफलतापूर्वक प्रतिपादित किया है। इस चीज को देखते हुये, क्या यह सच है कि सरकार उनकी स्पीचेज (भाषणों) को छाप रही है। यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

गंधक के तेजाब के मूल्य

*१७५४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तैयार किये गये गंधक के तेजाब का मूल्य विदेशों में तैयार किये गये तेजाब के मूल्य से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो दोनों के मूल्यों में प्रति पौंड कितना अन्तर है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि भारत में बने गंधक के तेजाब का मूल्य इतना अधिक क्यों है;

(घ) यदि हां, तो जांच के परिणाम स्वरूप क्या सुझाव प्राप्त हुये हैं;

(ङ) क्या इन सुझावों को कार्यान्वित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो किस हद तक ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). भारत में गंधक के तेजाब का विक्रय मूल्य ब्रिटेन की अपेक्षा लगभग ३० रुपये प्रति टन अधिक है ।

(ग) से (च). विकास परिषद् (तेजाब और उर्वरक) ने इस प्रश्न पर ग़ौर किया और यह सिफारिश की है कि गंधक के तेजाब का उत्पादन किफायत के साथ करने के लिये केवल बड़े आकार के संयंत्र ही स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिये । नये कारखाने स्थापित करने के लाइसैंस देते समय इसे ध्यान में रखा जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : अभी जो कारखाने हैं, उनमें से सबसे ज्यादा उत्पादन एक कारखाने में कितना होता है ?

श्री कानूनगो : सारा उत्पादन १,७०,००० टन होता है ।

श्री के० सी० सोधिया: सब से बड़े कारखाने में कितना उत्पादन होता है, यह मेरा सवाल था ।

श्री कानूनगो : यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री के० सी० सोधिया : कितनी क्षमता के कारखाने खोलने की संस्था ने अनुमति दी है ?

श्री कानूनगो : जब ज्यादा उत्पादन होगा तभी कीमत कम होगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बाहर के मुल्कों से कितना सलफ्यूरिक एसिड (गंधक का तेजाब) इंडिया (भारत) में इम्पोर्ट (आयात) किया गया था ?

श्री कानूनगो : इसके लिये नोटिस चाहिये ।

†**श्री सारंगधर दास** : परिषद् ने जिस संयन्त्र की सिफारिश की है उसका आकार क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन से कच्चे माल का उपयोग करना पड़ता है । आकार प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल के अनुसार विभिन्न होगा ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में प्रशिक्षण केन्द्र

†*१७५५. **श्री राधा रमण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी ऐसी योजना को अन्तिम रूप दिया है, जिसके अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों और नगरों में अम्बर चर्खा के आधार पर प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां स्थापित किये जायेंगे और कुल कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार ने इस योजना पर कितना रुपया लगाने का विचार किया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). जैसा कि २८ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के उत्तर में बताया गया था, यह मामला विचाराधीन है ।

†**श्री राधा रमण** : इस योजना को अन्तिम रूप देने में सरकार को कितना समय लगेगा ? इन केन्द्रों में अम्बर चर्खे के प्रयोग के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : प्रश्न के दूसरे भाग को सम्बन्धित मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जा सकता है । किन्तु जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि पुनर्वास मंत्रालय में हम इस बात के लिये बहुत उत्सुक हैं कि शरणार्थी बस्तियों में अम्बर चर्खा जारी किया जाये, ताकि वहां विस्थापित व्यक्तियों को काम दिया जा सके ।

†**श्री भगवत झा आजाद** : क्या यह अनुमान लगाया गया है कि यदि इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया तो इन से संभवत: कितने लोगों को काम मिल सकेगा ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : इसी मामले की जांच करने के लिये तो हम ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से कहा है ।

मलाया का संविधान

†*१७५६. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के इस आमन्त्रण को स्वीकार किया है कि वह मलाया के स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग के लिये अपना एक सदस्य नाम निर्देशित करे; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने उस आयोग के लिये किस व्यक्ति को अपना सदस्य नाम निर्देशित किया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक प्रतिनिधि को चुने जाने का मामला विचाराधीन है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस आयोग के दूसरे सदस्य कौन हैं, तथा यह आयोग कब से काम शुरू करेगा ?

†**श्री सादत अली खां** : आशा है कि आयोग मई के अखिर तक काम करना शुरू करेगा । आयोग का एक अध्यक्ष होगा जो कि ब्रिटेन का होगा । आयोग के दूसरे सदस्य कनाडा, आस्ट्रेलिया, भारत तथा पाकिस्तान से होंगे ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : मलाया के भारतीयों ने मांग की थी कि उनके लिये मलाया के भविष्य के संवैधानिक ढांचे में स्थान रक्षित रखे जाएं । क्या संविधान बनाते समय प्रश्न के इस पहलू पर भी ध्यान दिया जायेगा ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : मेरे विचार में यह कहना समय से पूर्व की बात है ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या संविधान तैयार करने के लिये कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ।

†**श्री सादत अली खां** : इस में दो वर्ष लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : समिति के लिये अपना प्रतिनिधि चुनने के सम्बन्ध में अन्तिम फैसला करने से पूर्व क्या सरकार डा० अम्बेडकर तथा भारतीय संविधान बनाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों पर भी ध्यान देगी ?

†**श्री सादत अली खां** : जिन सज्जनों के नाम विचार-योग्य हैं, उन पर विचार किया जायेगा ।

छोटे पैमाने के उद्योगों की सेवा संस्थायें

†*१७५७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत के विभिन्न स्थानों में कई लघु उद्योग सेवा संस्थायें स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इन में से प्रत्येक संस्था पर कितना प्राक्कलित व्यय होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां । (ख) चालू वर्ष में राज कोट, लुधियाना, पटना, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में यह संस्थायें स्थापित किये जाने की प्रस्थापना है । इनके ब्रांच यूनिट इलाहाबाद, शिलांग, कटक, इन्दौर तथा बंगलौर में होंगे । यह भी सम्भव है कि एक या दो और यूनिट खोले जायें । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक संस्था स्थापित किये जाने का विचार है ।

(ग) प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

श्री राम कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि इन इन्स्टीट्यूट्स (संस्थाओं) में किन-किन इंडस्ट्रीज (उद्योगों) की ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) दी जायेगी ?

श्री कानूनगो : इन में ट्रेनिंग का सवाल नहीं है । ये तो सरविस इस्टीट्यूट्स (सेवा संस्थायें) हैं । जिस इलाके में ये होंगे उस इलाके की उन्नति करने की कोशिश की जायेगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि इन सब संस्थाओं के लिये कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और क्या इन लोगों के प्रशिक्षण का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : इस पहलू पर ध्यान दिया गया है । यह हिसाब लगाया गया है कि सेवा प्रशिक्षण के अतिरिक्त और कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा पर्याप्त लोग मिल सकेंगे ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या किसी शाखा संस्था ने कार्य करना प्रारम्भ किया है और प्रत्यक संस्था में टेक्नीकल अधिकारियों की औसत संख्या क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : कुछ शाखाओं ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । ब्रांच शाखाओं में सामान्यत: एक सहायक संचालक और कुछ टेकनीकल अधिकारी तथा बाहर काम करने वाले कार्यकर्त्ता होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : इन शाखा संस्थाओं को विभिन्न स्थानों पर किस आधार पर स्थापित किया जाता है—इसलिये कि वहां पर छोटे उद्योग हैं अथवा किसी और आधार पर ?

†**श्री कानूनगो** : सामान्यतः इन्हें इस आधार पर स्थापित किया जाता है कि छोटे उद्योगों की उस स्थान पर आसानी से पहुंच हो सके ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या मंत्रालय के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि इन में से प्रत्येक संस्था को आवंटित क्षेत्र कुछ ज्यादा बड़ा है और इसलिये वह भली भांति मार्ग-प्रदर्शन नहीं कर सकती; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : वास्तविक चीज यह है कि मुख्य संस्थाओं के अन्तर्गत बड़े क्षेत्र हैं और इसी-लिये शाखा संस्थायें संगठित की जा रही हैं, और हमें आशा है कि प्रत्येक राज्य में एक शाखा संस्था होगी ।

उड़ीसा में आर्थिक विकास की योजनायें

†*१७५८. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या भारत सरकार द्वारा उड़ीसा में पंचवर्षीय योजना के बाहर भी आर्थिक विकास की कोई स्कीमें प्रारम्भ की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) क्या राज्य सरकार से भी इनमें कुछ अंशदान देने को कहा गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) से (ग). माननीय सदस्य का आशय शायद उड़ीसा में केन्द्र द्वारा चलायी गयी स्कीमों की कार्यान्विति से है । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ की गयी इन स्कीमों को दर्शाते हुये और इन में उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया अंशदान प्रदर्शित करते हुये एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २८]** मैं यह बतलाना चाहूंगा कि यद्यपि ये स्कीमें राज्य योजना में सम्मिलित नहीं हैं, तथापि वे राष्ट्रीय योजना का अंग है ।

†**श्री संगण्णा** : विवरण में जो राशियां दिखाई गयी हैं क्या उनमें वे राशियां भी सम्मिलित हैं जो उड़ीसा सरकार को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में दी गयी थीं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : जी, हां । उड़ीसा सरकार को योजना के अन्तर्गत स्कीमों के कार्य-करण के लिये जो राशियां दी गयी थीं वे इसमें सम्मिलित हैं ।

†**श्री संगण्णा** : क्या विवरण में दिखाई गयी सभी स्कीमें प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पूरी की जा चूकी हैं, और यदि नहीं, तो इनमें से कौन-कौन सी स्कीमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री संगण्णा** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये स्कीमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्यों शामिल की गई हैं और इनमें से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पूरी नहीं हो सकीं क्या उन्हें द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के भाग के रूप में उसमें सम्मिलित कर लिया गया है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि वे राष्ट्रीय योजना का अंग हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा घटनायें (पश्चिमी पाकिस्तान)

*१७५९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि करांची में सीटो-सम्मेलन होने के बाद पाकिस्तानियों ने कितनी बार पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमाओं का उल्लंघन किया और उन पर आक्रमण किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खाँ) : छः बार ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें कितने आदमी घायल हुये और कितने आदमियों की हत्या हुई ।

श्री सादत अली खां : १७ और १९ मार्च को फीरोजपुर जिले में, फीरोजपुर हैडवर्क्स के पास जो हादसा हुआ, उसमें हमारी सेना के चार आदमी मारे गये और २१ आदमी जख्मी हुये ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि इसी काल में कितनी बार वायु सीमा का अतिक्रमण किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं जमीन की बात कर रहा हूं, हवा की नहीं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : सरकार ने सीमा घटनाओं के पुनरावर्तन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ।

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : इस मामले का अनेक बार सभा में जिक्र किया गया है । और अभी कुछ ही दिन हुये प्रधान मंत्री ने कहा था कि सीमा की लम्बाई इतनी अधिक है कि इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावर्तन पूर्णतया रोकना असम्भव है किन्तु ऐसी घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सही है कि कराची सम्मेलन के तुरन्त पहले रन आफ कच्छ में जो पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ था उसमें अमरीकन आर्म्स (शस्त्र) इस्तैमाल किये गये थे, और क्या उसी से उत्साहित होकर उन्होंने बार बार उसके बाद हमला करना प्रारम्भ कर दिया ?

श्री सादत अली खाँ : इस सभा में पहले बतलाया जा चुका है कि अमरीकन आर्म्स तो पाये नहीं गये । जो हथियार हमने उनसे पकड़े हैं उनमें कोई हथियार अमरीका का बना हुआ नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में बाउंडरी (सीमा) को सैटिल (तय) करने के लिये, जिस से कि ऐसे हमले न हो सकें, कोई कमीशन बैठा है, और क्या पाकिस्तान और हिन्दुस्तान ने मिलकर कोई काम किया है, यदि हां तो इसमें अब तक क्या तरक्की हुई है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : दोनों देशों के महासर्वेक्षकों की बैठक हाल में हुयी थी तथा वे लोग ब्यौरा तैयार करा रहे हैं ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : इस योजना का कितना हिस्सा तैयार किया गया है ।

†**श्रीमती खोंगमेन** : क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तानियों द्वारा इसी प्रकार के हिंसक हमले पूर्वी सीमा पर भी किये गये थे; और यदि हां, तो ऐसे कितने हमले किये गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पश्चिमी पाकिस्तान से सम्बन्धित है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस बात की दृष्टि में कि पंत-मिर्जा समझौते के अनुसार उन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों से कुछ शस्त्र ले लिये गये हैं, क्या सरकार इन शस्त्रों को वापस करने पर विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खाँ :** मुझे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि नागरिकों से कोई शस्त्र ले लिये गये हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सभा सचिव जांच करा के एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

†**श्री सादत अली खाँ :** मैं जांच कराऊंगा ।

सोवियत रूस के साथ करार

†*१७६०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में सोवियत रूस तथा भारत के मध्य हुये व्यापारिक करार के अन्तर्गत सोवियत रूस भारतीय कुटीर उद्योगों का अनुमानतः कितने मूल्य का सामान खरीदेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** माननीय सदस्य का आशय कदाचित दिसम्बर, १९५५ में जारी की गई संयुक्त भारत सोवियत विज्ञप्ति से है जिस में, अन्य बातों के साथ, यह भी कहा गया है कि सोवियत रूस भारत से खरीदे जाने वाले माल में काफी वृद्धि करेगा । विज्ञप्ति में उन वस्तुओं का जिक्र नहीं हैं जो कि सोवियत रूस भारत से खरीदेगा और न उनके मूल्यों का जिक्र है । किंतु हमारा विश्वास है कि भारत में सोवियत रूस के व्यापार प्रतिनिधि का इरादा दस्तकारी के माल को भी काफी मात्रा में खरीदने का है ।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या सूची में नारियल की जटाओं की चटाइयां भी सम्मिलित हैं ?

†**श्री करमरकर :** हम हर प्रकार की चीज निर्यात करना चाहेंगे—नारियल की जटाओं की चटाइयां भी ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या इस सूची में गोटे का सामान भी शामिल है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** मैं समझता हूं यह सम्मिलित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों में निर्मित वस्तुओं का ब्यौरा जानना चाहते हैं तो एक सूची सभा पटल पर क्यों नहीं रख दी जाती ?

†**श्री करमरकर :** सूची इस बात पर निर्भर है कि वे हम से क्या खरीदना चाहते हैं ।

†**श्री सी० आर० चौधरी :** क्या ऐसी वस्तुओं की कोई सूची तयार की गयी है जो हमारे देश में अतिरेक से हैं और जो उन्हें विचारार्थ दिखाई जा सकें जिससे कि वे बतला सकें कि उनमें से कौन-कौन सी चीजें वे खरीदने के लिये तैयार होंगे ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** माननीय मित्र ने जो सुझाव दिया वास्तव में उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं और मैं अपने माननीय मित्र को यह भी बतला दूं कि कल मैंने जो खरीद का कार्यक्रम देखा था उससे पता चलता है कि हमने जितने का माल उनसे खरीदा था उसी के बराबर उनकी खरीद का कार्यक्रम हो चुका है । यह मामला परस्पर करार के आधार पर चलता है । दोनों देशों की आवश्यकताओं के लिये, हमारे लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि अमुक-अमुक वस्तु ली जायगी ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*१७६३. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों द्वारा अपने उद्योग विभागों में छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में जो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं उन पर होने वाले व्यय के आंशिक भुगतान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि राज्य सरकारों ने हमारे पास अभी इस चीज का कोई विवरण नहीं भेजा है कि १९५५–५६ में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियक्ति पर उन्होंने कितना व्यय किया । विवरण प्राप्त होने पर, ५० प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार देगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जो स्कीम बनायी है उसमें भाग लेने के लिये कौन-कौन से राज्य अब तक सहमत हो गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : सब राज्य सहमत हो गये हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या भारत सरकार को विदित है कि किन-किन राज्यों ने अब तक जिलाधीश को उस जिले का विकास अधिकारी नियुक्त किया है ?

†**श्री कानूनगो** : राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हमें मालम नहीं है । किन्तु इस कार्य के लिये जो विशेष पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे उनके विषय में हमें तभी मालूम होगा जब कि राज्य सरकारों से हमें विवरण मिलेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस स्कीम के कार्यापन के लिये भारत सरकार को कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

†**श्री कानूनगो** : हमने इस स्कीम के सम्बन्ध में रखे जाने वाले नये कर्मचारियों पर होने वाले ५० प्रतिशत व्यय को देने को कहा है । विभिन्न राज्यों में यह व्यय भिन्न-भिन्न होगा ।

भारतीय हरी चाय

†*१७६५. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय हरी चाय का बाजार अफगानिस्तान में मंदा पड़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण ; और

(ग) इसके पुनः लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अफगानिस्तान को निर्यात की जाने वाली हरी चाय में कुछ कमी हुई है ।

(ख) गत चार वर्षों में चाय के उत्पादन में भी कमी हुयी है ।

(ग) सरकार इस मामले पर गौर कर रही है ।

†**श्री हेम राज** : क्या जापानी हरी चाय स्वाद और किस्म में भारतीय हरी चाय से अच्छी है और यदि हां, तो सरकार हमारी चाय की किस्म सुधारने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री करमरकर** : जहां पर यह चाय हमारे यहां से निर्यात की जाती है वहां से हमने इसके बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी है । जहां तक जापानी चाय का प्रश्न है, यह स्वाद में इतनी अच्छी नहीं है, और वहां के विश्वविद्यालयों में इसका तीखापन दूर करने का प्रयत्न हो रहा है ।

†**श्री हेम राज** : क्या यह सच नहीं है कि अफगानिस्तान से अमृतसर आने वाले व्यापारियों का कहना है कि जापानी चाय भारतीय चाय से अच्छी है । क्या सरकार हमारी चाय को सुधारने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे माननीय मित्र यह आसानी से समझ सकते हैं कि विशिष्ट लोगों के लिये विशिष्ट स्वाद के अनुसार सरकार कोई कदम नहीं उठाती । बहुत से ऐसे अन्य लोग मौजूद हैं जो

---

†मूल अंग्रेजी में

कहते हैं कि हमारी चाय उतनी ही अच्छी है जितनी जापानी चाय। लेकिन, जैसा आप जानते हैं, कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें हम और पंजाब सरकार मिल कर सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात पर भी विचार किया गया है कि यदि अफगानिस्तान या दूसरे देशों में हरी चाय की खपत नहीं हो सकती, तो अपने देश में इस हरी चाय की खपत बढ़ाने के लिये क्या कोई प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री करमरकर : माननीय सदस्य अगर इस में हमारी कोई मदद करेंगे तो हम भी इसके लिये कोशिश करेंगे।

†**श्री सी० आर० चौधरी :** भारत में हरी चाय का कुल उत्पादन कितना है और इस में से कितनी निर्यात की जा रही है तथा कितनी देश में प्रयुक्त की जा रही है ?

†**श्री करमरकर :** मेरे पास सन् १९५४ के आंकड़े हैं जो सब से बाद के हैं। कांगड़ां में १,५७८,८५३ पौंड होती है। १९५४ में हरी चाय का कुल उत्पादन ६,६८५,२६८ पौंड था। १९५५ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५४–५५ में कुल निर्यात २,८२०,८१२ पौंड हुआ, जब कि १९५३–५४ में ४,२३८,१९४ पौंड हुआ था।

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** भाग (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हरी चाय का उत्पादन कितने प्रतिशत कम हो गया है और इसे बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री करमरकर :** पंजाब के चाय उत्पादकों द्वारा कुछ कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं और कुछ कम सीमा तक देहरादून जिले में भी। कांगड़ां जिले में एक मुख्य कठिनाई यह है कि चाय बगान बहुत छोटे हैं और उनमें से कुछ आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं। हमने प्रस्तावित किया है कि उत्पादन सहकारी आधार पर प्रारम्भ किया जाय तथा पंजाब सरकार इस मामले को देख रही है और उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रही है।

बच्चों के चलचित्र

***१७६७. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल चलचित्र संस्था (चिल्डरेन्स फिल्म सोसायटी) को अभी तक सरकार द्वारा कितनी राशि का अनुदान मिला हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : २,३०,००० रुपये।

श्री के० सी० सोधिया उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य एक मिनट बाद उठ रहे हैं और इस बीच उन्हें अपने प्रश्न तैयार रखने चाहिये। श्री राधा रमण द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद मैं उन्हें बुलाऊंगा।

†**श्री राधा रमण :** क्या संस्था के पास अपनी खुद की निधियां हैं और यदि हां, तो अभी उल्लिखित धन में से वह कितनी राशि है ?

†**डा० केसकर :** सरकार ने खास कर कुछ चल चित्र बनाने के लिये उल्लिखित राशि अनुदान के तौर पर दी है। संस्था की अपनी निधियों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री सोधिया अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० सी० सोधिया : सोसायटी ने हर किस्म की कितनी फिल्में तैयार की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : सोसायटी बने अभी कुछ ही महीने हुये हैं और आरम्भ में इसके संगठन में जो दिक्कतें हुई हैं उनको देखते हुये यह मुमकिन नहीं था कि वह एक दम कोई फिल्म बनावें लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ है सोसायटी इस वक्त बच्चों के लिये तीन फिल्में तैयार कर रही है जो कि करीब-करीब आधी से ज्यादा बन चुकी हैं ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** किस आधार पर ये अनुदान दिये जाते हैं और क्या वह पूरा अनुदान है या व्यय के केवल एक भाग का अनुदान है ?

†**डा० केसकर :** कुछ समय पुर्व एक विवरण में इसकी विस्तृत व्याख्या की गयी थी किन्तु मैं संक्षेप में यहां फिर दोहराऊंगा । बच्चों को दो चलचित्रों के लिये सरकार ने संपूर्ण व्यय का अनुदान दिया था और दूसरे एक चलचित्र के लिये ५० प्रतिशत दिया था और शेष ५० प्रतिशत स्वयं सोसाइटी ने खर्च किया था ।

श्री राधा रमण : अभी माननीय मंत्री ने यह बताया कि यह सोसाइटी तीन फिल्में बनायेगी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सोसाइटी उन फिल्म प्रोड्यूसर्स से जो कि प्राइवेट फिल्म बनाते हैं, उनसे कुछ बच्चों की फिल्में भी बनायेगी ?

डा० केसकर : सोसाइटी के काम करने के तरीके पर और उसके संगठन पर एक पुस्तिका जो हमने छपवाई थी और जो सब मेम्बरों को बांटी गई थी, उसमें सब तफसील दी गई है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि इस सोसाइटी में तीन बहुत ही मशहूर फिल्म प्रोड्यसर्स इसके मेम्बर हैं और वे बच्चों की फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे ।

†**श्री वेलायुधन :** बाल चलचित्र संस्था के अध्यक्ष या प्रबन्ध निर्देशक या निर्देशक कौन हैं और बनाये जाने वाले चलचित्रों के ढंग अथवा प्रतिरूप के विषय में कोई मंत्रणा अथवा निर्देशन दिया गया है ?

†**डा० केसकर :** वह एक स्वतन्त्र संस्था है जो पूंजीबद्ध है और इसलिये उस संस्था को कोई प्रत्यक्ष मंत्रणा देना सरकार के लिये सम्भव नहीं है । अध्यक्ष पंडित एच० एन० कुंजरू हैं । सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी होने के कारण, सभी नाम यहां बताना सम्भव न होगा किन्तु जैसा कि मैंने हिन्दी उत्तर में बताया, संस्था द्वारा तैयार की गयी पुस्तिका कुछ समय पूर्व संसद् सदस्यों को बांटी गयी थी और यदि वह माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं उन्हें फिर एक प्रति दे सकता हूं ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह बताया गया था कि सरकार कुल लागत या उसका ५० प्रतिशत देने के लिये सहमत हो गयी थी । क्या इन चित्रों से होने वाले मुनाफे में हिस्सा लेने के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है ?

†**डा० केसकर :** मुनाफे का प्रश्न सम्भवत: बहुत बाद में उत्पन्न होगा । अभी तो घाटे में हिस्सा बांटने का प्रश्न है । उस हद तक सरकार ने संस्था को यथाशक्ति सहायता करना स्वीकार किया है । ऐसा कोई स्थायी करार नहीं है । संस्था में दो या तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं और हम उसे समय समय पर यथाशक्ति मदद करेंगे ।

†**श्री के० सी० सोधिया :** इस आय व्ययक में इस संस्था को सम्भवत: कितनी राशि दी जायगी ?

†**डा० केसकर :** उत्तर में मैंने उस राशि का उल्लेख किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटियों (टाइलों) का निर्यात

†*१७६८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटियों (टाइलों) के नमूने और उनकी गांठ बनाने के विषय में विदेशी बाजारों की ठीक ठीक मांगों का अध्ययन करने के सम्बन्ध में निर्यात वृद्धि समिति की सिफारिशें स्वीकार की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुये; और

(ग) किन देशों की मांगें अधिक हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). सिफारिश की ओर निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट किया गया था। उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया कि निर्यात की जाने वाली पटियों (टाइलों) की किस्म बनाये रखने और सावधानी से गांठे बनाने की आवश्यकता वे पूरी तरह समझते हैं। भारत से निर्यात की जाने वाली पटियों की किस्म या गांठों के बारे में अभी हाल में सरकार को कोई शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं।

(ग) केनिया उपनिवेश, टांगायनिका, पाकिस्तान, बर्मा, लंका, मलाया संघ, सिंगापुर, और आस्ट्रेलिया।

†**श्री एस० सी सामन्त :** भारत के किन-किन भागों में ये पटियां तैयार की जाती हैं और किस बदरगाह से उनका निर्यात किया जाता है ?

†**श्री करमरकर :** मेरे विचार से अधिकतर दक्षिण कनारा।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गांठें बनाने के बारे में आस्ट्रेलिया से कोई शिकायत आयी है और यदि हां, तो उसके बाद क्या कार्यवाही की गयी ?

†**श्री करमरकर :** वह एक पुरानी कहानी है। यह जुलाई, १९४९ में स्थापित निर्यात वृद्धि समिति की सिफारिश से उत्पन्न हुई थी। इन पटियों के बारे में उसने कहा था कि कुछ समय पहले से आस्ट्रेलिया से मांगे आ रही हैं और जिस तरह से गांठें बनायी जानी चाहियें थी उस तरह वे नहीं बनायी गयी थीं। उसके बाद हमने इस शिकायत की ओर निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट किया। अभी हाल में कोई शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं।

†**श्री ए० एम० थामस :** निर्माता अधिकतर पश्चिमी तट पर बिखरे हुये हैं और अभी हाल में उनकी परम्परागत मंडियां उनके हाथ से चली गई हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने इस विषय की जांच की है। क्या मंत्रालय विदेशी मंडियों में मांगों के विस्तार के विषय में कुछ कर सका है ?

†**श्री करमरकर :** इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है। किन्तु इन पटियों के निर्यात के लिये हम यथासम्भव सभी कुछ सहर्ष करेंगे।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** वर्तमान निर्यात कितना है और गत वर्ष या उससे पिछले वर्ष की तुलना में क्या वह कम हुआ है ?

†**श्री करमरकर :** ये आंकड़े पुस्तकालय में मासिक प्रकाशनों में उपलब्ध हैं। उनसे थोड़ी कमी दिखायी पड़ती है।

छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग

†*१७६९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों की कोई योजना शरणार्थियों में बेरोजगारी दूर करने के हेतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) हां।

(ख) जो उद्योगपति शरणार्थी नगरों या बस्तियों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें और जिन की योजनायें शिल्पिक दृष्टि से सुदृढ़ पायी गयी हैं, उनके लिये कुछ सुविधायें देने की कल्पना योजनायें हैं। इन सुविधाओं में, ७ से १० साल तक की अवधि के लिये कारखानों की इमारतें किराये पर देने और उन्हें खरीद लेने की सुविधा, लगायी गयी मशीनरी के मूल्य का ५० प्रतिशत तक ऋण देने और पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित दरों पर पानी और बिजली देने की सुविधा है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या (१) नगरों, (२) बस्तियों और (३) कारखानों के सम्बन्ध में कोई अस्थायी योजना बनायी गयी है ? इन तीन मदों पर अलग अलग कितना खर्च किया जायगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: अब तक लगभग ४० योजनायें मंजूर की गयी हैं जिन में सरकार का २६७ लाख रुपये से अधिक विनियोजन होगा। इन योजनाओं से ११ से १२ लाख विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की सम्भावना है। इन ४० योजनाओं में से ११ योजनाओं का काम शुरू हो चुका है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : जहां तक बेरोज़गारी का सम्बन्ध है, मेरे विचार से मंत्रालय ने केवल कुछ नगरों का ही सर्वेक्षण किया है। इन नगरों और बस्तियों में बेकार शरणार्थियों की संख्या लगभग कितनी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: यह एक बहुत कठिन प्रश्न है। बस्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जो कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों के बहुत निकट हैं, वहां विस्थापित व्यक्तियों में बेरोज़गारी बहुत गहरी नहीं है। दूसरी वे जो मुख्य शहरों से बहुत लम्बी दूरी पर बसी हुई हैं, वहां समस्या वास्तव में बहुत खराब है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार के सामने, दूसरी योजना के दौरान में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक संपदाओं में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों में शरणार्थियों को काम काज दिलाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मंत्रालय उन कुछ विशिष्ट योजनाओं का विवेचन करता है जिस से कुछ बस्तियों और नगरों की आवश्यकता पूरी होती है किन्तु अन्य योजनाओं में अपना हिस्सा लेने के लिये शरणार्थियों पर कोई रोक नहीं है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि योजना में पंजाब से केवल एक ही नगर, फरीदाबाद, शामिल किया गया है, क्या सरकार योजना में अन्य नगरों को जैसे पानीपत, खन्ना, जालन्धर इत्यादि, को शामिल करने पर विचार करेगी जिस से कि वहां के उद्योगों की भी उन्नति हो ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना**: प्रश्न का पहला भाग ठीक नहीं है पंजाब के अनेक नगरों में जैसे फरीदाबाद, राजपुरा में योजना कार्यान्वित है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : राजपुरा पंजाब में नहीं है, वह पेप्सू में है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अभी वह पेप्सू में हो सकता है किन्तु महीने दो महीने बाद वह पंजाब का एक भाग हो जायगा। किन्तु वह किसी एक विशेष राज्य का प्रश्न नहीं है। वह विशिष्ट बस्तियों में बेरोज़गारी की मात्रा का प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट बस्ती या नगर मेरे ध्यान में लायें तो मैं उस पर सहर्ष विचार करूंगा।

†**श्री गिडवानी** : क्या इन योजनाओं के अधीन बम्बई के उलहासनगर, सरदारनगर आदि में कोई उद्योग चालू किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : उलहासनगर के लिये, जिस बस्ती का प्रतिनिधित्व मेरे माननीय मित्र करते हैं, चार योजनायें मंजूर की गयी हैं। इनके कार्यान्वित किये जाने की दशा के सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य कोई खास जानकारी चाहते हों, तो मैं वह सहर्ष दूंगा।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : जो ११ योजनायें पहले ही कार्यान्वित की गयी हैं, उनसे किस प्रकार का रोज़गार दिया गया है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : वह अधिकतर अप्रवीण है किन्तु हम प्रवीण कर्मचारियों को भी प्रशिक्षत करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : ११ योजनाओं को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप किस प्रकार का रोज़गार उत्पन्न हुआ है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इन ग्यारह योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने के कारण कितने व्यक्तियों को काम मिला है यह मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। वह संख्या २,००० या उससे भी अधिक है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी चाहते हों, तो वह मैं बड़ी प्रसन्नता से दूंगा।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मंत्रालय ने शरणार्थियों में बेरोज़गारी दूर करने के लिये जो योजना बनायी है, क्या उसके अन्तर्गत, काम प्राप्त करने के लिये शरणार्थियों के प्रशिक्षण की भी योजना है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस विशिष्ट औद्योगिक योजना के बारे में, प्रशिक्षण का कोई प्रश्न नहीं है। हमारी प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अधीन अनेक प्रशिक्षण योजनायें हैं और वहां केवल पश्चिमी खंड में, लगभग ८०,००० से अधिक विस्थापित व्यक्ति पहले ही प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।

सैंट्रल इंडिया नदी आयोग

†*१७७०. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैन्ट्रल इंडिया नदी आयोग की पहली बैठक अभी हाल में, नयी दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिनों में बाढ़ समस्या के बारे में बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण विनिश्चय किये गये ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) नदी आयोग की पहली बैठक होने के कारण, इन दो नदियों की कोई विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा नहीं हुई। आयोग ने बाढ़ समस्याओं का एक सामान्य विवेचन किया और स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डाली। जो विनिश्चय किये गये हैं, वे सामान्य प्रकृति के हैं जो आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी नदियों पर लागू हो सकते हैं।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या सरकार जानती है कि गोदावरी में बाढ़ के कारण आन्ध्र में कितना नुकसान हुआ था और यदि हां, तो सिंचाई परियोजनाओं की ओर पानी ले जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री हाथी** : आयोग ने बाढ़ से हुई क्षति की ओर ध्यान दिया है और सामान्य पुनर्विलोकन के बाद उसने नदी बेसिनों के अध्ययन के बारे में और अन्य बाढ़ रक्षण योजनाओं के बारे में निश्चय किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गाडिलिंगन गौड :** इन नदियों में बाढ़ से होने वाली क्षति रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई तुरन्त कार्यवाही की है ?

†**श्री हाथी** : राज्य सरकार से प्रार्थना की गयी थी कि वह राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाये और उस सरकार ने ऐसा एक बोर्ड स्थापित किया है। वह राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड तुरन्त बाढ़-रक्षण कार्य प्रारम्भ कर रहा है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : साल में कितनी बार इस आयोग की बैठकें होंगी और क्या भारत के विभिन्न भागों में इस आयोग की बैठकें होंगी ?

†**श्री हाथी** : कोई निश्चित तारीखें नहीं हैं अथवा इस आयोग की कब और कितनी बार बैठकें होंगी इसकी निश्चित संख्या नहीं है। यह आयोग केवल मध्य प्रदेश की नदियों के लिये ही है और इसलिये जब जब आवश्यक होगा उसकी बैठकें होंगी ।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : इस आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कौन-कौन सी नदियां आती हैं ?

†**श्री हाथी** : वे सैंट्रल इंडिया की नदियां हैं, अर्थात् कृष्णा, गोदावरी, माही, नर्मदा और ताप्ती ।

रास्ट्रीय योजना गोष्ठी

†*१७७२. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ अप्रैल, १९५६ को नई दिल्ली में, राष्ट्रीय योजना गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां; तो गोष्ठी में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था;

(ग) गोष्ठी के मुख्य उद्देश्य क्या थे; और

(घ) इस पर कितना धन व्यय हुआ ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य का निर्देश १४ तथा १५ अप्रैल, १९५६ को नई दिल्ली में हुये विश्वविद्यालय योजना गोष्ठी के सम्मेलन की ओर है ।

(ख) सम्मेलन में लगभग १३० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

(ग) सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य योजना प्रारूप पर विश्वविद्यालयों के प्रध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सुझावों तथा टिप्पणियों को जानने का था तथा योजना को बनाने तथा लागू करने में उनका सहयोग लेने का था ।

(घ) यात्रा तथा दैनिक भत्तों के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में लगभग १,२०० रुपये व्यय हुये थे ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : इस बैठक में क्या निर्णय किये गये तथा क्या सरकार ने इनको कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक निर्णय छोटी संस्था बनाने के सम्बन्ध में था जिस की बैठक प्रायः हो सके तथा मेरा विचार है कि हम इसको लागू करने की स्थिति में हैं ।

†**श्री बंसल** : विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालिजों से ये प्राध्यापक तथा विद्यार्थी किस आधार पर चुने गये थे तथा क्या सरकार इस गोष्ठी की कार्यवाहियों की एक प्रति लोक सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एन० मिश्र** : आधार यह था कि गत अगस्त में योजना आयोग ने विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों से, विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित कालिजों में योजना गोष्ठी बनाने की कार्यवाही करने की प्रार्थना की थी। जिसके परिणामस्वरूप कई योजना गोष्ठियां बनाई गईं तथा उनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आमंत्रित थे। अब जहां तक इस सम्मेलन की कार्यवाहियों को पटल पर रखने का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि हम एक पुस्तिका निकालने की स्थिति में है जो माननीय सदस्यों को मिलेगी।

†**श्री बंसल** : क्या यह योजना आयोग के प्रतिवेदन पर लोक-सभा में विवाद से पूर्व किया जायेगा ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मुझे खेद है कि इस में इस से भी अधिक समय लगेगा।

†**श्री राधा रमण** : जो इसमें उपस्थित थे, उनमें से कितने विद्यार्थी थे तथा कितने प्राध्यापक थे ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : हमने प्रत्येक योजना गोष्ठी से दो प्रतिनिधि, एक प्राध्यापक तथा एक विद्यार्थी भेजने को कहा था परन्तु सामान्यतः ऐसा था नहीं। कुछ योजना गोष्ठियों ने केवल एक प्रतिनिधि भेजा। इसलिये प्रत्येक की सही संख्या बताना कठिन है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या सरकार इस संस्था की खण्डीय आधार पर अथवा प्रादेशिक आधार पर शाखायें खोलने का विचार कर रही है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : यह प्रादेशिक अथवा खण्डीय आधार पर गोष्ठियाँ खोलने का प्रश्न नहीं है परन्तु यह विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में गोष्ठियां बनाने का प्रश्न है। परन्तु समन्वय के लिये, यदि वे ठीक समझें तो प्रादेशिक आधार पर, राज्य आधार पर अथवा विश्वविद्यालय आधार पर कुछ व्यवस्था की जा सकती है।

†**श्री बंसल** : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि योजना के कुछ मूल भूत तत्वों के सम्बन्ध में इस विशेष गोष्ठी की बैठक के तथा योजना गोष्ठियों के विचारों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में परस्पर विरोधी रिपोर्टें निकली हैं, क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि इस लोक-सभा में प्रारूप योजना की चर्चा से पूर्व गोष्ठी की कार्यवाही को प्रस्तुत किया जाये !

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है। उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि यह सम्भव नहीं है।

†**श्री वेलायुधन**: क्या यह सत्य है कि दिल्ली में इस प्रकार के सम्मेलन तथा गोष्ठियां बहुत हुये हैं तथा प्रधान मंत्री ने भी स्वयं, एक सम्मेलन में भाषण देते हुये कहा था कि इस प्रकार के सम्मेलनों से प्रशासन का बहुत सा समय नष्ट हो जाता है तथा प्रशासन के अन्य पहलुओं पर विचार नहीं हो पाता है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : जो स्वागत भाषण प्रतिनिधियों को दिया गया था उसमें बताया गया था कि सम्मेलन प्रधान मंत्री की विरोधी राय पर भी किया जा रहा था तथा दी गई परिस्थितियों में उनसे क्षमा मांगी गई थी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : योजना आयोग की विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों से प्रार्थना के अनुसार, कितने विश्वविद्यालयों ने योजना गोष्ठियों खोली हैं तथा उनमें से कितनी ने इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे थे ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : अब तक, लगभग २५ विश्वविद्यालयों ने योजना गोष्ठियां खोली हैं, परन्तु कई विश्वविद्यालय, मेरे विचार से लगभग ८ अथवा ९ अभी शेष हैं। हमें आशा है कि भविष्य में वह भी कार्यवाही करने जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्युत् इंजीनियरिंग गवेषणा का सर्वेक्षण

†*१७४४. **श्री भक्त दर्शन : (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत इंजीनियरिंग गवेषणा का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). देश के विद्युत इंजीनियरिंग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य का कार्यक्रम बनाने के लिये एक समिति अगस्त १९५५ में स्थापित की गई थी। इस समिति का प्रतिवेदन, मई १९५६ के मध्य तक आने की आशा है । कार्यक्रम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : इस वक्त देश के विभिन्न भागों में रिसर्च का जो काम किया जा रहा है; इसमें प्रगति लाने के लिये, इस कमिटी की नियुक्ति के सिवाय, कोई और भी कदम उठाये गये हैं, या कोई कार्रवाई की गई है ?

श्री हाथी : पावर रिसर्च के बारे में अभी देश में काम नहीं हो रहा है ।

विकास आयुक्त, सम्मेलन

†*१७६६. **श्री भक्त दर्शन : (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के संगठन के सांस्थिक ढांचे के रूप में पंचायतों का प्रयोग करने के लिये १९५४ में हुये तृतीय विकास आयुक्तों के सम्मेलन ने जो सिफारिश की थी क्या वह लागू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). सामान्यतः सिफारिश राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि गांवों में जहां पर पहले पंचायतें थीं और जहां पर विकास का काम उनके द्वारा किया जाता था, सहकार समितियां या इस तरह की दूसरी समितियां भी बनाई गई हैं जिस के कारण एक कनफ्यूशन सा पैदा हो रहा है । क्या इसके बारे में इस कानफ्रेंस में विचार किया गया है या गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि जितना विकास कार्य है, यह एक ही तरह से हो तथा एक ही समिति के द्वारा हो ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर दो समितियां इस तरह से काम करें तो उसमें कुछ कनफ्यूशन और कुछ गोलमाल हो सकता है । हम लोगों की राय स्पष्ट है कि एक ही समिति को काम करना चाहिये । लेकिन जब इस तरह की हकीकत होती है तो वैसा भी करना पड़ता है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्री संगण्णा :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला लोहा और इस्पात परियोजना क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि पानी की कमी के कारण मजदूरों ने उस क्षेत्र से चले जाने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो पानी की कठिनाई दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं। रूरकेला लोहा और इस्पात परियोजना, के न तो संयन्त्र स्थान पर ही, तथा न उपनगर में ही पीने के पानी की कमी है।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि पानी की बिल्कुल कमी नहीं है इसलिये किसी भी कर्मचारी ने पानी की कमी के कारण क्षेत्र को छोड़ने की धमकी नहीं दी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि रूरकेला परियोजना में पानी की कमी नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह वक्तव्य, उत्कल कांग्रेस समिति के सभा पति श्री विश्वनाथ दास, संसद् सदस्य के वक्तव्य का किस प्रकार समाधान करता है। उस वक्तव्य में इस क्षेत्र में पानी की कमी का भयानक वर्णन है?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य ने कुछ समय पूर्व रूरकेला संयन्त्र में पानी संभरण के सम्बन्ध में एक प्रश्न प्रस्तुत किया था, परन्तु वह प्रश्न पूछने के लिये सभा में नहीं थे। जब संयन्त्र में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा तथा समस्त बातें हमारे सामने आ जायेंगी तब हम पानी संभरण की व्यवस्था करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी है। परन्तु इस समय जो कार्य हमने चालू किया है उसकी पूर्त्ति के लिये आवश्यक जल हमें उपलब्ध है। नगर क्षेत्र में लगभग प्रतिदिन ९०,००० गैलन पानी आता है। योजना क्षेत्र में प्रतिदिन ३५,००० गैलन पानी आता है। इसके साथ साथ, उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर रूरकेला नगर को हम लगभग प्रतिदिन १६,००० गैलन पानी तथा रेलवे स्टेशन को ३,००० गैलन पानी दे रहे हैं। इसलिये जहां तक शीघ्र संभरण प्रश्न है, यह ठीक ही है। कठिनाई केवल भविष्य की है जब संयंत्र में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा तब हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।

†**श्री पी० सी बोस** : इस समय पानी कहां से आता है? नदी से अथवा कूवों से?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इस समय पानी कूवों से तथा रूरकेला संयन्त्र के समीप की नदियों से उपलब्ध होता है।

†**श्री संगण्णा** : क्षेत्र में पानी की कमी के कारण, क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा सरकार के इंजीनियरों ने, साकली तथा कोपल नदियों के संगम पर एक रिजरवौयर निर्माण का सुझाव दिया है?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जैसा कि मैंने बताया, माननीय सदस्य ने कुछ दिन पूर्व अर्थात् १० अप्रैल को एक प्रश्न प्रस्तुत किया था। उसमें उत्तर दिया गया था कि मामले की जांच हो रही है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इन सभी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में, क्या सरकार, सर्वेक्षण के द्वारा, अपने को संतुष्ट करती है कि वर्ष भर पर्याप्त तथा बहुत पानी होगा?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जी, हां। स्थान चुनने से पूर्व, हम ऐसा ही करते हैं।

†**श्री संगण्णा** : पानी संभरण की स्थिति का सही चित्र लेने के लिये क्या सरकार, सम्बन्धित मंत्रालय का एक पदाधिकारी इस की सही स्थिति जानने के लिये भेजने का विचार कर रही है?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यह सब किया जा रहा है। माननीय सदस्य इस समय क्षेत्र की शीघ्रतम आवश्यकता का उल्लेख कर रहे थे। मैंने बताया शीघ्रतम आवश्यकता की व्यवस्था कर

---

†मूल अंग्रेजी में

दी गई है। परन्तु जब संयंत्र में उत्पादन होने लगेगा तब हम इस बात की ओर ध्यान देंगे कि संयंत्र की पानी सम्भरण की व्यवस्था पर्याप्त हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तरी बर्मा में भारतीय बन्दी

†*१७४९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी बर्मा की होमालिन और थमाण्टो जेलों में किसी भारतीय व्यक्ति के बन्दी होने की खबर है;

(ख) यदि है, तो ऐसे कितने व्यक्ति बन्दी हैं; और

(ग) उनके बन्दी होने के कारण तथा अवधि ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: (क) से (ग). थमाण्टो में कोई बन्दीगृह नहीं है और होमालिन जेल में भी कोई भारतीय व्यक्ति बन्दी नहीं हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्यालय

†*१७५०. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से वित्तीय सहायता पाने वाली सभी नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य कार्यालय उनके अपने अपने क्षेत्रों में ही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम जिनके मुख्य कार्यालय उनके क्षेत्रों से बाहर हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) कोसी, रिहन्द, कोयना तथा नागार्जुनसागर परियोजनायें, और चम्बल परियोजना का वह भाग जो राजस्थान में है।

(ग) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २९]**

जिरातिया प्रजा

†*१७५१. **श्री दशरथ देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की उसी जरातिया प्रजा (त्रिपुरा के वे मुसलमान किसान जिन के पास अपनी भूमि है किन्तु जो पहले पाकिस्तान में रहते थे) के प्रति क्या नीति है जो भारत और पाकिस्तान के बीच पारपत्र प्रथा चलने से पहले ही भारतीय नागरिक के रूप में स्थाई रूप से त्रिपुरा में बसने के लिये आ गये हैं।

(ख) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा सरकार ऐसे मुसलमान किसानों को भारतीय नागरिक मानने के लिये तैयार नहीं है; और

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है।

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) से (ग). ऐसे मुसलमान जिरातिया किसानों द्वारा जिन की त्रिपुरा में भूमियां तो थीं मगर कोई घर आदि नहीं थे भारतीय नागरिक बनने का निश्चय संविधान के अनुच्छेद ६ व ७ के उपबन्धों के अनुसार किया गया है। कोई भी व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

जो उन शर्तों को पूरा करता हो वह यदि भारत में आये तो यहां का नागरिक बन सकता है । और ऐसे आगन्तुक भी, जो उन सांविधानिक उपबन्धों के अनुसार यहां की नागरिकता के पात्र नहीं हैं अपने आप को नागरिकता अधिनियम १९५५ (संख्या ५७, १९५५) की धारा ५ के उपबन्धों के अनुसार पंजीबद्ध करा के यहां की नागरिकता का अर्जन कर सकते हैं ।

सामुदायिक परियोजना केन्द्र

†*१७६१. **श्री एन० एल० जोशी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मध्य भारत में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड तथा सामुदायिक परियोजनायें चालू की गई हैं; और

(ख) इस अवधि में उन पर कुल कितना रुपया व्यय किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) सामुदायिक परियोजनायें २, सामुदायिक विकास खंड ५, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड १४ ।

(ख) ३१-१२-१९५५ तक लगभग ११४ लाख रुपये ।

नमक का लाना ले जाना

†*१७६२. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यापारियों की संख्या क्या है जिन्हें सरकार ने कांडला रेलवे स्टेशन से अन्य राज्यों में नमक ले जाने के लिये अधिकृत किया है;

(ख) क्या कोई ऐसी शिकायत आई है कि इस मामले में व्यापारियों में भेदभाव किया गया है और यह काम थोड़े से व्यापारियों को ही दिया गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन में से एक निजी भारवाहक कम्पनी छोटे व्यापारियों को जहाज़ में जगह देने से इन्कार कर रही है और उनके मार्ग में बाधायें उत्पन्न कर रही हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) कांडला में केवल दो लाईसेंस प्राप्त नमक निर्माण करने वाली कम्पनियां हैं जिन्हें बन्दरगाह से अन्य राज्यों के लिये रेल द्वारा नमक भेजने की इजाज़त दी गई है । सरकार को और किसी कम्पनी ने इस काम के लिये वेगन देने के लिये नहीं कहा है ।

(ख) वेगन केवल निर्माताओं को ही दिये जाते हैं व्यापारियों को नहीं ।

(ग) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) जब तक कोई विशेष शिकायत न आये किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

अप्पलम उद्योग

†*१७६४. **श्री बूवराघस्वामी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "अप्पलम" निर्माताओं को किन शर्तों पर ऋण दिये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** मद्रास सरकार को अपने एक विभाग के रूप में अप्पलम उत्पादन एकक बनाने के लिये १३,०९६ रुपये का ऋण दिया गया था । इसका ब्याज ४ रु० प्रति सैंकड़ा है और यह १० वर्षों में समान किश्तों में लौटाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कॉफी

†*१७७१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी के अधिक उत्पादन की सम्भावनाओं की खोज के लिये १९५५ में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो काफी की खेती के विस्तार की और कितनी गुंजाइश है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** जी, हां । उत्तरी कनारा, कुर्ग तथा मैसूर में अन्य राज्यों में अभी सर्वेक्षण जारी है ।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि इसकी खेती में ७५,००० एकड़ की और वृद्धि हो सकती है ।

उद्योगों का विकास

†१४९४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री लोक-सभा के पटल पर प्रत्येक राज्य में हस्त-उद्योग, लघु-उद्योग माध्यमिक-उद्योग तथा बड़े उद्योगों के नामों की सूचियां दिखाने वाला एक विवरण रख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त प्रकार के उद्योगों के लिये बिहार सरकार को १९५५-५६ में कितनी राशि अनुदान तथा ऋण के रूप में दी गई थी और उसने उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया है;

(ख) ऐसे उद्योगों के नाम तथा क्षेत्र तथा इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये अभिकरण और प्रत्येक योजना की प्राक्कलित लागत; और

(ग) अभी तक इस सम्बन्ध में बिहार की अग्रिम योजनाओं में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) विभिन्न उद्योगों को दिये गये अनुदानों तथा ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) ये योजनायें राज्य सरकार द्वारा अपने ही अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं । सरकार को इस सम्बन्ध में कोई और सूचना नहीं है ।

(ग) अभी तक बिहार में कोई अग्रिम योजना नहीं चालू की गई है ।

पेप्सू में औद्योगिक विकास

†१४९५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ के दौरान में पेप्सू सरकार को औद्योगिक विकास के लिये कुल कितना ऋण तथा आर्थिक सहायता दी गई है; और

(ख) १९५६-५७ में कितना ऋण तथा सहायता दी जायेगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३१]**

इस्पात टेक्नीशिनों का प्रशिक्षण

†१४९६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री ८ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो टेकनीकल समिति भारतवर्ष में इस्पात कर्मचारियों की प्रशिक्षण सम्बन्धी वर्तमान

†मूल अंग्रेजी में

सुविधाओं को आंकने तथा उनका सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त की गई क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार को निम्नलिखित स्थानों से प्रवीण टेक्निशयनों की भर्ती करनी चाहिये :

(१) श्रम मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों से;

(२) वर्तमान इस्पात कारखानों से;

(३) खुले आम ।

समिति ने देश में इंजीनियरी सम्बन्धी अच्छे अच्छे कारखानों की सूची भी दी है और यह भी बताया है कि व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये उनमें से प्रत्येक में कितने शिक्षार्थी रखे जा सकते हैं । इसने यह भी सिफारिश की है कि निम्नलिखित स्थानों पर धातुविज्ञान सम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रम शुरू किये जायें :

(१) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर;

(२) पूना इंजीनियरी कालेज;

(३) खान तथा खनिज कालेज, बनारस;

(४) बंगाल इंजीनियरी कालेज;

(५) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ।

मोटर कारों के उचित मूल्य

†**१४९७. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने मोटर कारों के कारखानों से निकलने से पहले की लागत तथा विक्रय मूल्यों के सम्बन्ध में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). अभी जांच जारी है ।

अखिल भारतीय हथकरघा सप्ताह

†**१४९९. श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने "अखिल भारतीय हथकरघा सप्ताह १९५६" में हथकरघों पर बने कपड़ों की बिक्री के बारे में मांगी गई सूचना अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो बेचे गये माल का परिमाण और मूल्य कितना है और उसी अवधि में कितना साधारण और विशेष अवहार दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक

†**१५००. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में युद्ध विराम सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की कुल संख्या कितनी है और

(ख) व किन देशों के व्यक्ति हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की संख्या निश्चित नहीं है और समय समय पर वह बदलती रहती है। १ अप्रैल, १९५६ को उनकी संख्या ३४ थी जो निम्नलिखित देशों से आये हैं:—

आस्ट्रेलिया	७
बेल्जियम	२
कनाडा	५
चिली	२
डेन्मार्क	३
ग्रीस	२
ग्वाटेमाला	१
हालैंड	१
न्यूजीलैंड	२
नाव	१
फिलिप्पीन	१
स्वीडन	३
ब्रिटेन	२
यूरुग्वे	२

रूस से प्राप्त उपहार

†१५०१. { **श्री डी० सी० शर्मा** :
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्शल बुल्गानिन और श्री ख्रुश्चेव की यात्रा के बाद रूस से भारत को किस प्रकार की भेंट प्राप्त हुई हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : रूसी नेताओं की भारत यात्रा क बाद, राज्य के प्रयोगात्मक फार्म में उपयोग के लिये कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा एक "इल-१४-पी" यात्री विमान उन से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

†**१५०२. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के मुख्य कार्य क्या थे;

(ख) इस अवधि में मिट्टी के बर्तन बनाने, खिलौने बनाने, चटाई बुनने और छापे के उद्योग में क्या प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या दस्तकारी की वस्तुओं की बिक्री संतोषप्रद रूप में हुई ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) १९५५–५६ में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा किये गये मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

(१) राज्य सरकारों तथा संस्थाओं द्वारा तैयार की गई दस्तकारी उद्योग विकास योजनाओं की जांच करना और उनके लिये उचित आर्थिक सहायता की सिफारिश करना ।

(२) प्रवर दस्तकारी उद्योग के पुनरुत्थान तथा उन में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्य केन्द्र (पाइलट सैन्टर) खोलना ।

(३) डिज़ाइन केन्द्र तथा दस्तकारी म्यूज़िअम (संग्रहालय) की स्थापना ।

(४) संगठन द्वारा दस्तकारी की वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करना, भारत तथा विदेशों की प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रचार योजनायें बनाना प्रदर्शनालयों (एम्पोरिया) को सहायता देना आदि ।

(५) दस्तकारी उद्योगों की समस्याओं पर गवेषणा करना ।

(ख) दस्तकारी का विकास राज्य सरकारों का काम है । फिर भी इन उद्योगों के विकास के प्रयत्नों में सहयोग के लिये, उनसे प्राप्त विशेष योजनाओं के आधार पर अनेक राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी गई है । हमें पता है कि संतोषप्रद प्रगति हो रही है । दस्तकारी बोर्ड ने प्रशिक्षण के निम्नलिखित कार्य केन्द्र (पाइलट सैन्टर) भी खोले हैं :—

(१) नई दिल्ली में मिट्टी के नीले बर्तनों (ब्लू पौटरी) का उद्योग ।

(२) बम्बई में गुड़ियां और खिलौने बनाने का केंद्र ।

(३) कोंडापल्ली (आन्ध्र) में खिलौने बनाने का केंद्र ।

अधिक जानकारी के लिये माननीय सदस्य को दस्तकारी बोर्ड के १९५५–५६ के वार्षिक प्रतिवेदन की ओर ध्यान देना चाहिये ।

(ग) उसमें काफी उन्नति हुई है ।

पर्यटन

१५०३. श्री अमर सिंह डामर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में कितने भारतीयों को राष्ट्रमंडलीय देशों को छोड़ कर अन्य विदेशों में जाने के लिये पार-पत्र दिये गये; और

(ख) उक्त अवधि में राष्ट्रमंडलीय देशों को छोड़ कर अन्य विदेशों से कितने विदेशी व्यक्ति भारत आये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) इसकी सूचना नहीं है । जारी किये गये पासपोर्टों के आंकड़े देशवार या क्षेत्रवार नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) यह सूचना गृह मंत्रालय से, जिसका इससे सम्बन्ध है, ले ली जायगी और सदन की मेज़ पर रख दी जायगी ।

निजी प्रेस

१५०४. श्री के० सी० सोधिया : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में भारत सरकार के प्रेसों को दिये गये छपाई के कार्य के अतिरिक्त कुल कितनी कीमत का काम निजी प्रेसों को दिया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे निजी प्रेसों की संख्या कितनी है; और

(ग) किस-किस प्रेस को सबसे अधिक और सबसे कम काम दिया गया था और कितनी-कितनी कीमत का ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री० पी० एस० नास्कर) : (क) रुपये ११,६२,६७७–४–० ।

(ख) ७७ ।

(ग) अलबियन प्रेस, काश्मीरी गेट,-दिल्ली को सब से अधिक काम दिया गया जिसका मूल्य ७७,००० रुपये है । रोल्स प्रिन्ट कम्पनी, कलकत्ता को सब से कम काम दिया गया जिसका मूल्य ९,००० रुपय है ।

बेटचारा कालोनी

†**१५०५. श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेटचारा कालोनी के विस्थापित व्यक्तियों से सहकारी संस्थाओं के अंशधारी बनन के लिये ५० रुपये प्रत्येक व्यक्त से अनिवार्य रूप से लिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अधीक्षक ने सहकारी संस्थाओं के अंशधारियों से कहा कि संस्थाओं से १०० रुपय के ऋण के दस्तावेज दें जब कि वास्तव में प्रत्येक को केवल ५० रुपये ऋण दिया जायगा; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विद्युत् भार सर्वेक्षण-प्रतिवेदन (लोड सर्वे रिपोर्ट)

†**१५०६. श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री राज्यों के विद्युत् भार सर्वेक्षण प्रतिवेदन (लोड सर्वे रिपोर्ट) की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् आयोग राज्यों के विद्युत् भार सर्वेक्षण (लोड सर्वे) में लगा हुआ है । अभी तो केवल प्राथमिक सर्वेक्षण किया जा रहा है । अब तक दिल्ली, पेप्सू, अजमेर, भोपाल, मनीपुर तथा विंध्यप्रदेश इन ६ राज्यों तथा दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के बारे में प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं और इन की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में भेजी जा रही हैं । ऐसे अन्य प्रतिवेदन भी तैयार होने पर संसदीय पुस्तकालय में भेजे जायेंगे । देश के ऐसे एक विस्तृत सर्वेक्षण में तीन वर्ष लग जायेंगे और उसे प्रारम्भिक सर्वेक्षण के बाद प्रारम्भ किया जायगा ।

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग-गवेषणा केन्द्र पूना

†**१५०७. श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि कलकत्ता पत्तन में नौवहन बढ़ाने के लिये हुगली नदी में 'फाल्टा प्वाइंट' हटाने के बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग-गवेषणा केन्द्र, पूना के अनुसंधान तथा सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: 'फाल्टा जेम्स' और 'मेरी रीच' में नौवहन में निम्नलिखित बाधायें हैं :

१. 'फाल्टा' मोड़ पर भंवर पड़ना ।

२. नहर का तंग होना ।

३. अच्छे मौसम में 'निनन बार' का खराब हो जाना ।

४. शुष्क मौसम में पूर्वी 'गुट वार' का खराब हो जाना ।

इसके हल के लिये यह सुझाव दिया गया था कि फाल्टा प्वाइंट के बांध को १२०० फीट हटा कर दामोदर नदी के मुहाने के ऊपर और नीचे की ओर बांध बना दिया जाय ।

समाचार सेवा विभाग (न्यूज़ सर्विसिज़ डिवीज़न)

†१५०८. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा विभाग (न्यूज़ सर्विसिज़ डिवीज़न) में निदेशक की नियुक्ति के बाद अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: समाचार सेवा विभाग (न्यूज़ सर्विसिज़ डिवीज़न) बनने के समय से ही निदेशक उसमें मौजूद हैं और उसका अफसर है अत: निदेशक की नियुक्ति से विशेष प्रगति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

पांडिचेरी में कपड़ा मिलें

†१५०९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी के भारत को यथार्थत: हस्तांतरण के पश्चात् वहां की कपड़ों की मिलों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) वहां कितनी मिलें चल रही हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) पांडिचेरी के भारत को यथार्थत: हस्तांतरण के बाद वहां की कपड़ों की मिलों को निम्नलिखित सहायता दी गई है :

(१) यथार्थत: हस्तांतरण से पूर्व वे पाकिस्तान से जिस दर पर रूई खरीदती थीं उससे सस्ते दामों पर वहां की मिलों को भारतीय रुई दिलाई गई है। दर में लगभग १२ आने प्रति पौंड का अन्तर है ।

(२) विलयन से पूर्व, समुद्र पार के बाजारों के लिये जिसे वस्त्र निर्यात पर उन्हें निर्यात शुल्क देना पड़ता था उस पर उन्हें अभी ४ प्रतिशत छूट दी जाती है ।

(३) मशीनरी, पुर्जे रंग का सामान और रासायनिक पदार्थों के आयात पर, जो इन मिलों के पुनर्संस्थापन के लिये आवश्यक हैं, अभी कोई सीमा शुल्क नहीं लिया जाता है ।

(४) पांडिचेरी की मिलों द्वारा तैयार किये जाने वाला सूती धागा परिमाण के किसी प्रतिबन्ध के बिना निर्यात किया जा सकता है ।

(५) निर्माण, आवास, और सम्भरण मंत्रालय ने, टेंडर सम्बन्धी अपेक्षाओं को ढीला करके, सरकारी विभागों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पांडिचेरी की मिलों को आर्डर दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) अभी, सितम्बर १९५६ तक मिलों द्वारा धोतियों के बनाये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं ।

(ख) पांडिचेरी में कपड़े की तीन मिलें हैं ।

लोक-गीतों का प्रसारण

१५१०. श्री भक्त दर्शन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिन्दी की विभिन्न बोलियों में लोक-गीतों और संवादों को प्रसारित करने का कार्यक्रम १९५५–५६ में भी जारी रखा गया; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में भिन्न भिन्न बोलियों में कितने कितने कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३२]**

सीमेंट-आयात

†**१५११. श्री बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसर्स सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (मैसर्स एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड के सेटिंग एजेंट) को देश में समस्त आयात किये गये सीमेंट के एकल वितरक (सोल डिस्ट्रीब्यूटर) नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन शर्तों पर नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या इन शर्तों में से एक में यह कहा गया है कि ऐसी सीमेंट "न हानि न लाभ" के आधार पर बांटी जायगी;

(घ) इस कम्पनी द्वारा निष्कासन, अग्रेषण, वित्तपोषण और वितरण व्यय के रूप में प्रति टन कितनी रकम ली जायगी;

(ङ) इस ठेके के लिये अन्य जिन फर्मों ने आवेदन किया था क्या उनकी दरों से इस कम्पनी की दर कम है या अधिक;

(च) आयात किये गये सीमेंट को बांटने के लिये कितनी फर्मों ने आवदन किया था; और

(छ) केवल एक वितरक को ऐसा सारा सीमेंट देते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया था ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (छ). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३३]**

पंजाब और पेप्सू में सड़कें

†**१५१२. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई थी;

(ख) इस में से कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)**: (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३४**]

योजना समारोह

†**१५१३. श्री संगण्णा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि-समाप्त होने पर योजना समारोह का आयोजन किया है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार ने उस पर कितना व्यय किया; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस कार्य के लिये कोई वित्तीव अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). इस मंत्रालय के द्वारा जुलाई १९५५ में हुये राज्य सूचना निदेशकों के सम्मेलन में किये गये एक निश्चय के अनुसार कई राज्यों में योजना समारोह आयोजित किये गये । अब तक सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, बम्बई, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में ये समारोह आयोजित किये गये हैं। आशा है कि अन्य राज्य भी नवम्बर १९५६ के पूर्व ऐसे समारोहों का आयोजन करेंगे । इन समारोहों का व्यय पूरी तरह राज्य सरकारों द्वारा ही वहन किया जायेगा; इसलिये इसके विस्तृत विवरण भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं । भारत सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है किन्तु प्रचार के सभी माध्यमों द्वारा उक्त समारोहों में भाग लिया है ।

राजनैतिक आश्रय

†**१५१४.** { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ में कितने व्यक्तियों ने राजनैतिक आश्रय के लिये प्रार्थना की;

(ख) कितने व्यक्तियों को भारत में राजनैतिक आश्रय दिया गया;

(ग) कितने व्यक्तियों की प्रार्थना अस्वीकृत की गई; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) तीन ।

(ख) तीन ।

(ग) और (घ). जी, नहीं ।

निबटारा पदाधिकारी

†**१५१५. श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निबटारा अधिकारियों की अर्हतायें और उनके वेतन-क्रम क्या हैं;

(ख) सहायक निबटारा अधिकारियों की अर्हतायें तथा उनके वेतन-क्रम क्या हैं; और

(ग) उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य

†**१५१६. श्री बीरेन दत्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में कोई सिंचाई का काम करने का विचार है;

(ख) क्या किसी बन्ध के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो उसमें कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा;

(घ) उक्त बन्ध पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ङ) क्या सरकार इस व्यय का कुल भार वहन करेगी अथवा उसका कुछ भाग देगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). धानेरा और धुरामेरा नदियों के आर-पार बन्ध बनाने की योजनायें हैं। उक्त योजनाओं पर केन्द्रीय जल और विद्यत आयोग का बाढ़ जांच विभाग सर्वेक्षण कर रहा है ।

(ग) से (ङ). इस समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

त्रिपुरा सामुदायिक परियोजना प्रशासन में सामाजिक कार्यकर्त्ता

†**१५१७. श्री बीरेन दत्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के सामुदायिक परियोजना प्रशासन के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं (सोशल वर्कर्स) को केवल २० रुपया प्रति मास दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके वेतन में, त्रिपुरा में कृषि मजदूरों के लिये निश्चित न्यूनतम वेतन के स्तर के बराबर वृद्धि करना चाहती है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन सामाजिक कार्यकर्त्ता (सोशलवर्कर) नाम का कोई पद नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आकाशवाणी

†**१५१८. श्री मादिया गौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन प्रकाशनों में से प्रत्येक की कितनी प्रतियां प्रकाशित होती हैं जिन में मासिक बुलेटिनों के रूप में आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रकाशित होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३६**]

छोटे पैमाने के औद्योगिक सार्थ

†**१५१९. श्री मादिया गौडा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में बताया गया हो कि :

(क) गृह और छोटे पैमाने के उन औद्योगिक सार्थों के क्या नाम ह जो कि केन्द्रीय क्रय संगठन के सम्भरण कर्त्ता के रूप में पंजीयित हैं; और

(ख) इन सार्थों में से प्रत्येक को खरीद के लिये कितने आर्डर दिये गये और वे आर्डर कितने रुपयों के हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नासकर)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३७**]

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†१५२०. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र से ऐसे कितने उपोत्पाद बनेंगे जिनका उपयोग उर्वरकों के निर्माण के लिये किया जायेगा; और

(ख) उक्त उपोत्पादों की कितनी मात्रा उर्वरकों के निर्माण के लिये उपलब्ध होगी ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** :

(क) और (ख)

कोक ओवन गैसें ...	... *४९० लाख घन-फुट प्रति दिन
(न्यगांर कन्दु गैस)	
नाईट्रोजन	... १३५ लाख घन-फुट प्रति दिन

*जब रूरकेला इस्पात संयंत्र १० लाख टन पिंड (हंगोर) इस्पात उत्पादन की पूरी क्षमता से काम करने लगेगा ।

थाईलैंड में भारतीय

१५२१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय थाईलैंड में कितने भारतीय राष्ट्रजन रहते हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने थाईलैंड की नागरिकता प्राप्त कर ली है; और

(ग) कितने व्यक्ति अब भी भारतीय राष्ट्रजन हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१८५०-७२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७४५	नेपाल नरेश का प्रधान मंत्री को निमन्त्रण	१८५०–५१
१७४६	गोआ ...	१८५१
१७४७	दस्तकारी ...	१८५१–५२
१७४८	नगरीय गृह निर्माण ...	१८५२–५३
१७५२	आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्च आयोग	१८५३–५४
१७५३	मंत्रियों के भाषण ...	१८५४–५५
१७४५	गंधक के तेजाब के मूल्य	१८५५–५६
१७५५	विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में प्रशिक्षण केन्द्र	१८५६–५७
१७५६	मलाया का संविधान ...	१८५७–५८
१७५७	छोटे पैमाने के उद्योगों की सेवा संस्थायें	१८५८–५९
१७५८	उड़ीसा में आर्थिक विकास की योजनायें	१८५९
१७५९	सीमा घटनायें (पश्चिमी पाकिस्तान)	१८६०–६१
१७६०	सोवियत रूस के साथ करार	१८६१
१७६३	छोटे पैमाने के उद्योग	१८६१–६२
१७६५	भारतीय हरी चाय... ...	१८६२–६३
१७६७	बच्चों क चलचित्र ...	१८६३–६४
१७६८	पटियों (टाइलों) का निर्यात ...	१८६५
१७६९	छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग	१८६५–६७
१७७०	सैन्ट्रल इंडिया नदी आयोग	१८६७–६८
१७७२	राष्ट्रीय योजना गोष्ठी	१८६८–६९
१७४४	विद्युत् इंजीनियरिंग गवेषणा का सर्वेक्षण	१८७०
१७६६	विकास आयुक्त सम्मेलन	१८७०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१२	रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र	१८७०–७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१८७२–८३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७४९	उत्तरी बर्मा में भारतीय बन्दी	१८७२
१७५०	नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्यालय ...	१८७२
१७५१	जिरातिया प्रजा	१८७२–७३
१७६१	सामुदायिक परियोजना केन्द्र	१८७३
१७६२	नमक का लाना ले जाना ...	१८७३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

१७६४ अप्पलम उद्योग १८७३
१७७१ काफी १८७४

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१४९४ उद्योगों का विकास १८७४
१४९५ पेप्सू में औद्योगिक विकास ... १८७४
१४९६ इस्पात टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण १८७४–७५
१४९७ मोटर कारों के उचित मूल्य ... १८७५
१४९९ अखिल भारतीय हथकरघा सप्ताह १८७५–७६
१५०० काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक १८७६
१५०१ रूस से प्राप्त उपहार .. १८७६
१५०२ अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ... १८७६–७७
१५०३ पर्यटन ... १८७७
१५०४ निजी प्रेस १८७७–७८
१५०५ बेटचारा कालोनी १८७८
१५०६ विद्युत् भार सर्वेक्षण प्रतिवेदन (लोड सर्वे रिपोर्ट) ... १८७८
१५०७ केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग गवेषणा केन्द्र, पूना १८७८–७९
१५०८ समाचार सेवा विभाग (न्यूज़ सर्विसिज़ ड्विीज़न) १८७९
१५०९ पांडिचेरी में कपड़ा मिलें १८७९–८०
१५१० लोक गीतों का प्रसारण १८८०
१५११ सीमेंट आयात ... १८८०
१५१२ पंजाब और पेप्सू में सड़कें १८८०–८१
१५१३ योजना समारोह १८८१
१५१४ राजनैतिक आश्रय १८८१
१५१५ निबटारा पदाधिकारी १८८१
१५१६ त्रिपुरा के सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य ... १८८२
१५१७ त्रिपुरा सामुदायिक परियोजना प्रशासन में सामाजिक कार्यकर्त्ता ... १८८२
१५१८ आकाशवाणी १८८२
१५१९ छोटे पैमाने के औद्योगिक सार्थ १८८२
१५२० रूरकेला इस्पात संयंत्र १८८३
१५२१ थाईलैंड में भारतीय ... १८८३

M48LSD—190—26-6-57—GIPF

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ४, १९५६

(१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खंड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३४ म० पू०

प्राक्कलन समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री बी० जी० मेहता (गोहिलवाड) : मैं रेलवे मंत्रालय सम्बन्धी एस्टीमेट कमेटी (प्राक्कलन समिति) की २५वीं रिपोर्ट को पेश करता हूं ।

नियम समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा): मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा नियम समिति के तृतीय प्रतिवेदन से, जो २५ अप्रैल, १९५६ को लोक-सभा पटल पर रखा गया थाप्र सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं परन्तु मुझे यह भय है कि जिस भाषा में मैं अपने भावों को प्रस्तुत करूं उसे असंसदीय न समझा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस भूमिका की आवश्यकता नहीं । वे अपना औचित्य प्रश्न रखें ।

†**श्री कामत** : औचित्य प्रश्न यह है कि जो प्रतिवेदन सभा को आज प्रस्तुत किया गया है वह हमारे सम्बन्ध में, जिन्हें आमंत्रित किया गया था और जिन्होंने नियमों के संशोधन प्रस्तुत किये थे, ठीक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन के लिये आग्रह करना चाहते हैं ?

†**श्री कामत** : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व उसमें शुद्धियां कर लेनी चाहिये थीं। इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि सभा के नेता को उपस्थित होना चाहिये। यदि इसे एक-दो दिन के लिये स्थगित कर दिया जाये तो कोई हानि नहीं होगी। यदि आप इसे स्वीकार कर लें तो मुझे और कुछ नहीं कहना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री कामत** : नियम १६७ के परन्तुक में कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय सभा की सर्व सहमति से संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक के खण्डों अथवा अनुसूचियों के मतदान के लिये इकट्ठे सभा के समक्ष रख सकते है। मैं ने इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष संशोधन प्रस्तुत किया था, परन्तु प्रतिवेदन में उसका उल्लेख नहीं है। मैंने आग्रह किया था कि सभा की सर्व सम्मति लेनी चाहिये। परन्तु प्रतिवेदन से पता चलता है कि सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि सर्व सम्मति नहीं होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन का अभिप्राय नियम समिति के सब सदस्यों से है न कि उन से जिन्हें आमंत्रित किया गया था।

†**श्री कामत** : मैं आपका ध्यान नियम १२६ की ओर दिलाता हूं जिसका सम्बन्ध साधारण विधेयकों से है। उसके अनुसार ऐसे खण्डों को एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है जिनका कोई संशोधन न हो परन्तु एक सदस्य की प्रार्थना पर किसी भी खण्ड को अलग प्रस्तुत करना पड़ेगा। परन्तु संविधान से सम्बन्धित विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधान के लिये सभा का साधारण बहुमत अपेक्षित रखा गया है। साधारण विधेयक के लिये एक सदस्य को भी वीटो का अधिकार है। इस प्रकार संविधान सम्बन्धी विधेयक का महत्व कम हो जाता है।

यहां ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि सत्र की समाप्ति के समीप विधेयकों को शीघ्र पारित किया जाता है। जब हम संविधान के संशोधन सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा कर रहे हों तो समय का ध्यान नहीं होना चाहिये और प्रत्येक खण्ड पर अलग-अलग विचार करना चाहिये। श्री मावलंकर ने ऐसा नियम न होते हुए भी इस प्रथा का निर्माण किया था कि प्रश्न के घंटे को समाप्त करने के प्रश्न पर केवल एक सदस्य भी वीटो कर सकता है। इस प्रकार प्रश्न के घंटे को इतना अधिक महत्व दिया गया था तो संविधान के संशोधन सम्बन्धी विधेयक को कितना महत्व देना चाहिये ? * * *

†**श्री रघुनाथ सिंह** : (जिला बनारस मध्य) : अभी तक हम लोगों की समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री कामत : आप शांति से सुनते जाइये जो अभी तक नहीं समझ पाये हैं वह अब समझ जायेंगे। यदि यह संशोधन पारित हो गया तो साधारण विधेयकों सम्बन्धी नियम १२६ (२) का परन्तुक संविधान के संशोधन करने वाले विधेयक पर लागू नहीं होगा। तब तो इस देश की संसदीय प्रक्रिया का भविष्य निराशाजनक है।

नियम १६७ का परन्तुक पांच या छः वर्ष पूर्व इसमें जोड़ा गया था। संविधान के संशोधन सम्बन्धी विधेयकों के सम्बन्ध में इसका प्रवर्तन भली प्रकार होता रहा है। इस परन्तुक का यही अभिप्राय था कि कोई एक बहुमत वाला दल संविधान का संशोधन न कर सके। इसी कारण "सर्व सहमति" और

***अध्यक्ष के आदेश से निकाल दिया गया।

†मूल अंग्रेजी में

"दो-तिहाई बहुमत" का उपबन्ध किया गया था। अन्यथा संविधान का संशोधन एक मजाक होगा। संविधान (नवम संशोधन) विधेयक के एक खण्ड में संघ राज्यों के ५०० से अधिक और संघ क्षेत्रों के २० सदस्यों का उपबन्ध है। इसके दूसरे भाग से मैं सहमत नहीं हूं।

इस संशोधन में अध्यक्ष अथवा सभापति महोदय को अधिकार दिया गया। संविधान में यह विचार नहीं था।

नियम १६९ का सम्बन्ध विधेयकों सम्बन्धी प्रस्तावों पर मतदान से है। विधेयक को जनता की राय जानने के लिये भेजने के लिये भले ही विशेष बहुमत की आवश्यकता न हो परन्तु उसे प्रवर समिति को सौंपते समय सभा सिद्धान्त को स्वीकार कर लेती है। इस प्रक्रम पर नियम समिति ने विशेष बहुमत को समाप्त कर दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम है। इस संशोधन से संविधान के अनुच्छेद ३६८ का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

मेरे साम्यवादी मित्रों में से एक ने जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्यों कि उन्हें संसदीय लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है। तो भी मेरा उन से निवेदन है कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें और दो या तीन खण्ड इकट्ठे प्रस्तुत करने के लिये सभा की सर्व सहमति रहने दें।

†**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम्) जिन साथियों ने इस मामले पर खूब विचार किया है उनसे असहमत होना कठिन है। मैं लोक-सभा के प्रक्रिया के नियमों और संविधान में प्रस्तावित संशोधनों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रक्रिया का पालन न करने के परिणाम-स्वरूप संविधानिक संशोधन अवैध बन जायेंगे।

मैंने दो संशोधन रखे हैं, एक नियम १६७ के बारे में, और दूसरा नियम १६९ के बारे में।

अनुच्छेद ३६८ में विधेयक के पारित होने का उल्लेख है। "पारित" का तात्पर्य केवल तृतीय वाचन से नहीं है। मैं संशोधन के पारित होने का अर्थ समझता हूं, सभा द्वारा संशोधन को स्वीकृत किया जाना। प्रत्येक खण्ड संविधान का एक संशोधन होता है और प्रत्येक खण्ड पारित करते समय विहित विशेष प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। यदि ऐसा न किया जायेगा तो वे सदस्य, जो विधेयक का विरोध नहीं करते, अपितु विशेष खण्डों का विरोध करते हैं, तृतीय वाचन के समय उनका विरोध न कर सकेंगे। यह प्रक्रिया द्वितीय वाचन के समय भी अपनाई जानी चाहिये। नियम १६७ के परन्तुक के अनुसार अध्यक्ष को सब खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रखने की शक्ति दी जा रही है। वह सभा की सहमति से ऐसा कर सकेंगे। अतएव ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जायेगा जब कि प्रत्येक खण्ड को पारित करने के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और वे सदस्य, जो सब खण्डों को एक साथ मतदान के लिये नहीं रखना चाहते, उस समूह के किसी विशेष खण्ड के विरुद्ध मत नहीं दे सकेंगे। इस से सदस्यों के अधिकारों का भंग होगा और मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकेगा। मैं मानता हूं कि सर्व सम्मत सहमति बहुत कड़ी शर्त है। परन्तु उसको साधारण बहुमत बना देना भी अच्छा नहीं है। खण्डों को एक साथ रखने के उपबन्ध की सहमति उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा सभा के समस्त सदस्यों के ५१ प्रतिशत द्वारा होनी चाहिये। इससे संविधान के अनुच्छेद ३६८ की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। नियम १६९ का सम्बन्ध विधेयक के खण्डवार विचार से है विचार प्रस्ताव वास्तव में खण्डवार विभाग से पहले आना चाहिये। यह विधेयक को पारित करने का भाग नहीं है। फिर भी यदि नियम समिति चाहे तो उसके लिये विशेष शर्त लगा सकती है। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि दो-तिहाई बहुमत केवल द्वितीय और तृतीय वाचन के लिये

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णस्वामी]

रखा जाय द्वितीय वाचन में प्रत्येक खण्ड पर विशेष बहुमत से मतदान होगा । यदि सभा इन खण्डों को एक साथ रखना चाहे तो उसका अनुमोदन दो-तिहाई बहुमत से होना चाहिये, अन्यथा संविधानिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति नहीं होगी । हमें ऐसा प्रक्रिया नियम नहीं बनाना चाहिये जिस को न्यायालय में चुनौती दी जा सके । यदि हमारे नियम संविधान के विरुद्ध जायेंगे तो न्यायालय हमारी प्रक्रिया की जांच कर सकेगा । मैं चाहता हूं कि नियम समिति इस विषय पर विचार करे और यह ध्यान रखे कि प्रक्रिया नियम संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिकूल न हों ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : वास्तविक बात तो यह है कि अनुच्छेद ३६८ में दिये गये "पारित" शब्द का अर्थ क्या है । नियमों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संस्करणों में यही प्रक्रिया दी गई है । उससे सरकार को असुविधा हो सकती है किन्तु सरकार की सुविधा के लिये हमें 'पारित' शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये । संविधान के अनुच्छेद ४ और २४० में भी दिया गया है कि कुछ परिस्थितियों में अनुच्छेद ३६८ लागू नहीं होगा ।

क्या 'पारित' का अर्थ केवल अन्तिम प्रक्रम से है ? श्री कामत के विचार के अनुसार विचार प्रस्ताव महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सभा विधेयक के सिद्धान्त पर विचार करती है । अतएव अनुच्छेद ३६८ की भावना के अनुसार उस प्रक्रम पर भी अनुच्छेद ३६८ लागू किया जाना चाहिये । अनुच्छेद ११८ के अनुसार सदन को प्रक्रिया नियम पारित करने का अधिकार है । नौकरशाही के युग में भी प्रक्रिया नियम सभा द्वारा पारित किये जाते थे । अतः इस विषय पर सभा को विचार करना चाहिये । यद्यपि नियम समिति संसदीय समिति है, फिर भी हम नहीं जानते कि अनुच्छेद ११८ के अधीन अध्यक्ष के क्या अधिकार हैं । संसद् कार्य मंत्री को यह नियम सभा के समक्ष रखने चाहियें । उन्होंने दो वर्ष पूर्व जो वचन दिया था उसको पूरा नहीं किया ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : इस सत्र में स्पष्ट कारणों से मैं वचन की पूर्त्ति नहीं कर सका पिछले सत्र में मैंने वचन दिया था परन्तु समयाभाव के कारण इस सत्र में मैं उसे पूरा नहीं कर सका ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : आपने दो वर्ष पूर्व वचन दिया था ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : नियम समिति द्वारा किये गये कार्य को सभा को अनुमोदित करना पड़ता है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : सभा ने संकल्प पारित कर नियम समिति को सभा की ओर से नियम बनाने का अधिकार नहीं दिया ह । बिना प्राधिकार के बनाया गया अधीनस्थ विधान अवैध होता है ।

नियम समिति ने दो-तिहाई बहुमत के विषय में अच्छा सुझाव दिया है । श्रीमान्, यह आप तय करें कि "पारित" शब्द अन्तिम प्रक्रम पर लागू होता है अथवा विधेयक का सिद्धान्त स्वीकार करते समय ।

†**श्री राधवाचारी** (पैनुकोंडा) : मूल प्रश्न तो यह है कि "पारित" शब्द केवल अन्तिम प्रक्रम पर लागू होता है अथवा सब प्रक्रमों पर । सरकार के विधि पदाधिकारियों और हम लोगों का मत है कि "पारित" शब्द केवल अन्तिम प्रक्रम पर लागू होता है । इस निर्वाचन को अशुद्ध नहीं माना जा सकता । अभी जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उनके अनुसार केवल अपने निर्वाचन को ही ठीक कहा गया है । वकील होने के नाते मैं कह सकता हूं कि ऐसी धारणा ठीक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रजी में

यह विषय नियम समिति में पहले उठ चुका है । उस समय सरकार के विधि अधिकारियों का यह मत था कि "पारण" का तात्पर्य केवल अन्तिम प्रक्रम से है । परन्तु हमने संविधान की गरिमा और पवित्रता को बनाये रखने के लिये कुछ प्रक्रमों पर विशेष बहुमत पर जोर दिया । और हमने "पारित" शब्द के शुद्ध निर्वाचन को नहीं माना । हमने सोचा कि विचार प्रक्रम पर तथा खण्ड-वार विचार के समय दो-तिहाई बहुमत होना चाहिये । इसीलिये हमने पुराने नियमों को बने रहने दिया ।

पिछली बार जब संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक सभा के समक्ष आया तो हमें केवल इस कारण कि दो-तीन सदस्य दरवाजे बन्द कर दिये जाने के कारण मतदान के समय सभा भवन से बाहर रह गये थे, सारी कार्रवाई फिर से करनी पड़ी । इसमें सभा के बहुत समय का अपव्यय हुआ । बात यह नहीं थी कि संसद् विधेयक को पारित नहीं करना चाहिये परन्तु कुछ प्रविधिक कठिनाइयां सामने थीं इसलिये वैसी बातें हुईं । उस समय सरकार ने महसूस किया कि वे इस निर्वाचन के अनुसार कि "पारित" शब्द केवल अन्तिम रकम पर लागू होता है, समस्त विधि में परिवर्तन कर दें । हमने सरकार से यह कहा कि यह सब प्रक्रमों पर लागू होना चाहिये । इन दोनों विचारों के समझौते स्वरूप जो कुछ हुआ है वह सभा के समक्ष है । मेरा विचार है कि "पारित" शब्द का निर्देश केवल अन्तिम प्रक्रम से है । नियम समिति के सदस्य होने के नाते मैं समझता हूं कि जिन संशोधनों का हमने प्रस्ताव किया है कि व्यावहारिक और उपयोगी हैं तथा उनसे गरिमा बनी रहेगी ।

"सर्वसम्मति से" शब्द अब हटा दिये गये हैं । अतः अब नियम १६७ के अधीन एक व्यक्ति सभा का कार्य नहीं रोक सकता । सर्वसम्मति का सम्बन्ध खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रखने से है । खण्ड सभा के बहुमत से पारित होंगे और एक व्यक्ति कार्यवाही नहीं रोक सकेगा ।

डा० कृष्णस्वामी का नियम १६७ सम्बन्धी संशोधन यह है कि "पारित" शब्द सब प्रक्रमों पर लागू हो । नियम १६९ के संशोधन में वह चाहते हैं कि विचार प्रक्रम, प्रवर समिति प्रक्रम आदि-आदि पर यह लागू न हो और केवल अन्तिम प्रक्रम के लिये ही विशेष बहुमत की आवश्यकता हो । ये दोनों संशोधन परस्पर विरोधी हैं । अतः हमने यह नियम पारित कर दिया है और व्यावहारिक सुझाव दिये हैं । इसे स्वीकार किया जाये ।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : मैं नियम १६९ सम्बन्धी अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं । नियम समिति ने पैरा ८ में कहा है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है । प्रवर समिति को सौंपने का तात्पर्य यह होता है कि हमने विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । अतएव इस प्रक्रम पर विशेष बहुमत का होना आवश्यक है ।

नियम १६७ के बारे में नियम समिति ने मेरा संशोधन मान लिया है । जैसा कि श्री राघवाचारी ने कहा कि एक सदस्य को सभा का कार्य नहीं रोकना चाहिये विशेषकर जब कि राज्यों का पुनर्गठन करने के लिये संविधान में संशोधन किया जा रहा है । इससे समय बचेगा और विधेयक शीघ्र पारित हो सकेगा ।

मैं श्री कामत से सहमत नहीं हूं । मेरा मत किसी माननीय सदस्य के अधिकारों को कम करना नहीं है । यदि यह संशोधन लाभदायक सिद्ध न हुआ तो हम इसमें और परिवर्तन कर सकेंगे । मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: मेरा निवेदन यह है कि संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में बनाये गये नियमों में निहित सिद्धान्त को भंग किये बिना नियम समिति ने बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है ।

एक-दो मूल आपत्तियां मैं नहीं समझ सका । यह सुझाव दिया गया था कि नियमों में ऐसा परिवर्तन सम्भवतः अनुच्छेद ३६८ के विरुद्ध जायेगा, तथा उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय में उसे चुनौती दी जायेगी और उसे समाप्त कर दिया जायेगा मुझे ऐसा कोई भय नहीं है क्योंकि अनुच्छेद ३६८ में पारित शब्द का अर्थ दिया गया है :

"इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब..... वह विधेयक पारित हो जाता है....."

शब्दों से पता चलता है कि दो प्रक्रमों की कल्पना की गई है—पुरःस्थापन प्रक्रम और पारण प्रक्रम । विधेयक के और भी प्रक्रम होते हैं । अतएव मैं समझता हूं कि अनुच्छेद ३६८ का शुद्ध विधिक निर्वचन यही हो सकता है कि उसका सम्बन्ध विधेयक को पारित करने से है । इन नियमों में भी हमने अन्य प्रक्रमों अर्थात् पुरःस्थापन, प्रवर समिति को सौंपना, प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना आदि प्रक्रमों की कल्पना की है । इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिये कि "पारित" शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है उससे अनुच्छेद ३६८ का निर्वचन भिन्न हो सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे ने यह तर्क दिया कि ऐसे निर्वचन पर उस प्रकार के नियम बनाये गये थे और उनका प्रयोग कुछ लोग यह तर्क देने के लिये कर सकते हैं कि अब जो कुछ हम कर रहे हैं वह संविधान के विरुद्ध है । वास्तव में निर्वचन कुछ भी हो यह सभा यदि चाहे तो नियम बनाते समय अन्य निर्बन्धन लगा सकती हैं । सम्भवतः इसी कारण जब ये नियम बनाये गये थे तो विशेष निर्बन्धन लगाये गये थे ।

नियमों की मान्यता के बारे में मेरे विचार में वह वर्तमान प्रयोजनों के लिये संगत नहीं है । वह भिन्न बात है । मेरा सुझाव यह है कि नियम समिति द्वारा किये गये वर्तमान संशोधन बहुत सरल हैं । नियम १६७ के परन्तुक में से "सर्वसम्मत" शब्द निकाल दिया गया है । उद्देश्य केवल यह है कि एक सदस्य को कार्यवाही नहीं रोकनी चाहिये और खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रखने के लिये अध्यक्ष को शक्ति दी जानी चाहिये । मुझे आशा है कि जब किसी बात के लिये अध्यक्ष को शक्ति दी जाती है तो वह सभा की इच्छा जान कर ही किया जाता है ।

जहां तक नियम १६७ का सम्बन्ध है कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । उन लोगों को हो सकती है जो यह सोचें कि अध्यक्ष का बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता । परन्तु इस बात को देखते हुए कि उन्हें खण्ड एक साथ रखना चाहिये अथवा नहीं, सभा की इच्छा जानना चाहिये अथवा नहीं.....

†**श्री कामत** : सामान्य विधेयकों के लिये नियम १२६ के बारे में आप का क्या विचार है ?

†**श्री पाटस्कर** : नियम १६९ के बारे में समिति ने क्या सुझाव दिये ? सब महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उनका कहना है कि बहुमत की आवश्यकता होगी । उदाहरणार्थ, यह प्रस्ताव हो "कि प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विधेयक पर विचार किया जाये ।" तो इस प्रक्रम को उन्होंने स्वीकार किया है कि संवैधानिक उपबन्धों को देखते हुए ऐसा बहुमत होना चाहिये । परन्तु जब प्रस्ताव केवल यह हो " कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये" और जब प्रवर समिति

†मूल अंग्रेजी में

के प्रतिवेदन पर विधेयक को फिर से सभा के समक्ष लाया जाना हो तो ऐसे बहुमत की आवश्यकता नहीं है और इस विषय में नियम समिति ने ठीक सुझाव दिया है। संविधान के अनुच्छेद ३६८ में जिन निर्बन्धनों की कल्पना की गई है उनके अतिरिक्त इस बात का निर्बन्धन लगाया गया है। इस प्रस्ताव के लिये "कि विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये अथवा राय जानने के लिये उसका परिचालन किया जाये" यह आवश्यक नहीं कि ऐसा बहुमत हो। अतएव नियम समिति की ये सिफारिशें केवल संविधान से सुसंगत ही नहीं अपितु इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयकों पर कतिपय युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाने के लिये भी की गई हैं।

†**सरदार हुक्म सिंह** : मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है और उत्तर देने का दायित्व भी मेरा है। साधारण विधेयकों के लिये नियम १२६ (२) परन्तुक से सदस्य को सभा के निर्णय को वीटो करने की शक्ति देता है। वह यह कह सकता है कि अमुक खण्ड को अलग से रखा जाये और अध्यक्ष उस खण्ड पर अलग से सभा का मत लेने के लिये बाध्य है। मेरे विचार से नियम १२६ और १२७ के संशोधित रूप में कोई असंगति नहीं है। खण्ड १२६ के शब्द ये हैं :

".....अध्यक्ष उस खण्ड को अलग से मतदान के लिये प्रस्तुत करेगा।"

किन्तु खण्ड २, ४ और ५ को एक साथ मिलाया जा सकता है।

†**श्री कामत** : यदि मैं कहूं कि खण्ड ४ को अलग से रखा जाना चाहिये ?

†**सरदार हुक्म सिंह** : तो खण्ड ४ को अलग से प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि अमुख खण्ड को अलग रखा जाये किन्तु वह यह नहीं कह सकता कि अमुक खण्ड को मिलाकर या एक साथ नहीं रखा जाना चाहिये।

जो वाद-विवाद हुआ वह आप को स्मरण होगा। किसी खण्ड को अलग से रखा जाये, यह शक्ति सदस्य से वापस लेने का कोई विचार नहीं है। मेरे विचार से इन बातों को भली प्रकार समझ लेना चाहिये। यदि खण्डों को एक साथ लिया जाता है तो भी पारित करने के लिये दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। सदस्य को दी गई शक्ति वापस नहीं ली गई है। सभा के दो-तिहाई बहुमत की शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई ह। जब तक दो-तिहाई बहुमत न हो तब तक उन खण्डों को पारित नहीं समझा जायेगा। यह शक्ति है और नियम समिति की यह राय है कि सामान्य सदस्य को दी गई शक्ति वापस नहीं ली जानी चाहिये।

जहां तक उन खण्डों को एक साथ मिलाने का सम्बन्ध है, उसका उपवर्जन नहीं किया गया है। यदि किसी सदस्य को आपत्ति न हो तो सारे खण्डों को एक साथ लेने से समय की बचत की जा सकती है। किन्तु क्या खण्डों को एक साथ लेने पर सभा की पूर्ण सर्वसम्मति होनी चाहिये ? खण्डों को पारित करने के लिये भी दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या खण्डों को पारित करने से अधिक इन चीजों पर जोर दिया जाना चाहिये ? अतः मेरी राय में जब नियम समिति ने इतना न्यायोचित कार्य किया है तो जहां तक खण्डों को मिलाने का प्रश्न है, अध्यक्ष सभा की राय ले सकता है। प्रत्येक सदस्य, यदि वह भिन्न मत देना चाहे तो अध्यक्ष से उस खण्ड को अलग से लेने के लिये कह सकेगा।

अब नियम १६७ और १६९ के बारे में यह तर्क दिया गया है कि "पारित" शब्द का अर्थ केवल उसी प्रक्रम से है जब कि प्रस्ताव किया गया था अथवा उसमें सभी प्रक्रम सम्मिलित किये जाने चाहियें। मेरे विचार से सभा के बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिनकी यह राय है कि संविधान में अनुच्छेद ३६८ का तात्पर्य केवल अन्तिम प्रक्रम से है। नियम समिति ने स्वीकार किया है कि केवल अत्यधिक सावधानी बरतने के कारण ही उसने यह नहीं कहा कि केवल उसी अंश में दो-तिहाई बहुमत लागू होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार हुक्म सिंह]

विधेयक के अनेक प्रक्रम होते हैं । प्रथम प्रक्रम में दो-तिहाई बहुमत की बात कोई नहीं कहता । पुरःस्थापन तो गजट में अधिसूचना के द्वारा भी हो सकता है ।

अब विधेयक का दूसरा प्रक्रम अर्थात् विधेयक पर विचार करने के प्रक्रम को लीजिये । इसके बारे में प्रभारी सदस्य को प्रस्तुत करने या प्रवर समिति को सौंपने आदि अथवा अन्ततोगत्वा उसे राय जानने के लिये परिचालित कराने की शक्ति है । विधेयक पर विचार करने को प्रक्रम तक पहुंचने के लिये ये केवल बीच की कार्यवाही है । जनता की राय अथवा संयुक्त समिति आदि की राय जान लेने के पश्चात् हम फिर उसी स्थिति पर आ जाते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभा को किस विधेयक पर विचार करना है, किस रूप में उस पर विचार करना है । मेरे विचार से प्रस्ताव को पारित करने के लिये प्रक्रम खण्डवार विचार करने के पश्चात् पारित करना होता है । प्रवर समिति को सौंपने अथवा जनता की राय जानने के लिये भेजने से हमारी कोई हानि नहीं होती ।

तर्क यह किया गया है कि हम विधेयक को मानने के लिये वचन-बद्ध हैं । किन्तु बात वस्तुतः ऐसी नहीं है । क्या सभा को एक खण्ड के अतिरिक्त अन्य खण्ड अस्वीकृत कर देने की शक्ति नहीं है ? श्री मोरे मेरी बात से भिन्न मत रखते हैं । प्रत्येक खण्ड को स्वीकार करने के लिये हम बाध्य नहीं है ।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : विचार करने के प्रक्रम पर ही हम सारे विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं ।

†**सरदार हुकम सिंह** : विचार करने का प्रक्रम नहीं, मैं प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रक्रम की बात कह रहा हूं । क्या हम इन खण्डों को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं ? क्या प्रवर समिति इन्हें अस्वीकार नहीं कर सकती या उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती ? खण्ड विशेष में परिवर्तन करने के लिये हम बाध्य नहीं किये जा सकते ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : प्रवर समिति भी सिफारिश कर सकती है कि विधेयक को वापस ले लिया जाये ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : हां, ऐसा भी हो सकता है । प्रवर समिति यह नहीं कह सकती कि वह इस पर विचार नहीं कर सकती ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : कुछ विधेयकों में सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त होता है । हम भले ही उसे प्रवर समिति को सौंपे किन्तु सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

जब तक ठोस चीज इस बारे में न बताई जाये कि यह सिद्धान्त है जिससे हम बाध्य हैं तब तक मैं किसी भी आरोप का उत्तर नहीं दे सकता । संविधान (नवम् संशोधन) विधेयक के बारे में हम इस सिद्धान्त से बाध्य हैं कि जहां तक उन विशेष खण्डों का सम्बन्ध है, संविधान में संशोधन किया जाना है । किन्तु प्रवर समिति और सभा को उन्हें अस्वीकार करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त हैं । प्रवर समिति इस बात से इन्कार नहीं कर सकती कि वह इनमें संशोधन नहीं करेगी । इन खण्डों में संशोधन करने और उन पर निर्णय करने के लिये हम बाध्य अवश्य हैं । अतः हमें इससे भय नहीं होना चाहिये कि हम इसके लिये बाध्य हैं और यह कोई गम्भीर चीज है । प्रवर समिति को सौंपने के लिये भी दो-तिहाई बहुमत चाहिये ।

मेरी राय में सर्व-सम्मति की आवश्यकता नहीं । इसे प्रवर समिति को भेजने का कोई लाभ नहीं होगा । हम चाहें तो यह समय बचा सकते हैं । इस प्रकार मैं सभा से अपने प्रस्ताव की सिफारिश करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम संख्या १६७ और १६९ उस विशेष प्रक्रिया के सम्बन्ध में हैं जो उस समय अपनाई जाती है जब संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक सदन के समक्ष होता है। नियम समिति ने इन नियमों में रूप भेद किये थे।

श्री कामत का संशोधन यह था कि प्रस्तावित संशोधन को वापस ले लिया जाये। यह निषेधात्मक संशोधन है। ऐसा संशोधन नहीं हो सकता कि विधेयक का कोई खण्ड हटा दिया जाये। उस खण्ड को सभा अस्वीकृत कर सकती है। अतः श्री कामत का संशोधन संशोधन ही नहीं है।

मूल प्रतिवेदन के सम्बन्ध में श्री नम्बियार ने यह संशोधन रखा है कि 'सर्व-सम्मति' शब्द हटा दिये जायें। इस सम्बन्ध में दो मत हैं। सरकार का मत है कि विधेयक के पारित होने के समय कुल सदस्यों के विशेष बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत की आवश्यकता है न कि विधेयक के सभी प्रक्रमों में। दूसरे सदस्यों का मत यह है कि सभी प्रक्रमों में इसकी आवश्यकता है।

संविधान में भी विभिन्न प्रक्रमों का उल्लेख है। अनुच्छेद ३६८ में पहले भाग में पुरःस्थापन और बाद में पारित होने का उल्लेख है। इसी अनुच्छेद में पुरःस्थापन के प्रक्रम में बहुमत और पारित होने के समय के बहुमत में अन्तर का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि संविधान बनाने वालों को विधेयक के प्रक्रमों का ध्यान था। अनुच्छेद ११७ (३) में भी विचारार्थ प्रक्रम और पारित होने के समय का स्पष्ट उल्लेख है।

वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में यह है कि जब तक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो उस पर विचार नहीं किया जा सकता ताकि सभा का समय व्यर्थ न जाये।

इस प्रकार सरकार की यह धारणा अधिक सबल है कि अनुच्छेद ३६८ में जिस विशेष बहुमत की आवश्यकता है वह विधेयक के पारित होने के प्रक्रम से सम्बन्धित है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि अधिक बहुमत का उपबन्ध करने से कोई हानि न होगी। परन्तु संविधान का उपबन्ध यह है कि अन्य सभी प्रक्रमों में साधारण बहुमत की आवश्यकता है। यदि कुल सदस्यों का १० प्रतिशत अर्थात् ५० सदस्य उपस्थित हों तो एक संविधान के संशोधन सम्बन्धी विधेयक में भी २६ सदस्य बहुमत होंगे। विधेयक पारित करने के समय भले ही माननीय सदस्य विधेयक को अस्वीकृत कर सकते हैं परन्तु तीसरे प्रक्रम में चर्चा विस्तारपूर्वक नहीं हो सकती अतः नियम समिति ने बुरी स्थिति को बहुत सुधार दिया है।

नियम १६७ में कहा गया है कि विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर मत लिया जायेगा और वह विशेष बहुमत से पारित होगा। परन्तुक में केवल यह कहा गया है कि यदि कोई संशोधन न हो तो कुछ खण्डों को जो लगातार हों सभा की सर्व समति से मतदान के लिये एक साथ रखा जा सकता है। उन्हें अलग से रखा जाये अथवा एक साथ विशेष बहुमत आवश्यक होता है। प्रत्येक खण्ड पर मत विभाजन करने से समय का अपव्यय होता है। इसीलिये, अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह लोक-सभा की सहमति से सभी खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रख सकता है। पर, यदि कोई सदस्य किसी एक खण्ड को अलग से रखवाना चाहता है, तो उसे अलग से ही रखा जायेगा।

श्री कामत ने नियम १२६ का हवाला दिया है, पर वे यह भूल गये हैं कि अध्यक्ष यदि चाहे तो सभी खण्डों को एक साथ भी मतदान के लिये रख सकता है। नियम १२६ के पहले भाग में पूर्ण शक्ति अध्यक्ष के स्वविवेक को ही दी गई है। उसके लिये सर्वसम्मत सहमति ही नहीं, बहुमत की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

यह सही है कि इस नियम के अन्तर्गत जब अध्यक्ष कहता है कि जिन खण्डों पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है उनको एक ही साथ मतदान के लिये रखा जाये, तब कोई भी माननीय सदस्य किसी खण्ड विशेष को अलग से रखे जाने की मांग कर सकता है। नियम समिति में भी मैंने अपना यही दृष्टिकोण रखा था। मेरा विचार यह है कि नियम १६७ नियम १२७ के अधीन है। नियम १७१ भी काफी स्पष्ट है। नियम १६७ में भी कहा गया है कि अध्यक्ष सभी खण्डों को एक साथ भी प्रस्तुत कर सकता है। यह वैकल्पिक है। यदि पांच सौ सदस्यों में से कुल बीस ही को किसी खण्ड पर कोई आपत्ति है, और वे विलम्ब करने के लिये ही व्यर्थ में अलग-अलग खण्डों को प्रस्तुत किये जाने की मांग करते चले जाते हैं, तो अवश्य ही अध्यक्ष को स्वविवेक से काम लेना पड़ेगा। इससे कोई गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिये। यह तो "सर्व-सम्मति" शब्द को हटा कर ही किया जा सकता है। लोक-सभा की "सहमति" शब्द इसके लिये पर्याप्त है। किसी भी सदस्य को यह भय नहीं होना चाहिये कि लोक-सभा की शक्ति छीन ली जायेगी या संविधान का कोई संशोधन पूर्ण रूप से विचार किये बिना ही पारित कर दिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में मैं अब नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में सुझाये गये इस संशोधन को कि वर्तमान नियम बना रहे और "सर्व सम्मति" शब्द के बिना परादिक को लोक-सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि सभी खण्ड एक साथ रखे जा सकें।

प्रश्न यह है :

"नियम १६७ के प्रथम परन्तुक में से शब्द 'unanimous' 'सर्व-सम्मति' हटा दिया जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक नियम १६९ का सम्बन्ध है, विधेयक की पुरःस्थापना के बाद कई प्रक्रम होते हैं—विचार प्रस्ताव, संयुक्त या प्रवर समिति को सौंपना, परिचालन, आदि। इसे सभी मानते हैं कि परिचालित प्रस्ताव को पारित करने के लिये किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। जहां तक विचार करने के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। उसके लिये बहुमत की आवश्यकता है। प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है। प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने का भी एक प्रस्ताव होता है। लोक-सभा उस पर विचार करने के प्रस्ताव को भी रद्द कर सकती है। लोक-सभा कई तरीकों से किसी विधेयक को पारित होने से रोक सकती है। नियम समिति का विचार यह है कि प्रारम्भिक अवस्था में, प्रवर समिति को सौंपने के समय तब तक सदस्यों की दिन प्रति दिन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जब तक कि प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है। इससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती है। कुछ व्यक्तियों का तो यह भी मत था कि विधेयक के किसी भी प्रक्रम पर किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये; पर हमने उसे सीमित कर दिया है कि प्रवर समिति से वापिस आने पर लोक-सभा उस पर विचार करके बहुमत पर आग्रह कर सकती है। नियम समिति ने कोई अनावश्यक सीमा निर्धारित करना उचित नहीं समझा। उसने कोई विशेष उपबन्ध रखना भी अनावश्यक समझा है। लोक-सभा के अधिकारों का पूर्ण रूप से संरक्षण किया गया है। अब मैं नियम समिति द्वारा किये गये संशोधन को लोक-सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

पहले मैं श्री नम्बियार के सारवान् संशोधन को लेता हूं, जिसके द्वारा वे चाहते हैं कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के पहले के प्रक्रम में भी विशेष बहुमत आवश्यक होना चाहिये।

†**श्री कामत :** मेरा भी एक संशोधन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं दोनों को साथ-साथ ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान नियम १६९ में संशोधन करने का श्री नम्बियार का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जो अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा नियम समिति के तृतीय प्रतिवेदन से, जो २५ अप्रैल, १९५६ को लोक-सभा पटल पर रखा गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोक-सभा उन संशोधनों से सहमत हुई जिनकी सिफारिश नियम समिति ने की थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, और लोक-सभा उन संशोधनों से सहमत है जिनकी सिफारिश नियम समिति ने की है।

राज्य पुनर्गठन विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब लोक-सभा २३ अप्रैल को गृह-कार्य मंत्री द्वारा राज्य पुनर्गठन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी। अब माननीय गृह-कार्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) :** श्रीमान्, गत डेढ़ घंटे में हमें यह अध्ययन करने का काफ़ी समय मिला कि लोक सभा में किस प्रकार चर्चा की जाये जिससे कि उससे लाभ हो। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मुझे भी कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है।

श्रीमान्, राज्य पुनर्गठन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का सुझाव देते हुए सोमवार को मैंने जो प्रस्ताव लोक-सभा के समक्ष रखा था उस पर लगभग तीन दिन तक चर्चा हो चुकी है और वाद-विवाद में लगभग पचास भाषण दिये जा चुके हैं। इस सुदीर्घ वाद-विवाद के परिणामस्वरूप जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं इस क्रम पर उनके विस्तृत परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर रहे हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि व्यक्त किये गये विचारों और दिये गये सुझावों को ध्यान में रखा जाये ताकि संयुक्त समिति के सदस्य लोक-सभा के सदस्यों द्वारा प्रकट किये गये विचारों से लाभ उठा सकें।

वाद-विवाद से बहुत लाभ हुआ है। लोक-सभा के वातावरण और सदस्यों के व्यवहार में भारी परिवर्तन देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक या दो अवसरों को छोड़ कर वाद-विवाद उच्चस्तर पर, सम्मान और प्रतिष्ठा से किया गया। विचाराधीन विषयों के कारण देश के कई स्थानों पर गड़बड़ी हो गई थी। समय बीतने पर वह तनाव ख़त्म हो गया है। गत दिसम्बर में, जबकि विधेयक की प्रस्थापनाओं से मिलती-जुलती अन्य प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा था, उस समय वातावरण काफ़ी निराशाजनक हो गया था। बहुत से सदस्यों ने निरुत्साहित, निराश और चिन्तित हो कर भाषण दिये थे। अब परिस्थितियां फिर काफ़ी सुधर गई हैं।

गत तीन दिन में दिये गये भाषणों को हमने सुना है। सभी ओर सफलता अनुभव की जा रही थी और जो लोग इस भावना से सहमत नहीं भी थे वे भी सद्भावना और सचाई से प्रेरित थे। परन्तु हम कह सकते हैं कि विधेयक में दी गई योजना को लोक-सभा का सामान्य अनुमोदन प्राप्त है। अधिकतर वाद-प्रतिवाद बम्बई नगर के बारे में हुआ। उस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। इस प्रश्न पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

केवल लोक-सभा में ही नहीं बल्कि बाहर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी है और इस समस्या में रुचि रखने वाले लोगों ने इसकी भलाई-बुराई को अच्छी तरह जांच लिया है। परन्तु यदि आप बम्बई की समस्या को जो कि एक बड़ी जटिल समस्या है और जिसके लिये प्रस्तावित हल अभी तक कुछ सदस्यों और जनता को सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होते हैं, अलग रहने दें तो हम देखेंगे कि विधेयक की प्रस्थापनाओं को लोक-सभा का समर्थन प्राप्त है। केवल मुझे ही नहीं बल्कि माननीय सदस्यों को भी इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिये कि राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पेचीदा, नाजुक और उलझन वाले मामलों को सन्तोषजनक ढंग में निबटाया जा चुका है। अधिकतर मामलों के प्रतिवाद निबटाये जा चुके हैं।

माननीय सदस्य कल्पना करें कि हम सब कितने कठिन और कितने महान कार्य करने में जुटे हैं। वास्तव में हम भारत के नक्शे को पुनः खींच रहे हैं और यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि लोकतन्त्र प्रणाली और लोक-सभा के सदस्यों और जनता के सहयोग और सद्भावना से हम उन परिणामों पर पहुंच गये हैं जोकि इस विधेयक में रखे गये हैं और जिन्हें देश की अधिकांश जनता का आशीर्वाद प्राप्त है।

श्रीमान्, चर्चा के दौरान में कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा था और वैसे भी यह कहा जाता है कि यदि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का कठोरता से पालन किया जाता तो उसमें अधिक भलाई थी। मैं सुरक्षा चाहता हूं परन्तु इसके लिये मैं जनता के सुख और कल्याण को खतरे में नहीं डालना चाहता। हमने आयोग की सिफारिशों को काफ़ी महत्व दिया है और माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर हमने देश का वातावरण इस प्रकार बनाने का, जिससे कि प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया जाये, हर सम्भव प्रयत्न किया था। हमने इस बात का प्रयत्न किया था कि सिफारिशों को सहानुभूति और आदर से स्वीकार किया जाये। परन्तु हमने अपने काम को नहीं छोड़ा। सिफारिशों का हार्दिक स्वागत करने के लिये लोगों को तैयार करते समय हमें उनकी राय का भी पता लगाना था और इस बात का भी ध्यान रखना था कि सम्बन्धित लोगों और समुदाय के सामान्य अनुमोदन से ही अन्तिम निर्णय किये जायें। इसलिये कुछ परिवर्तन करना आवश्यक था। मैं चाहता हूं कि वे लोग, जिनका मत यह था कि आयोग की प्रस्थापनाओं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाना चाहिये था, यह देखें कि यदि उन सिफारिशों को ज्यों का त्यों विधेयक में रख लिया जाता तो आज की हालत अच्छी होती या बुरी।

सब से पहले आयोग ने बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाने का सुझाव दिया था। इस विषय में मैं अपने विचार कई बार प्रकट कर चुका हूं। परन्तु हमारे महाराष्ट्र के मित्रों ने उस सुझाव को देखना तक भी पसन्द नहीं किया। उन्हें इस से असीम घृणा थी। इन परिस्थितियों में इसे उन पर ठोंसना बुद्धिमत्ता नहीं होगी और इससे हम देश में वह शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा न कर पाते जो कि किसी देश के विकास और प्रगति के लिये आवश्यक है। उसे तद त्याग दिया जाना था। हमारे समक्ष अन्य प्रस्ताव भी थे। किन्तु जहां तक इस दृष्टिकोण का सम्बन्ध है उसके विकल्प में विदर्भ के साथ महाराष्ट्र राज्य का गठन, गुजरात और केन्द्र प्रशासित बम्बई की स्थापना के लिये सुझाव थे। जहां तक विदर्भ को मिलाकर महाराष्ट्र के गठन का सम्बन्ध है, उसका स्वागत हमारे महाराष्ट्रीय मित्रों द्वारा किया गया था और महाराष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को यह परिवर्तन पसंद था। जैसा कि आयोग का प्रस्ताव था, यदि विदर्भ को अलग रखा गया होता तो क्या हमें लाभ होता? आयोग की सिफारिशों के अनुसार विदर्भ एक पृथक् राज्य के रूप में कुछ समय के लिये नहीं अपितु सदा के लिये गठित किया जाने वाला था। मौजूदा परिस्थितियों में यदि हमने उक्त सिफारिश को स्वीकार किया होता तो मेरा ख्याल है कि हम एक बहुत गंभीर खतरा मोल ले रहे थे।

इसलिये उक्त सिफारिश के बजाय हमने विदर्भ को और महाराष्ट्र के अन्य जिलों को मराठवाड़े में विलीन होने के लिये तैयार किया ताकि महाराष्ट्र एक संयुक्त राज्य बन सके। जहां तक इसका सम्बन्ध है, किसी को भी आपत्ति नहीं है और सभी ने उसके बारे में संतोष प्रकट किया है। हमने एक संयुक्त गुजरात राज्य का सुझाव दिया जिसमें सौराष्ट्र और बम्बई राज्य के अन्य जिले सम्मिलित किये गये थे। इस प्रस्ताव का भी स्वागत किया गया है।

जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के निर्माण के साथ केन्द्र प्रशासित बम्बई का जो प्रस्ताव है उस पर महाराष्ट्र के मेरे मित्रों को भी आयोग द्वारा विदर्भ-विहीन द्विभाषी राज्य सम्बन्धी सिफारिश पर कम ही आपत्ति होगी। यदि हम बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात के लिये अधिक बड़े भाषावार राज्य गठित करने में सफलता प्राप्त कर लेते तो हमें काफी प्रसन्नता होती। उससे कई लोगों की कल्पना साकार हो जाती। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी प्रगति का लक्ष्य और भी पास आ जाता। किन्तु हमें अब तक सफलता नहीं मिली है। श्री एस० एस० मोरे ने काफी विचार के उपरान्त एक योजना बनाई है जो मेरे पास थी, और यदि योजना भी स्वीकार कर ली जाती तो मेरे लिये वह अत्यंत हर्ष की बात होती। किन्तु वह भी साकार नहीं हो सकी है। बम्बई के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं किन्तु इतना ही कह सकता हूं। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का निर्माण दोनों जाति समुदायों की आंतरिक भावनाओं से आयोग के मूल प्रस्ताव की अपेक्षा अधिक अनुरूप समझी जाती है। मौजूदा परिस्थितियों में हम उनकी उदारता और प्रयास पर निर्भर रह सकते हैं जिससे कि यह दोनों राज्य अपने परस्पर सहयोग और रचनात्मक कार्य से न केवल अपने-अपने राज्यों में नहीं वरन् सारे देश में व सामान्य जनता का स्तरोन्नयन करें जैसा कि उन्होंने अतीत में किया है। इसलिये जो परिवर्तन किया गया है वह अच्छे के लिये ही किया गया है।

अब हमें यह देखना है कि हमने कौन-से अन्य परिवर्तन किये हैं। आयोग ने इस आशय का सुझाव दिया था कि अवशिष्ट हैदराबाद राज्य को, जिसे तेलंगाना कहा जाता है आन्ध्र से पांच वर्ष के लिये और संभवतः और अधिक समय के लिये अलग रखा जाये। परन्तु आन्ध्र-तेलंगाना राज्य बनाया गया है और यह संयुक्त राज्य अन्य राज्यों के साथ १ अक्तूबर को अस्तित्व में आयेगा ऐसी आशा मैं करता हूं। इससे भी आन्ध्र की जनता को संतोष प्राप्त हुआ है। वह अपनी आशंकाओं की पूर्ति के बारे में उत्सुक थी और आन्ध्र-तेलंगाना राज्य के निर्माण पर उसे हर्ष होना स्वाभाविक है।

जब कि मैं तेलंगाना और आन्ध्र के एकीकरण के बारे में बोल रहा हूं तो मैं बेल्लारी का भी निर्देश कर दूं। तेलंगाना के आन्ध्र में विलीन किये जाने पर उन्हें एक छोटे प्रदेश के सम्मिलित किये जाने का मोह नहीं हो सकता है। इसलिये बेल्लारी को किसी अन्य राज्य में मिलाने की आवश्यकता हमें प्रतीत नहीं होती है। मिश्र पंचाट और वांचू पंचाट द्वारा भी बेल्लारी को मैसूर या कर्नाटक में मिलाये जाने की सिफारिश की गई थी। उसे भी आन्ध्र के नेताओं द्वारा इससे पूर्व किसी समय स्वीकार कर लिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी तुंगभद्रा परियोजना की उचित क्रियान्विति, देखभाल और प्रबन्ध का उपबन्ध करने के उद्देश्य से बेल्लारी को किसी अन्य राज्य में रखे जाने की सिफारिश की थी। इसका पूर्ण उपबन्ध किया गया है और हमने यह दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इसलिये अब सभी सम्बन्धित जनों को इससे संतोष होना चाहिये।

हिमाचल प्रदेश को पृथक रखा गया है। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि जब राज्य पुनर्गठन विधेयक को परिचालित किया गया था तब व्याख्यात्मक टिप्पण में इस आशय का एक छोटा-सा परिच्छेद था कि अंततोगत्वा हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलीन किया जायेगा। इससे हिमाचल प्रदेश में काफी असंतोष फैला है। वह पंजाब के साथ भी अंततोगत्वा विलीन होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

[पंडित जी० बी० पन्त]

इसी से उनकी भावनाओं की तीव्रता जानी जा सकती है । मौजूदा परिस्थितियों में कुछ समय के लिये, कितने समय के लिये यह मैं कह नहीं सकता हूं । हिमाचल प्रदेश को पृथक रखने के लिये हमने जो परिवर्तन किया है वह निश्चय ही एक ऐसी कार्यवाही है जो हिमाचल प्रदेश की जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करती है और इस कारण संतोषजनक समझी जानी चाहिये ।

हमने जो दूसरा परिवर्तन किया है वह पंजाब के बारे में है । पंजाब और पेप्सू अब मिल कर एक संगठित राज्य बनेगा । मैंने कुछ समय पूर्व इस सभा पटल पर जो योजना रखी थी उसके अनुसार वहां दो प्रादेशिक समितियों की स्थापना करने का निर्णय हमने किया है । रिसता हुआ घाव अब भर गया है और पंजाब, जोकि देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने योग्य था और जो वीरों की उस भूमि में रहने वाले लोगों के दो महत्वपूर्ण गुणों में मतभेद होने के कारण प्रगति नहीं कर सका था, अब प्रगति और विकास के लिये अनवरत प्रयास करेगा । मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग इन दो प्रदेशों को "पंजाबी भाषी" और "हिंदी भाषी" कहने के बजाय "पूर्वी" और "पश्चिमी" कहना अधिक पंसद करेंगे। मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी । इस बात की जांच भी की गई थी कि क्या न्यायालयों में दोनों भाषाओं में आवेदन किये जा सकते हैं । हमारे संविधान के अनुसार देश के किसी भी न्यायालय में और किसी भी कार्यालय में १४ भाषाओं में से किसी भी भाषा में आवेदनपत्र दिये जा सकते हैं । इसलिये इस बारे में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये ।

मैंने प्रधान परिवर्त्तनों का उल्लेख किया है । अब तक हमने त्रिपुरा को आसाम से पृथक रखा है । हमने यह कार्यवाही त्रिपुरा और आसाम की जनता के अनुरोध और आग्रह पर की है । किन्तु जनमत बदल चुका है और यदि दोनों राज्य त्रिपुरा को आसाम में सम्मिलित किये जाने पर सहमत हो जायें तो मझे कोई आश्चर्य नहीं होगा । किन्तु उस पर संयुक्त समिति को विचार करना होगा ।

मैंने किये गये परिवर्तनों का उल्लेख किया है और मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि जो कुछ हमने किया है उससे मतभेदों को दूर करने में काफी सहायता मिली है । विधेयक में जो योजना निहित है उसे अधिकांश प्रस्तावों से सम्बिन्धित प्रायः सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है । जैसा कि मैं कह चुका हूं कि विवाद का केन्द्र बम्बई है । उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा । जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, उनके विषय में सामान्य सहमति है । इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, वह ठीक है और हम अपना लक्ष्य यथासंभव शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे ।

विधेयक पर चर्चा के दौरान में कुछ अन्य मामलों की ओर भी निर्देश किया गया था । मेरे विचार से मैं सीमाओं के पुनः समायोजन के प्रश्न को निपटा चुका हूं । बंगाल-बिहार के विलय के मामले पर भी कुछ आलोचना की गई थी । मैं समझता हूं कि यह आलोचना व्यर्थ है, क्योंकि हमें अभी मालूम नहीं कि यह प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत होगा भी या नहीं ।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : क्या विलय प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मुझे मालूम नहीं, आप मुझ से अधिक जानते हैं ? जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं राज्यों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहा हूं । जहां तक विलय या एकीकरण का या संविलय के मामले का सम्बन्ध है, दोनों प्रभावित राज्यों की स्वीकृति, सहमति और इच्छा के बिना कोई कदम उठाना संभव नहीं होगा ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : क्या "राज्य" से आपका अभिप्राय "मुख्य मंत्रियों" से है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मुख्य मंत्री का काम अपने-अपने राज्यों के लोगों का पथ प्रदर्शन करना है और उनकी इच्छानुसार कार्य करना है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : क्या जनमत जानने के लिये कोई विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : जैसा कि हम अन्य मामलों में लोगों की राय जानने की कोशिश करते रहे हैं इसी तरह इस मामले में भी किया जायेगा; और जो भी निर्णय किये जायेंगे उनसे कम से कम यह तो प्रकट होगा कि वे लोगों की इच्छा के अनुसार किये गये हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : मुझे आपत्ति है ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : क्यों आपत्ति है ? आपको अपने आप में विश्वास नहीं है । अन्यथा, सब को यह आशा क्यों नहीं करनी चाहिये कि जो भी हल निकाला जायेगा वह दोनों राज्यों के लोगों की मंजूरी से निकाला जायेगा । मेरा अभिप्राय है अधिकांश लोगों की मंजूरी से; क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन के अपने विचित्र विचार होते हैं किन्तु यह और बात है । अधिकांश जनमत को इन प्रस्तावों का समर्थन करना चाहिए, अन्यथा इन्हें सफल नहीं बनाया जा सकता है । मैं यह नहीं समझ सका हूं कि इस विषय में आज इतनी उत्तेजना क्यों फैली हुई है, जबकि कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है और इस समस्या में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति इस बात पर विचार कर रहे हैं जिनसे कि अन्तिम परिणाम वस्तुत: संतोषजनक हो और दोनों राज्यों की प्रगति में सहायक हो; किन्तु आदत की बात है । कभी-कभी लोगों को बिगड़ी हुई स्थिति को अनुचित लाभ उठाने से रोका नहीं जा सकता है । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, हम इन राज्यों द्वारा किये गये निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे । फिर इन राज्यों के बारे में एक विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा । संयुक्त समिति का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पिछले तीन दिनों की चर्चा में ज़ोनल (प्रादेशिक) परिषदों की भी आलोचना की गई है । जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, जब माननीय प्रधान मंत्री ने दिसम्बर में अपने भाषण में इन परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था, तो सदन के सभी विचारधाराओं वाले सदस्यों ने यह कह कर इसका स्वागत किया था कि यह पृथकवाद, प्रांतीयता और अन्ध भाषावाद को अन्त करने का एक प्रयावोत्पादक तरीका था । सदन ने इस सुझाव का सर्व-सम्मति से समर्थन किया था । राज्यों की मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उस में भी, इस का लगभग सभी ने समर्थन किया था । कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि जोनल परिषदों को संविहित शक्तियां दी जाये । मेरे विचार में ऐसा करना हानिकारक होगा । राज्यों की स्वाटत्तता बनाई रखी जानी चाहिये । सामान्य हित के मामलों पर चर्चा करने के लिये और विकास कार्य की प्रगति के लिये, जोनल परिषदों के द्वारा राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित की जा सकती हैं, किन्तु अन्तिम निर्णय करने का अधिकार राज्यों के हाथ में रहना चाहिये । जोनल परिषदों को राज्यों के अधिकारों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या इन परिषदों की योजना वही है जो कि अनुच्छेद २६३ में उल्लिखित परिषदों के सम्बन्ध में है ?

†**पंडित जी० बी० पंत** : मुझे मालूम नहीं, यह योजना राज्य पुनर्गठन आयोग में आपके सामने है । अन्तर यह है कि ज़ोनल परिषद् केवल परामर्श ही दे सकेंगी। इस खण्ड के अन्तर्गत, ऐसे अवसर उत्पन्न

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

हो सकते हैं जबकि इस प्रकार से स्थापित विकाय को कुछ अधिकार दिये जायें । हमने इसकी जांच की थी और देखा था कि ऐसा किये जाने की संभावना थी ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : वह परिषद् केवल परामर्श देने के लिये है ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : यदि यह अन्तर न हो, तो दोनों एक जैसी हैं । किन्तु हमने इस संभावना का विचार किया है और मेरे विचार में इस प्रकार की सावधानी की आवश्यकता थी ।

केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के बारे में कुछ तर्क बहुत जोर से दिये गये थे । मुझे आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बैठे हुये भी हम दिल्ली को, जो कि ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है, भूल गये थे । हम सब इस बात के लिये उत्सुक हैं कि दिल्ली का प्रशासन कार्यक्षमता से और संतोषजनक तरीके से चलाया जाये ?

†**श्री नम्बियार** : लोकतंत्रात्मक तरीके से नहीं ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : लोकतंत्रात्मक तरीके से भी, जैसा कि देश का सारा प्रशासन इस सदन के नियन्त्रण पर्यवेक्षण विनियमन और पथप्रदर्शन के अधीन लोकतंत्रात्मक तरीके से चलाया जाता है । किन्तु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरा विचार है कि इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये जनता को दिल्ली के स्थानीय कार्यों के प्रशासन से सम्बद्ध किया जाये । स्थानीय कार्यों से मेरा अभिप्राय उन विषयों से नहीं है जो स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत आते हैं । मेरी भी यही इच्छा है । मुझे आशा है कि एक संतोषजनक योजना बनाते समय हम इस वास्तविक उद्देश्य को सामने रखेंगे । दिल्ली के लिये योजना बनाने के लिये जनसाधारण के कल्याण, राज्य की सुरक्षा और राजधानी की प्रतिष्ठा बनाये रखने के पहलुओं को ध्यान में रखना है । लोगों के अधिकारों को कोई जानबूझ कर सीमित नहीं करना चाहता है । अन्त में देश के स्वामी वही हैं और सब अधिकार उन्हीं से प्राप्त होते हैं ।

उन अन्य राज्यों का भी उल्लेख किया गया था, जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रे के अधीन रहेंगे । मैंने जो कुछ कहा है, वह उन पर भी लागू होगा मनीपुर भी यह मांग करता रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाये, जिसमें लोगों का भी कुछ हाथ हो । इस प्रश्न को हल करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा । केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य-क्षेत्र विभिन्न प्रकार और विभिन्न श्रेणियों के हैं और आज तो उनको इस बात का भी सम्मान प्राप्त है कि बम्बई को भी उनकी ही सूची में रखा गया है । उनको केवल इसी कारण से निराश नहीं होना चाहिये कि वह केन्द्र द्वारा प्रशासित किये जाने वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं । मैं तो किसी भी दिन ऐसे किसी क्षेत्र का निवासी अथवा नागरिक बनने के लिये तैयार हूं, जिसको बम्बई के, अपने देश के महानतम नगर के बराबर की श्रेणी का माना जाये ।

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : हम तो समझते हैं कि बम्बई सदैव केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र नहीं रहेगा ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : वह चाहे महाराष्ट्र को जाये, चाहे केन्द्र द्वारा प्रशासित किया जाता रहे वह फिर भी रहेगा बम्बई ही, और हमको उसे अपने देश का महानतम नगर मानने का अधिकार रहेगा ।

एक परिसीमन आयोग नियुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया है । हमारी बहुत इच्छा है कि जिन नये राज्यों की स्थापना की जा रही है, वह समझौते द्वारा अपनी सीमायें तय कर लें । परन्तु, जहाँ भी आवश्यक हो, हमें संविधान द्वारा परिसीमन आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है और उपयुक्त मामलों में ऐसी कार्यवाही करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गयी थीं। विधेयक में मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन जैसे कुछ राज्यों के लिये भिन्न वेतन-क्रमों का उपबन्ध किया गया है। उन राज्यों के न्यायाधीशों को अन्य राज्यों की अपेक्षा कम वेतन मिल रहा है। राजस्थान भी इसी श्रेणी में आता है। राजस्थान की इच्छा है कि जो वेतन क्रम अन्य राज्यों में लागू है उन को राजस्थान में भी लागू किया जाये। यदि अन्य दोनों राज्य भी इसी प्रकार की इच्छा प्रगट करें तो हम निश्चय ही उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिये तैयार रहेंगे। इसलिये अब यह लोगों के ऊपर है कि वह उनको इस व्यवस्था के लिये राजी कर लें।

उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में एक और बात का उल्लेख किया गया है। इस विधेयक में यह उपबन्ध नहीं किया गया है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नये राज्यों में पुनर्नियुक्त कर दिया जायेगा। परन्तु न्यायाधीश विभिन्न प्रकार के हैं और उनमें से कुछ को जो पुराने राज्यों में विलयन से पूर्व सेवा युक्त थे, केवल कुछ सौ रुपये ही वेतन मिल रहा था। भारत के मुख्य न्यायाधिपति और कोई अन्य न्याय-प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होना चाहेंगे कि क्या इन सभी न्यायाधीशों को नये वेतन-क्रम पर नियुक्त किया जाये अथवा नहीं, और क्या वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्त्तव्यों का कुशलता एवं तत्परता से निर्वहन करने में सक्षम होंगे। अन्यथा, हमारी इच्छा तो सभी को पुनर्नियुक्त करने की है और हम यह भी चाहते हैं कि वह अब तक जितनी सेवा कर चुके हैं, उसको मान्यता दी जाये।

* ज़ोनल राज्यों के सम्बन्ध में कुछ प्रस्थापनायें प्रस्तुत की गयीं हैं। यह सुझाव दिया गया है एक ज़ोन में जितने भी राज्यों को शामिल किया जाये, उन सब के लिये एक ही राज्यपाल, एक ही लोक-सेवा आयोग और एक ही उच्च न्यायालय होना चाहिये। मैं यह तो नहीं जानता कि यह एक रूप नियम व्यावहारिक होगा अथवा नहीं, क्योंकि कुछ मामलों में, जो राज्य एक ज़ोन विशेष के अन्तर्गत आयेंगे, उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। परन्तु जहाँ भी यह राज्य एक राज्यपाल, एक लोक-सेवा आयोग और एकसी उच्च न्यायालय रखना चाहेंगे, वहां हम उनकी इच्छा पूरी करने के लिये तैयार रहेंगे। परन्तु इन मामलों में अंतिम रूप से कोई निर्णय करने से पूर्व राज्यों की इच्छाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा।

राजा साहब पटना ने सरायकेला और खरसवान का उल्लेख किया और इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इनको उड़ीसा को स्थानांतरित किये जाने में हिंसात्मक विस्फोट बाधक नहीं बनने चाहियें। उनका तो यह भी कहना है कि यदि इस प्रस्थापना के समर्थन में कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं तो भी हिंसा को ही पर्याप्त तर्क माना जाना चाहिये, क्योंकि वह जनता को कानून तोड़ने के लिये उकसाने में पीछे नहीं रहे हैं और यह वास्तव में खेदजनक बात है कि इन चीजों ने उड़ीसा में इतना दुखद, दुर्भाग्य-पूर्ण एवं अशोभनीय रूप धारण कर लिया है जिसकी कि उड़ीसा जैसे शान्त और शान्ती के इच्छुक राज्य के सम्बन्ध में किसी को भी आशा नहीं हो सकती थी। मैं समझता हूं कि उड़ीसा के इतिहास में वह अत्यन्त ही दुखद एवं खेदजनक अध्याय है, और वहां की सब घटनाओं के देखने के बाद भी यदि कोई यह कहता है कि हिंसा को किसी कार्य के पूरे किये जाने के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिये, तो वह भयानक संकट मोल ले रहा है। कोई भी उत्तरदायी नागरिक इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता है कि यदि हिंसात्मक कार्यों का परिणाम वही हो, जो कुछ व्यक्ति चाहते हैं और यदि अन्य तरीकों से नहीं तो हिंसा द्वारा ही उसे प्राप्त किया जाये, तो देश किस रसातल में चला जायेगा।

जहां तक कि नौकरियों आदि अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता हूं कि उनके लिये मुझे सभा का समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता है। यह विधेयक संयुक्त समिति में जायेगा और वहाँ इसके प्रत्येक पहलू की परीक्षा की जायेगी। जैसा मैं कह चुका हूं, जहां तक विधेयक में दी गई

[पंडित जी० बी० पन्त]

प्रस्थापनाओं का सम्बन्ध है, केवल बम्बई सम्बन्धी प्रस्थापना को छोड़ कर, उनकी विशेष आलोचना नहीं की गई है। जो कुछ भी कहा गया है वह विधेयक में कही गई बातों की निन्दा की अपेक्षा सहायता और मैत्रीपूर्ण ढंग से, सहकारिता के प्रयास के रूप में कहा गया है। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इसमें और भी सुधार करेगी, और काम पूरा होने तक हम भारत के प्रत्येक समझदार नागरिक के लिये संतोषप्रद ढंग से समस्या को हल कर लेंगे।

यह एक महान कार्य है। यह एक कठिन और नाजुक कार्य है। यह आवश्यक है कि हम आपस में हाथ से हाथ मिला कर आगे बढ़ें जिससे कि भारत का नया मानचित्र इस देश की जनता और उन माननीय सदस्यों की, जिनको आज इस लोक-सभा में बैठने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बुद्धिमानी साधुता और दूरदर्शिता का परिचायक बन सके। मुझे आशा है कि आगामी कुछ मास के बाद जब यह मानचित्र ठोस रूप में सामने आयेगा, उस समय यह हम सब की आशाओं और स्वप्नों को पूर्ण कर देगा और देश को यथोचित स्थान पर पहुँचा देगा और हम को इस योग्य बना देगा कि हम इस देश में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक की उन्नति, और सांस्कृतिक, भौतिक, आत्मिक और आर्थिक विकास के लिये एक साथ मिलकर कार्य कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मैं संशोधन को मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं, प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव में 'and 17 members from Rajya Sabha' ('और राज्य सभा के १७ सदस्य') के पश्चात् यह शब्द और जोड़ दिये जायें--

'with the directions to include in the Bill such provisions for the amendment of First and Fourth Schedules to the Constitution as may be necessary'

["इस अनुदेश के साथ कि विधेयक में संविधान की पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध भी शामिल किये जायें जो आवश्यक हों।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं नामों की सूची में दो संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि दो सदस्य, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् और श्री वी० एन० तिवारी समिति में कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। श्री वी० एन० तिवारी के स्थान पर श्री अलगू राय शास्त्री तथा श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् के स्थान पर श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का नाम रख दिया जाये।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि प्रस्ताव में--"Shri V. N. Tivary" ["श्री वी० एन० तिवारी"] के स्थान पर "Shri Algu Rai Shastri" ["श्री अलगू राय शास्त्री"] रखा जाये;

(२) कि प्रस्ताव में --"Shrimati Ammu Swaminathan" ["श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्"] के स्थान पर "Shrimati Tarkeshwari Sinha" ["श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा"] रखा जाये।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** (जिला हमीरपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सदस्यों ने किस कारण से अपने आप को समिति से हटा लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : वे दिल्ली में नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उनकी मर्ज़ी है वे इसे स्वीकार करें अथवा न करें ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् ने स्वयं ही यह सुझाव दिया था कि इस समिति में कोई महिला सदस्या होनी चाहिये । ऐसी दशा में उनका स्वयं ही वहां रहना भद्दासा लगता था और फिर उनका यह भी कहना है कि जब समिति की बैठक होगी तो शायद वह वहां पर न मिल सकें ।

श्री वी० एन० तिवारी ने कहा है कि वह अकेले समिति में नहीं आना चाहते हैं ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं·····

†**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं ?

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका उद्देश्य पूरा करने के लिये क्या कदम उठाया गया है । क्योंकि वह अपने राज्य के अकेले सदस्य थे अतः उनका विचार था कि वह अपने राज्य की कठिनाइयों को सही ढंग से नहीं सुना पायेंगे । क्या उनकी मांग पूरी करने के लिये कुछ किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब किसी विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा जाता है उस समय कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि इसमें अमुक-अमुक सदस्य रखे जायें । किन्तु उस समय माननीय सदस्य को यह नहीं पूछना चाहिये कि अमुक-अमुक सदस्य इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं ? उस समय आप कह सकते थे कि श्री वी० एन० तिवारी अकेले होंगे तथा उस राज्य के और सदस्य भी होने चाहियें । अब जब वह वहां नहीं रहना चाहते हैं तो हम उनके हाथ पकड़ कर उन्हें कैसे वहां बिठा सकते हैं ?

†**श्री आर० डी० मिश्र** (ज़िला बुलन्दशहर) : औचित्य प्रश्न के निमित मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मुझे सभा के सामने यह संशोधन रख लेने दीजिये । फिर मैं इस औचित्य प्रश्न को भी सुनूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन–प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

हां, तो आप का क्या औचित्य प्रश्न है ?

श्री आर० डी० मिश्र : जब यह बिल यहां पेश किया गया और उस पर डिस्कशन शुरू हुआ तो यहां पर यह कह दिया गया कि यू० पी० वालों को तो कुछ कहना ही नहीं है और उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया । यहां पर हमारी स्टेट की तरफ से एक किताब बांटी गई । जो हमारे लेजिस्लेचर ने युनैनिमस बात कही उसको भी यहां रखने का मौक़ा हम को नहीं दिया गया, यहां अक्सर यह कहा जाता है कि यू० पी० तो सारे हिन्दुस्तान पर डामिनेट करता है, यह ठीक है कि यहां पर ८६ मेम्बर हैं, लेकिन हम कभी भी यह नहीं चाहते कि हम किसी पर डामिनेट करें । मैं तो कहना चाहता हूं कि यू० पी० भी तमाम देश का एक हिस्सा है और उसको भी सारे हिन्दुस्तान के लिये कुछ कहने का हक है । लेकिन बम्बई तक पर उसे कुछ कहने का मौक़ा नहीं दिया गया । उसके बाद जब कमेटी बनाई गई तो उसमें भी एक ही आदमी रखा गया, यह समझ कर कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आर० डी० मिश्र]

यू० पी० वालों को उसके सामने कुछ ज्यादा रखना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यू० पी० वाले इस मामले में कुछ कहने के एन्टाइटल्ड नहीं हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठता। उत्तर प्रदेश के ८० सदस्य हैं उनमें से एक ले लिया गया। माननीय सदस्य शायद यह भूल रहे हैं कि अकेले गृह-मंत्री सभी माननीय सदस्यों के बराबर हैं।

†**श्री आर० डी० मिश्र :** वह भारत सरकार के सदस्य हैं। इस नाते वह उत्तर प्रदेश की वकालत नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार अपना दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं और अध्यक्ष भी हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति-शान्ति। ऐसी बात नहीं है। हम किसी सदस्य अथवा राज्य विशेष को वंचित नहीं रखना चाहते हैं।

†**श्री फीरोज़ गांधी :** (ज़िला प्रतापगढ़–पश्चिम व ज़िला रायबरेली–पूर्व) : क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि गृह-मंत्री उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत रूप में कुछ सदस्यों को संयुक्त समिति में अपने विचार प्रकट करने के लिये बुला लें।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात संयुक्त समिति की इच्छा पर निर्भर है। मैं भी समिति के सभापति से यह प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देवें।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी :** ऐसे सदस्यों को उसकी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बातें समिति पर निर्भर हैं। और मैं उसी पर छोड़ देता हूं। समिति के पास लोगों को बुलाने की पर्याप्त शक्तियां हैं। जो सदस्य वहां बोलना चाहते हैं वे उसे लिख मात्र दें।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : औचित्य प्रश्न के निमित में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमती अम्मु स्वामीनाथन् का नाम एक संशोधन के रूप में रखा गया था। अतः यह संशोधन उस संशोधन पर संशोधन के रूप में पृथक रूप से रखा जाना चाहिये और श्री अलगुराय शास्त्री के नाम को रखने का संशोधन मूल प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव में "Shri V. N. Tivary" ["श्री वी० एन० तिवारी"] के स्थान पर "Shri Algu Rai Shastri" ["श्री अलगू राय शास्त्री"] रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव में "Shrimati Ammu Swaminathan" ["श्रीमती अम्मु स्वामीनाथन्"] के स्थान पर "Shrimati Tarkeshwari Sinha" ["श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा"] रखा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रश्न यह है :

"कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ५१ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३४

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य अर्थात् श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्री ए० एम० थामस, श्री आर० वेंकटरामन्, श्री एस० आर० राने, श्री बी० जी० मेहता, श्री बसन्त कुमार दास, डा० राम सुभग सिंह, श्री अलगू राय शास्त्री, श्री देव कान्त बरुआ, श्री एस० निजलिंगप्पा, श्री एस० के० पाटिल, श्री श्रीमन्नारायण, श्री जी० एस० आल्तेकर, श्री जी० बी० खेडकर, श्री राधा चरण शर्मा, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री राम प्रताप गर्ग, श्री भवनजी ए० खीमजी, श्री पी० रामस्वामी, श्री बी० एन० दातार, श्री आनन्द चन्द, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री के० के० बसु, श्री जे० बी० कृपालानी, श्री अशोक मेहता, श्री सारंगधर दास, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री जयपाल सिंह, डा० लंकासुन्दरम्, श्री टेकचन्द, डा० एन० एम० जयसूर्य, और श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा और राज्य-सभा के १७ सदस्य हों; इस अनुदेश के साथ कि विधेयक में, संविधान की पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध भी शामिल किये जायें जो आवश्यक हों; कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी ;

"कि समिति १४ मई, १९५६ तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी; कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करे; और कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९५६

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ५१ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये; जिसमें इस सभा के ३४ सदस्य, अर्थात्" ये वे ही सदस्य हैं जिनके नाम पिछले प्रस्ताव में जोकि आपने मतदान के लिये रखा है, उल्लिखित थे — "श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्री ए० एम० थामस, श्री आर० वेंकटरामन्, श्री एस० आर० राने, श्री बी० जी० मेहता, श्री बसन्त कुमार दास, डा० राम सुभग सिंह, श्री अलगू राय शास्त्री, श्री देव कान्त बरुआ, श्री एस० निजलिंगप्पा, श्री एस० के० पाटिल, श्री श्रीमन् नारायण, श्री जी० एस० आल्तेकर, श्री जी० बी० खर्डेकर, श्री राधा चरण शर्मा, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री राम प्रताप गर्ग, श्री भवनजी ए० खीमजी, श्री पी० रामस्वामी, श्री बी० एन० दातार, श्री आनन्द चन्द, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री के० के० बसु, श्री जे० बी० कृपालानी, श्री अशोक मेहता, श्री सारंगधर दास, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री जयपाल सिंह, डा० लंकासुन्दरम्, श्री टेकचन्द, डा० एन० एम० जयसूर्य, और श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा;

और राज्य-सभा के १७ सदस्य हों;

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी;

"कि समिति १४ मई, १९५६ तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी, कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे, और कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

†**श्री सी० सी० शाह** : (गोहिलवाड–सोरठ) : श्रीमान्, दोनों विधेयक एक ही तरह की समिति को सौंपे गए हैं, यद्यपि दोनों विधेयकों का एक दूसरे से सम्बन्ध है फिर भी इसके लिये अच्छा यह होता कि कुछ ही सदस्य दोनों ही समितियों में रखे जाने चाहिये थे, वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध केवल राज्य पुनर्गठन से ही नहीं, अन्य मामलों से भी है, दोनों विधेयकों के लिये दो अलग-अलग समितियां होनी चाहिये थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री दोनों ही यहां थे, माननीय सदस्य यह सुझाव उन्हें पहले दे सकते थे।

†**श्री जी० बी० पन्त** : इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में कुछ संशोधन करना है जिससे कि राज्य पुनर्गठन की योजना क्रियान्वित की जा सके। इसका उद्देश्य उच्च-न्यायालयों, उच्च-न्यायालय के जजों, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों तथा विधान सूचियों में कुछ समाविष्टियों के सम्बन्ध में कुछ अन्य उपबन्धों को कार्यरूप देना भी है।

जहां तक सीमाओं के पुनः समायोजन तथा नये राज्यों के निर्माण से सम्बन्धित भाग का सम्बन्ध है, संयुक्त समिति में कुछ संशोधन करने होंगे परन्तु विधेयक में कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन पर राज्यों के पुनर्गठन का कोई प्रभाव नहीं; उदाहरणतः यह उपबन्ध कि अस्थायी कालावधि के लिये उच्च-न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त हों, अथवा कि अस्थायी रिक्तियों पर भरती करने के लिये न्यायाधीश नियुक्त हों। इसी तरह से इस बात का भी उपबन्ध है कि उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद उच्चतम न्यायालय में अथवा किसी ऐसे न्यायालय में जोकि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर रहा हो, वकालत कर सकते हैं।

और भी अन्य प्रस्थापनायें हैं जिनमें से एक यह है कि विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या विधान सभा के एक चौथाई की बजाय एक तिहाई के बराबर हो सकती है। और भी अन्य सुझाव हैं जिनके आधार पर एक से अधिक राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल तथा एक हो उच्च-न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रस्तापनाएं पहले ही संविधान में विद्यमान हैं परन्तु जहां कहीं भी इन निश्चयों को कार्यरूप देने के लिये संशोधन करना आवश्यक है, वहां इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किये गए हैं।

मध्य प्रदेश आदि राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित करने के लिये कुछ संशोधन हैं। अन्य मामलों के सम्बन्ध में भी संशोधन हैं जो राज्य पुनर्गठन के अन्तर्गत नहीं आ जाते हैं, राज्य

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई भी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम चलाने में सशक्त होंगे, जिसके बारे में इस समय कुछ संदेह है ।

इसी तरह विधेयक में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये कुछ संरक्षण रखे गये हैं। तीन को छोड़ कर शेष सभी उच्च-न्यायालयों के लिये समान रूपी वेतन-दर रखने का सुझाव दिया गया है और भी कुछ प्रस्थापनायें हैं जो अधिकांश रूप से मामूली हैं। मैं समझता हूं कि इस अवस्था पर सभा का और अधिक समय लेना मेरे लिये आवश्यक नहीं ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : इसके पूर्व कि आप सभा के समक्ष प्रस्ताव रखें एक अनियमिता की जा रही है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। नियम ८५ के अधीन आपको यह निश्चय करना है कि कौन-सा मूल अथवा पहला विधेयक है और कौन-सा दूसरा या आश्रित विधेयक है। नियम ८५ में स्पष्ट कहा गया है कि: "परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिये केवल तभी लिया जायेगा जब कि पहला विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।" जो भी हो वह दुःख की बात है। विधेयक इस प्रकार से बनाये गये हैं कि राज्य पुनर्गठन विधेयक के कुछ उपबन्ध संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के उपबन्धों पर आश्रित हैं और उसी तरह संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के कुछ उपबन्ध राज्य पुनर्गठन आयोग के कुछ उपबन्धों पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिये संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खंड २ में कहा गया है :

संविधान के अनुच्छेद १ में—

(क) खंड (२) के स्थान पर निम्न रखा जायेगा अर्थात् :

"(२) उसके राज्य और राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची में उल्लिखित प्रकार में होंगें" और

(ख) खंड (३) में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्न उपखंड रखा जायेगा अर्थात् :

"(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्र; और"।

यदि हम उपखंड (२) को देखें तो मालूम होगा कि तीन अधिनियमों का निर्देश किया गया है। एक १९५३ का आन्ध्र राज्य अधिनियम है; दूसरा, जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, १९५४ का चन्द्रनगर विलय अधिनियम की धारा २ है और तीसरा राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। धारा ३ अभी भी खंड के रूप में है क्योंकि विधेयक अभी संयुक्त समिति को सौंपा जाना है। किन्तु यहां धारा ३ से १३ को एक अधिकार के रूप में समझा जाता है जिसके अधीन ये राज्य बनाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक बहुत दूर है जब कि उसे एक अधिनियम का रूप दिया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंड ६ और ८ संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खंड २ उपखंड (१) पर आश्रित है जो भाग (ख) में और प्रथम अनुसूची के भाग २ में दी हुई संघ सरकार की परिभाषा में दिया हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने यह बात समझ ली है और अब मैं उसका निबटारा करूंगा। एक दूसरे विषय पर भी यही बात उठायी गई थी और मैंने तब कहा था कि विधेयक में संविधान की कई धाराओं अथवा अनुच्छेदों का संशोधन करने का प्रयत्न किया गया है। कल मैंने निर्णय दिया था कि विधेयक के अनुच्छेद ४ से, राज्यों को सुधार कर अनुच्छेद ३ के अधीन की गई कार्यवाही से उत्पन्न संशोधन और प्रथम अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन उस विधेयक के मुख्य अंग बनाये जाने

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

चाहिये जो अनुच्छेद ३ पर आधारित है या जिसमें कार्यवाही करने का प्रयत्न किया गया है। अतः संविधान का स्वतन्त्र संशोधन आवश्यक नहीं है। वास्तव में शब्द "Shall" 'होगा' शब्द का उपयोग किया गया है। संविधान की प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन करने वाले उपबन्धों को अनुच्छेद ३६८ के अधीन संविधान का एक अलग संशोधन नहीं समझा जायगा। अतः मेरे निर्णय के अनुसार गृह-मंत्री ने एक संशोधन रखा कि प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन करने के लिये उस विधेयक में संयुक्त समिति को शक्ति दी जाये। हमने अभी उसे पारित किया है। अतः वे सभी उपबन्ध, जिन्हें पहले संविधान (संशोधन) विधेयक में रखना जरूरी समझा गया था, अब एक संशोधन के रूप में समाविष्ट किये जायेंगे। अतः माननीय सदस्य यह अधिक न कहें कि दोनों अलग-अलग विधेयक नहीं हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : उदाहरणार्थ, अनुच्छेद २१४ लीजिये। उसमें उच्च-न्यायालयों का निर्देश है और कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च-न्यायालय होगा। विधेयक के खंड ४५ में, एक से अधिक राज्यों के लिये एक उच्च-न्यायालय रखने की अनुमति का उपबन्ध है। उसके बाद परिषद् में स्थानों के नियतन का प्रश्न है। मूल संविधान के अनुसार वे एक चौथाई से अधिक न होंगे। अब एक संशोधन रखा जा रहा है कि वे एक तिहाई से अधिक न होंगे। मेरा यह सुझाव था कि स्थानों के नियतन में कोई परिवर्तन किये बिना भी नये राज्य बनाना बिल्कुल संभव है।

जहां तक उच्च-न्यायालयों राज्यपालों, और अपने राज्य पर राज्यपाल के क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है, वे स्वतन्त्र विषय हैं जिनका धारा ४ से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं आपको बतलाता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत नहीं आते, उसमें केवल राज्यों या राज्यों की सीमाओं को घटा बढ़ा कर परिवर्तन के मामले आते हैं। निर्माण किये जाने वाले राज्य क्षेत्र के मामले में जो संघ राज्य क्षेत्र अथवा भाग 'घ' राज्य क्षेत्र हो सकता है, अनुच्छेद ४ लागू नहीं होता और अनुच्छेद ३६८ प्रवर्तन में आता है। अनुच्छेद ३ में अनुच्छेद २ (ख) का निर्देश नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि संसद् विधि द्वारा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। राज्य का क्षेत्र उस राज्य में दूसरे राज्य से भाग मिलाकर बढ़ाया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह राज्य क्षेत्र भी हो सकता है। राज्य का क्षेत्र भाग ग में उल्लिखित राज्य क्षेत्र अथवा कोई दूसरा अर्जित राज्य क्षेत्र मिलाकर भी बढ़ाया जा सकता है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : अनुच्छेद ३ (क) से (घ). में राज्य का निर्देश है। अनुच्छेद १ के उपखंड (३) का पद (ख). उसके अन्तर्गत नहीं आता। दो प्रकार के राज्य क्षेत्र हैं। एक राज्यों का राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद ३ में केवल ऐसे ही राज्य क्षेत्रों का निर्देश है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्य की बात समझ ली है। अनुच्छेद ३ के उपखंड (क) में राज्य क्षेत्र को मिलाकर नये राज्य के निर्माण का निर्देश है। उपखंड (ख) और (ग). में कहा गया है कि राज्य का कोई भाग बढ़ाया और घटाया जा सकता है, हम यह विषय संयुक्त समिति को सौंपते हैं। यहां विधि की प्रत्येक बात सावधानी से तय नहीं की जा सकती। उन दशाओं में, मेरा यह दृष्टिकोण था कि अनुच्छेद ३ ऐसे मामलों से सम्बधित हो सकेगा जहां एक राज्य या राज्य क्षेत्र से भाग लिया जा सके। संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यों के राज्य क्षेत्र, अन्य अर्जित राज्य क्षेत्र और भाग 'घ' राज्य क्षेत्र होंगे। भाग 'घ' का अर्थ बम्बई जैसे राज्य क्षेत्र से है। वे भाग 'घ' राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त होंगे और हम उसे भाग 'घ' के अधीन रख सकते हैं। अतः हमने यह विषय संयुक्त समिति को सौंप दिया है और वह प्रतिवेदन देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य पुनर्गठन विधेयक में कुछ उपबन्ध इस विधेयक पर आश्रित हैं और कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि दूसरा विधेयक पहले विधेयक पर आश्रित है, पहला विधेयक रोकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी मामला हो सकता है जहां दूसरा विधेयक पहले विधेयक पर पूर्णतः आश्रित हो। अतः आप यह नहीं कह सकते कि इस सब में एक ही सिद्धान्त लग रहा है। हम उन खंडों की वैधता को देखें और यह देखें कि क्या वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। नियम ८५ लागू नहीं होता। संयुक्त समिति में यह तय किया जायगा कि उसका अनुसरण किया जाना चाहिये या नहीं। यदि सम्पूर्ण विधेयक पहले विधेयक पर निर्भर है तो नियम ८५ लागू होगा अन्यथा मैं यह विधेयक रोक नहीं सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं अपने पांच संशोधनों में से केवल संशोधन संख्या ३, ४ और ५ का प्रस्ताव करता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में संशोधन करना है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी यह धारणा है कि संयुक्त समिति के काम करने के सम्बन्ध में विद्यमान नियमों में कोई संशोधन करना या नियम बनाना केवल सभा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही होना चाहिये। मैं इस बात के बिल्कुल विरुद्ध हूं कि अध्यक्ष या सभापति को और अधिक स्वविवेकीय शक्तियां दी जायें पिछले एक सप्ताह के दौरान में अभी हाल के विधान के संबंध में अवशिष्ट शक्तियों और स्वविवेकीय शक्तियों का जिस प्रकार उपयोग किया गया है उससे मेरा यह मत अधिक दृढ़ हो गया है कि अध्यक्ष या सभापति को और अधिक स्वविवेकीय शक्तियां देना गलत और खतरनाक है। अतः सभा से मेरी अपील है कि किन्हीं शक्तियों पर और समितियों के प्रक्रिया नियमों में किये जाने वाले परिवर्तनों पर सभा का अवश्य ही अनुमोदन प्राप्त होना चाहिये। या तो यह अपील स्वीकार की जाये या सभा स्वतः वे परिवर्तन करे। मेरे संशोधनों का यही उद्देश्य है। यदि मेरा एक भी संशोधन स्वीकार कर लिया जाये, तो मुझे समाधान होगा। उसका अर्थ यह होगा कि संयुक्त समिति के कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में कोई नियम बनाने के लिये सभा पूर्णतया सक्षम होगी। अतः प्रक्रिया नियमों में कोई परिवर्तन करना मुख्यतया केवल सभा का ही काम होगा। यदि अध्यक्ष स्वतः कुछ नियम बनाना चाहे तो मेरा सुझाव है कि अनुमोदन के लिये वे परिवर्तन सभा के समक्ष रखे जाने चाहिये। अतः सर्वोत्तम मार्ग यह होगा कि प्रस्ताव के चौथे भाग का अंतिम हिस्सा निकाल दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मैं अपने संशोधन संख्या ७ का प्रस्ताव करता हूं।

जहां तक मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन राज्यों के बीच सीमा विवादों को तय करने के लिये सीमा आयोग नियुक्त करने का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री ने पहले ही बता दिया है कि सीमा आयोग की नियुक्ति के लिये संविधान में उपबन्ध है और उसके अधीन वह नियुक्त किया जा सकता है। इस संबंध में, मैं यह कहूंगा कि एक आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाये ताकि विवादों का आसानी से निबटारा हो जाये और उन राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायें।

विद्यमान 'मद्रास राज्य' का नाम तामिलनाड रखने के सम्बन्ध में, मेरा यह कथन है कि प्रारम्भिक ब्रिटिश काल में आवश्यकता के कारण मद्रास नाम पड़ गया था जब कि ब्रिटिश अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रान्त स्थापित करना चाहते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ऐसा संशोधन रखना चाहते हैं कि विद्यमान 'मद्रास राज्य' को 'तामिलनाड' नाम देने और पीरमेडी तथा देवीकुलम् आदि के तालुके दे देने के संबंध में उपबन्ध बनाने के लिये संयुक्त समिति के सदस्यों को आदेश दिये जायें। ये सभी बातें विधेयक के एक न एक खंड से उत्पन्न होती हैं। जब कि विधेयक में स्वत: विशिष्ट उपबन्ध हों कि अमुक स्थान का नाम यह होना चाहिये या वह होना चाहिये, तब कोई आदेश नहीं दिये जाते। ऐसी दशा में वे प्रवर समिति को संशोधनों के रूप में सुझाव दे सकते हैं कि वे संशोधन अवश्य किये जाने चाहियें। यदि वे नहीं किये जाते तो वे सम्पूर्ण सभा के समक्ष आ सकते हैं। आदेश केवल तभी दिये जाते हैं जब विधेयक में निश्चित उपबन्ध नहीं होते।

†**श्री वल्लाथरास** : मुझे माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी मातृभाषा में बहुत दिलचस्पी है। इस विधयक में इसका कोई जिक्र नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो भी संशोधन चाहते हैं उन्हें वह संयुक्त समिति को भेज दें। जब विधेयक वहां से वापस आये और उसमें ये संशोधन निहित हों तो माननीय सदस्य उन्हें यहां प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां पर हम इस प्रकार का निर्णय नहीं लेते कि नाम यह हो या वह हो। इन सब चीज़ों पर पहले संयुक्त समिति विचार करेगी और बाद में समस्त सदन।

†**श्री वल्लाथरास** : मैं आपके विनिर्णय को स्वीकार करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण दें।

†**श्री वल्लाथरास** : श्रीमान्, सन् ५०० ई० में भी वह भाग जो अब अवशिष्ट मद्रास राज्य है, भारतीय इतिहास के मानचित्रों में तामिलअकम के नाम से दिखाया गया था। इसलिये इस क्षेत्र को अब भी वही नाम दिया जा सकता है। 'तामिलअकम' और 'तामिलनाद' एक ही चीज़ है। अब आन्ध्र और कर्नाटक के पृथक् होने पर कोई कारण नहीं है कि उसे पुन: तामिलनाद नाम न दिया जाये। वहां के लोगों की यही इच्छा है।

पीरमेद और देवीकुलम् के सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं। यहां लाखों लोग हैं और वर्तमान त्रावनकोर-कोचीन राज्य द्वारा उनके प्रति किया जाने वाला बर्ताव अनुचित है। केवल $१^{1}/_{2}$ वर्ष पूर्व काफी उपद्रव हुये थे जिसमें कि मद्रास राज्य के तामिल भाषायी लोगों को बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। गृह-मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इन तालुकों में तामिल भाषायी लोगों के हितों की रक्षा की जाये।

फिर, मैं न्यायधीशों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उच्च-न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश अवकाश-ग्रहण करने पर उच्चतम न्यायालय को छोड़ कर अन्य कहीं वकालत नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है कि जिलों के स्थायी न्यायाधीशों को अवकाश-ग्रहण के बाद कभी जिलों में वकालत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। गत बीस वर्षों की वकालत के दौरान में मैंने देखा है कि अवकाश-प्राप्त ये जिला न्यायाधीश किस प्रकार उन जिलों में अपना प्रभाव प्रयुक्त करके न्याय का वातावरण खराब कर रहे हैं। वे उच्च-न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जाकर वकालत करें लेकिन ज़िलों के न्यायालयों में नहीं।

कुछ राज्यों में उच्च-न्यायलयों के न्यायाधीशों का वेतन कम करने का जिक्र किया गया है। मैं इस विचार से सहमत हूं। किन्तु एक साधारण समस्या सामने आती है कि जब तक उन लोगों को जो वकालत में अच्छी आय प्राप्त करते थे, काफी वेतन न दिया जाये तो वे न्यायाधीशों के रूप में काम करने को प्रेरित कैसे होंगे। मैं समझता हूं कि १५-२० वर्ष वकालत करने और लाखों रुपया कमा लेने के बाद यदि वे देश

†मूल अंग्रेजी में

के हित में इतना भी नहीं कर सकते तो फिर उनके हितों की भी पर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को जिनकी वकालत लम्बी चौड़ी है और जिन्होंने लाखों रुपये कमाये हैं यह भी सोचना चाहिये कि किसी प्रकार देश की सेवा भी करनी है।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा को मातृ भाषा में दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस प्रश्न को बहुत महत्ता देता हूं। यह बड़े खेद की बात है कि शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल सोया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह विद्यमान ही नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल से अब तक १०-१५ आयोग नियुक्त हुये हैं और सभी ने अपने प्रतिवेदनों में इस बात की आवश्यकता को बतलाया है कि माध्यमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा दी जाये। किन्तु इस मंत्रालय ने अभी तक कुछ नहीं किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जिसके सभापति डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियर थे, सन् १९५३ में सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा था। किन्तु आज १९५६ हो गया और मैं पूछता हूं उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या किया गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उक्त आयोग भी सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा प्रदान की जानी चाहिये। उसमें यह भी कहा गया है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और चूंकि व्यवसायिक अथवा टेक्नीकल प्रशिक्षण का कोई प्रबन्ध नहीं है इसलिये सारी शिक्षा जीवन की वास्तविकता से भिन्न हो जाती है। आगे चलकर आयोग ने बतलाया है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा दोनों के सम्बन्ध में स्थायित्व करने में असफल रही है। माध्यमिक शिक्षा का प्रभाव जीवन पर सांस्कृतिक और टेक्नीकल क्षेत्रों में बहुत पड़ता है। इसका लक्ष्य युवकों को देश का अच्छा नागरिक बनाना है। इसलिये मातृ-भाषा में माध्यमिक शिक्षा दिये जाने की महत्ता को न्यून नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी का अध्ययन विद्वानों के लिये छोड़ दिया जाये जो विश्व के अन्य साहित्य का देश के हित के लिये अनुवाद करें। अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को अनिवार्य भाषा बनाया जा सकता है।

हिन्दी के सम्बन्ध में संविधान में बहुत ज़ोर दिया गया है। किन्तु मैं देखता हूं कि हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समन्वय की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरा निवेदन है कि संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खंड २० का लाभ उठा कर सरकार द्वारा मातृभाषा के प्रयोग को माध्यमिक शिक्षा तक बढ़ाने का वास्तविक प्रयास करना चाहिये।

अंत में मुझे यह कहना है कि एक प्राथमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जाये। माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया था और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। अब यह बहुत आवश्यक है कि एक प्राथमिक शिक्षा आयोग बनाया जाये जो कि यह देखे कि किस प्रकार प्राथमिक प्रक्रम से विश्व-विद्यालय के प्रक्रम तक हिन्दी तथा मातृ-भाषा में इस प्रकार समन्वय किया जाये कि दोनों एक-दूसरे पर निर्भर रहें।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सलम) : राज्य पुनर्गठन विधेयक के भाग ३ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रश्न लिया गया है। मैं समझता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन से जो कुछ नुकसान हुआ है उसके बाद क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना ही एक अच्छी चीज़ होने जा रही है। इस सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति प्रतीत होती है कि क्या ये क्षेत्रीय परिषदें संविधान के अनुच्छेद २६३ के अंतर्गत आती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : माननीय सदस्य क्षेत्रीय परिषदों का जिक्र कर रहे हैं; इस विधेयक में क्षेत्रीय परिषदों का कोई जिक्र नहीं है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक नया खंड इस विधयक में जोड़ दिया जाये । संविधान के अनुबंध २६३ में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति जनहित में आवश्यक समझें तो दो राज्यों के विवाद के सम्बन्ध में जांच करने व मंत्रणा, देने किसी ऐसे विषय की जांच करने जिसमें कुछ अथवा सारे राज्यों का सामान्य हित निहित हो आदि बातों के सम्बन्ध में एक परिषद् की स्थापना कर सकते हैं ।

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थापित परिषदें तुंगभद्रा बोर्ड की तरह है किन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग में जिन क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई है वे भिन्न प्रकार की हैं । अतः मेरा निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद ५१ के पश्चात एक नया अनुच्छेद और जोड़ दिया जाये जिसमें यह व्यवस्था हो कि राज्य, पड़ौसी राज्यों में पारस्परिक निर्भरता की भावना बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय या अन्य परिषदें बनाने का प्रयत्न करेगा । निस्संदेह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत परिषदें स्थापित की जायेंगी तथापि मैं चाहता हूं कि इन परिषदों को संविधान के निदेशन तत्वों के अनुसरण में स्थापित किया जाये, ताकि इसे न केवल संसद् के अधिनियम का बल्कि संवैधानिक उपबन्ध का दर्जा प्राप्त हो । इसलिये मैं माननीय गृह-मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रयोजन के लिये संविधान में एक अनुच्छेद और जोड़ दें ।

अब मैं खंड १८ को लेता हूं । उसमें यह उपबन्ध किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद २९० के पश्चात् एक अनुच्छेद २९०क जोड़ दिया जिसमें यह व्यवस्था हो कि केरल राज्य की संचित निधि में से प्रति वर्ष छियालीस लाख पचास हजार रुपया निकाल कर त्रावनकोर—देवास्वम बोर्ड को दिया जायेगा । मैं इसमें यह संशोधन करना चाहता हूं कि ४६,५०,००० रुपये के स्थान पर ३१,५०,००० रुपये दिये जायें । इस राशि में उन २०१ प्रसिद्ध एवं पुनीत मन्दिरों की देख-रेख का व्यय शामिल है जो कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य से लेकर मद्रास को हस्तांतरित किये जा रहे हैं ।

अब तक त्रावणकोर राज्य देवास्वम बोर्ड को उक्त मन्दिरों की देख-रेख के लिये ५१ लाख रुपया देता था जिसमें से ६ लाख रुपया केवल त्रिवेन्द्रम् के पद्मनाथ स्वामी के मन्दिर पर व्यय किया जाता था । अवशेष धन में से इस क्षेत्र के मन्दिरों को २० लाख रुपया दिया जाना था । किन्तु इस समय वास्तव में केवल १५ लाख रुपया दिया जा रहा है । मेरे विचार से इन्हें २० लाख रुपया दिया जाये । यदि यह संभव नहीं, तो साढ़े चार लाख रुपया नहीं, जैसा कि अनुच्छेद २९०क में उपबन्ध किया गया है, बल्कि वास्तविक व्यय अर्थात १५ लाख रुपया अवश्य दिया जाये इस मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिये और उन्हें इतनी राशि दी जानी चाहिये कि इनकी देख-रेख उपयुक्त विधि से हो सके और यह राशि कम से कम १५ लाख रुपये होनी चाहिये ।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं चाहता हूं इस विधेयक में संशोधन किया जाना चाहिये और बम्बई का संघ राज्यक्षेत्र (यूनियन टैरिटरी) महाराष्ट्र में विलय किया जाना चाहिये ।

इस विषय पर पिछले दो-तीन दिन से जो चर्चा चल रही है उससे मालूम हुआ है कि इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद है । परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि अन्य मामलों के सम्बन्ध में समझौता हो गया है । केवल बम्बई के प्रश्न का हल होना शेष रह गया है । बम्बई का प्रश्न केवल महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के झगड़े का नहीं है जैसा कि समझा जाता है, वरन् अन्य जातियों से भी सम्बन्धित है जो वहां रहती हैं ।

बम्बई में कामटीपुरा में बहुत से तेलगू लोग रहते हैं जिनमें से अधिकांश मजदूर हैं । बम्बई के मेयर श्री पुपाला स्वयं तेलुगू हैं । फिर जैसा कि श्री एस० के० पाटिल ने पिछले दिन कहा था, वहां पर

†मूल अंग्रेजी में

५ लाख मुसलमान भी हैं जो बम्बई के महाराष्ट्र में विलय के विरोधी हैं। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। बम्बई निगम के विरोधी दल के भूतपूर्व नेता श्री मोहीउद्दीन हैरिस और बहुत से अन्य मुसलमान बम्बई के महाराष्ट्र में मिलाये जाने के पक्ष में हैं। फिर पारसी लोग हैं। श्री बरुचा, सदस्य बम्बई विधान सभा, और एक अन्य पारसी डाक्टर भी बम्बई के महाराष्ट्र में विलय के पक्ष में हैं? ईसाइयों में भी डा० जान मथाई बम्बई के महाराष्ट्र में विलय के पक्ष में हैं। फिर मारवाड़ी लोग हैं। राजबहादुर, गोविन्दलाल, शिवलाल खुले तौर से महाराष्ट्रियों की मांग का समर्थन करते रहे हैं। इसी तरह पंजाबी भी महाराष्ट्र के पक्ष में हैं। श्री बहूजा ने इसी प्रश्न पर बम्बई निगम की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। इसी तरह बिहारियों में भी भागीरथ झा और श्री वी० एल० मेहता भी बम्बई के महाराष्ट्र में विलय के पक्ष में हैं।

इस तरह मैंने तेलगू, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, मारवाड़ियों, पंजाबियों और बिहारियों के नाम गिनाये।

†**एक माननीय सदस्य** : और सिन्धी लोगों के ?

†**श्री गिडवानी** : मैं स्वयं सिन्धी हूं। परन्तु मैं सिन्धियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं करता। बम्बई में सिन्धियों का सबसे बड़ा दल उल्हासनगर में है।

वहां के सिन्धियों ने बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाये जाने का समर्थन किया है। मैं नहीं जानता बम्बई में मेरा समर्थन करने वाले सिन्धी कितने हैं। मैं सिन्ध की प्रान्तीय कांग्रेस समिति में २५ साल तक उनका प्रतिनिधि रहा हूं।

उपर्युक्त से आप जान सकते हैं कि यह प्रश्न गुजरातियों और महराष्ट्रियों के बीच का नहीं है। बहुत से अन्य लोग भी बम्बई के महाराष्ट्र में मिलाये जाने के पक्ष में हैं। लोक-सभा के प्रायः सभी महाराष्ट्री सदस्य इसके पक्ष में हैं। केवल श्री एस० के० पाटिल के विचार कुछ भिन्न हैं।

उन्होंने मुझे बताया कि यदि द्विभाषी-राज्य के आधार पर कोई हल निकल सके तो वह उसके विरोधी नहीं हैं।

मैं एक तथ्य पर और प्रकाश डालूंगा। मैं इस विधेयक के आने के पहले से ही इस आंदोलन के साथ रहा हूं। लोग कहते हैं कि यह आन्दोलन सत्ता लोलुप राजनैतिक नेताओं का है। परन्तु यह ठीक नहीं है। डा० कार्वे, डा० परांजपे, डा० जयकर आदि की कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षायें नहीं हैं, परन्तु वे विलय के पक्ष में है।

इसलिये हमें इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय करना चाहिये। यह साढ़े तीन करोड़ आदमियों का प्रश्न है। मैं इसको उनके जीवन-मरण का प्रश्न तो नहीं कहता; परन्तु फिर भी भावुकता के और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से यह आवश्यक अवश्य है। वे समझते हैं कि बम्बई के बिना महाराष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। आर्थिक सहायता के बिना कोई राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि महाराष्ट्र राज्य बिना बम्बई की आय के घाटे का रहेगा। इसलिये महाराष्ट्रियों की जो मांग है वह राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सर्वसम्मत है। उनकी इस मांग को अन्य लोगों का समर्थन भी प्राप्त है जैसा कि मैंने उपर्युक्त व्यक्तियों के नाम देकर प्रमाणित किया।

मेरा सुझाव है कि यह प्रश्न अभी हल किया जाना चाहिये उसको लटकाये रखना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गिडवानी]

मैं अपने गुजराती मित्रों से भी कुछ शब्द अपील के तौर पर कहूंगा। श्री श्रीमन्नारायण ने इस मामले के सम्बन्ध में गांधीजी के शब्द उद्धृत किये थे। मैं भी गांधीजी के सम्पर्क में रहा हूं। एक बार वे मेरे प्रान्त में दौरा करने आए। प्रान्तीय कांग्रेस समिति में मेरा बहुमत होने पर भी एक अन्य मित्र अध्यक्ष बन गये थे। मैंने गांधीजी को यह बताया। उन्होंने मुझे अध्यर्पण की सलाह दी और मैंने वैसा ही किया।

उसी तरह मैं अपने गुजराती मित्रों से अपील करूंगा। चूंकि अब गांधीजी जीवित नहीं हैं हमें उनको बीच में नहीं लाना चाहिये। अब हमें विनोबा जी की बात माननी चाहिये जिनको गांधीजी ने वैयक्तिक सत्याग्रह प्रारम्भ करते समय अपना प्रथम शिष्य नियुक्त किया था। विनोबाजी क्या कहते हैं? उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि बम्बई महाराष्ट्र का है। मैं अपने गुजराती मित्रों से अपील करूंगा कि वे बम्बई को महाराष्ट्र के लिये छोड़ दें। उनके पास काफी क्षेत्र है और वे धनी भी हैं। उन्हें निर्धनों की सहायता करनी चाहिये और यह नहीं समझना चाहिये कि उनसे कुछ छीना जा रहा है।

यदि वे इस तरह से बात करते हैं तो मुझे इससे भी बड़ी शिकायत है। मैं अपने नेताओं द्वारा किये गये निर्णयों का दो बार शिकार हो चुका हूं। प्रथम उस समय जब सिन्ध बम्बई से अलग किया गया था। मैं इसलिये शिकार नहीं बना कि सिंध का शासन उचित ढंग से नहीं होता था वरन् इसलिये कि श्री जिन्ना तथा केन्द्रीय विधान सभा के कुछ सदस्य सहमत हो गये थे। सिंध के साथ बन्धक जैसा व्यवहार किया गया। दूसरा मौका वह था जब देश का विभाजन किया गया। मैं उसका विरोधी था, फिर भी वैसा किया गया। जब हम ऐसे निर्णय मान चुके हैं तो बम्बई के महाराष्ट्र में चले जाने से क्या हो जायगा? महाराष्ट्री गुजरातियों को खा नहीं लेंगे।

मैं आशा करता हूं कि गुजराती, जो महात्मा गांधी का अनुसरण करने का दावा करते हैं, इतनी उदारता दिखायेंगे कि आगे बढ़कर यह कहें कि हम बम्बई को महाराष्ट्र के लिये छोड़ देते हैं ताकि समझौता हो सके और देश प्रगति पथ पर बढ़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं बम्बई के महाराष्ट्र में मिलाये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण-पूर्व) : इस विधेयक के गुण दोष पूर्वगामी विधेयक, अर्थात् राज्य पुनर्गठन विधेयक, के समान ही है। इसके द्वारा भाषा के सिद्धान्त को राज्यों के पुनर्गठन का आधार मान लिया गया है और हमारे संविधान में राजप्रमुखों के रूप में जो सामन्तशाही के चिन्ह थे वे समाप्त हो गये हैं। परन्तु इसके साथ ही विधेयक में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के अपवाद स्वरूप हैं जैसे भाषा सम्बन्धी पुनर्गठन का युक्तियुक्त सिद्धान्त और ऐसा इसलिये है कि वह कुछ लोगों के लिये विशेष हितों को सहायता देने अथवा असैद्धान्तिक राजनैतिक अवसरवाद में पड़ने के लिये आवश्यक है।

मैं सर्वप्रथम यह बता दूं कि मुझे राज्यों के भाषावार पुनर्गठन का समर्थन करने में तनिक भी संकोच नहीं है। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन ने इसका समर्थन किया है। फिर मुझे क्यों शर्मिन्दा होना चाहिये। शर्मिन्दा तो उन्हें होना चाहिये जो इस सिद्धान्त के विरोधी हैं। परन्तु वे कहते हैं कि उस समय इसकी आवश्यकता थी ताकि अंग्रेजी शिक्षा से जो मानसिक दासता की भावना उत्पन्न हो गई थी उसको समाप्त किया जा सकता। अब वैसी बात नहीं रह गई है क्योंकि हम स्वतन्त्र हो गये हैं। परन्तु मैं पूछता हूं कि क्या हमने भाषावार विभाजन का समर्थन इस आधार पर किया था? नेहरू-रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि राज्य को अपना दैनिक कार्य अपनी भाषा में करना है तो उसे भाषावार क्षेत्र होना चाहिये। यदि उसमें बहुत सी भाषायें बोली जाती होंगी तो सदा कठिनाइयां उत्पन्न होती रहेंगी। वास्तव में एक

†मूल अंग्रेजी में

भाषा के साथ एक विशेष संस्कृति, परम्परायें और साहित्य रहते हैं। एक भाषावार क्षेत्र में ये सब तत्व मिलकर राज्य की व सामान्य उन्नति में सहायक होंगे।

इसमें मानसिक दासता का प्रश्न ही नहीं है दृष्टिकोण स्पष्ट है कि राज्य को अपनी ही भाषा के माध्यम से काम करना चाहिये और उसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिये। भाषायें विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिये भाषावार पुनर्गठन राज्यों की सामान्य प्रगति में सहायक होगा।

क्या उस रिपोर्ट का एक भी शब्द आज गतकाल हो गया है? क्या यह आज भी आवश्यक नहीं है कि लोग अपनी भाषा के माध्यम द्वारा राज्य के प्रशासनकार्य में भाग ले सकें? जो भाषा वे समझते नहीं उसमें वे कैसे कार्य कर सकते हैं? यदि आप द्विभाषी या बहुभाषी राज्य रखेंगे तो यह कैसे संभव होगा। या तो अंग्रेजी का बोलबाला बना रहेगा या एक भाषा दूसरी भाषा पर लाद दी जायेगी। फिर शर्मिन्दा किस को होना चाहिये हमें या उनको जो अपने पुराने वचन को भुला रहे हैं? फिर भी जनता अपने मार्ग पर दृढ़ है। भाषावार पुनर्गठन की सार्वजनिक मांग की पूर्ति करने में अपने को असमर्थ पाकर अब श्री नेहरू, पंडित पंत और श्री एस० के० पाटिल आदि नेता राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने लगे हैं।

पिछले प्रस्ताव पर विचार के समय जब यह प्रश्न उठाया गया था कि आंध्र-तेलंगाना को आन्ध्र-प्रदेश कहा जाय अथवा आन्ध्र प्रदेश तो पंडित पंत ने कहा था कि वह कुछ भी हो सकता है परन्तु 'परदेश' नहीं।

पंतजी की इस बात को तो हंसी में टाला जा सकता है, परन्तु श्री पाटिल और श्री नेहरू ने जो बातें कहीं उनको हंसी में नहीं टाला जा सकता। श्री पाटिल ने कहा कि 'लोग कहते हैं कि यह क्षेत्र इनका है, वह क्षेत्र उनका है। परन्तु भारत का कुछ भी नहीं है'।

श्री जवाहरलाल नेहरू ने बंगाल में खड़गपुर में नवयुवकों की सभा में बोलते हुये कुछ अधिक अच्छे शब्दों में भारत की एकता की भावना की आवश्यकता पर जोर दिया था जो एक तरह से बंगाल में चल रहे विरोधी आन्दोलन पर आक्षेप था। तात्पर्य यह था कि वह आन्दोलन राष्ट्र-विरोधी है। यह शब्द मिदनापुर जिले में कहे गये जहां कि हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्मरण रहे यह आक्षेप केवल बंगालियों के विरुद्ध ही नहीं वरन् उन सभी लोगों के विरुद्ध है जो भारत का भाषावार पुनर्विभाजन चाहते हैं। क्या ऐसे प्रदेश की इच्छा करना, जिसमें अपनी भाषा के माध्यम से शासन हो, देश द्रोह है?

संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न राज्य हैं। उनके भिन्न-भिन्न संविधान हैं। एक राज्य का नागरिक संघ का नागरिक भी है। क्या किसी ने कभी यह भी कहा है कि अमेरिकावासी राष्ट्र विरोधी हैं? रूस में प्रत्येक गणराज्य अपनी सेना रखता है और उन्हें विदेशी सम्बन्ध रखने का अधिकार भी है।

पिछले दिन मैं मास्को से एक रेडियो समाचार सुन रहा था जिसमें एक लटेवियन ने अपने को मास्को में अतिथि बताया। फिर भी रूसियों की एकता में कौन संदेह करेगा। बल्कि इतनी दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अपन को ही ले लीजिये। अंग्रेजों के साथ हम सबने—बंगालियों, बिहारियों आदि अनेक जातियों ने मिलकार संघर्ष किया। निस्संदेह हम अपनी भूमि में बंगाल, बिहार आदि से प्रेम करते थे। हम बंगाली अपने रवीन्द्र नाथ, देशबन्धु आदि का गर्व करते थे। परन्तु जब हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया तो हमने यह कभी नहीं सोचा कि हम समस्त देश के लिये नहीं लड़ रहे हैं बल्कि कवल बंगाल के लिये ही लड़ रहे हैं। क्या ये महानुभाव जो हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं

[श्री साधन गुप्त]

यह नहीं समझते कि हमारा राष्ट्रीय गान—बन्दे-मातरम् कैसे लिखा गया था ? क्या वे यह नहीं समझते कि जलियान वाला बाग में अंग्रेजों की गोलियों से जो लोग मारे गये थे उन्होंने अपने देश के लिये प्राण दे दिये यद्यपि वे अपने प्रदेश पंजाब से प्रेम करते थे ?

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि हमें अपने देश से कोई प्रेम नहीं है। मैं तो बल्कि यह समझता हूं कि जिन राज्यों में अनेक भाषायें होती हैं वहां के व्यक्ति अपने राज्य के प्रति उतनी निष्ठा नहीं रखते जितनी एक भाषा-भाषी राज्य के लोग रखते हैं ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में भी यही कहा गया है कि अनेक भाषाओं के होने से जनता को अपनी-अपनी भाषा से स्नेह होता है जैसे बम्बई में मराठी और गुजराती दोनों विद्यमान होने के कारण लोगों को बम्बई प्रान्त से कोई प्रेम न हो कर केवल अपने क्षेत्रों से ही प्रेम रहा है।

अनेक भाषा के सिद्धान्त को लेकर पश्चिमी बंगाल और बिहार को मिलाने की चर्चा की जा रही है किन्तु इससे निष्ठा पैदा होने के बजाय कलह पैदा होगा। प्रत्येक क्षेत्र अपने राजस्व को अपने यहां व्यय करना चाहेगा। बिहारियों और बंगालियों में अभी से तू तू-मैं मैं चल रही है। कुछ लोगों समझते हैं कि बंगाली शरणार्थियों को बिहार में बसाने के लिये स्थान मिल जायेगा किन्तु वे इस बात को नहीं जानते कि वहां की जमीन वहां के लोगों के लिये ही थोड़ी है और वे लोग पेट भरने के लिये रिक्शा चलाते हैं। दूसरी ओर बिहारियों को यह समझाया गया है कि उन्हें कलकत्ते में अधिक रोज़गार प्राप्त हो सकेंगे। यह भी ठीक नहीं है। कलकत्ते में पहले ही बिहारियों की कमी नहीं है। हजारों लोग रोज़गार के लिये घूमते रहते हैं। अतः इन दोनों राज्यों के एकीकरण से जनसाधारण को कोई लाभ नहीं होगा। इस सारे कार्य के पीछे जो रहस्य है वह यह है कि बिड़ला जैसे अनेक पूंजीपति अपना उद्योग बिहार में भी फैलाना चाहते हैं और इसीलिये यह चर्चा की जा रही है। परन्तु, प्रजातंत्र में ऐसी बातों का स्वागत नहीं किया जायेगा। जब से यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ है तब से कांग्रेस प्रत्येक नगरपालिका के चुनाव में हारती चली जा रही है ।

मैं कहता हूं कि बंगाल की विधान-सभा में यदि साम्यवादियों की बात पर कोई विश्वास न भी करे तो कांग्रेस सदस्यों का ही स्वतंत्र मत ले लिया जाये और उसके बाद सब लोगों को भलीभांति विदित हो जायेगा कि वहां इस एकीकरण के प्रति कितना असन्तोष है। मैंने इस प्रकार का एकीकरण कभी नहीं सुना जिसमें विधान सभायें अलग हों, मंत्रीमण्डल अलग हों और सभी काम अलग हों। वे लोग राष्ट्रीयता का नाम ले रहे थे। क्या इसे ही राष्ट्रीयता कहते हैं ?

मेरा सुझाव तो यह है कि जो बंगला-भाषी क्षेत्र हैं वे बंगाल में मिला दिये जायें। इस विषय में इस तर्क को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये कि यदि बिहार का कुछ क्षेत्र बंगाल में मिला दिया गया तो बिहार में टाटा उद्योग को पर्याप्त जल नहीं मिल सकेगा।

अब मैं बम्बई के प्रश्न को लेता हूं। श्री पाटिल ने यह कहा है महाराष्ट्र नहीं बल्कि समस्त देश ही बम्बई का पृष्ठदेश (हिंटर लैण्ड) है। परन्तु इसे कोई तर्क नहीं कहा जा सकता। जब अन्य राज्यों को वृहत् बनाया जा रहा है तो फिर महाराष्ट्र के साथ अन्याय क्यों किया जाये ? बम्बई के आस-पास सैंकड़ों मील तक महाराष्ट्र प्रदेश है अतः बम्बई को उसमें मिलाये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार पंजाब के लिये भी मेरी यह धारणा है कि प्रादेशिक समितियों आदि का उपबन्ध करके वहां झगड़े के बीज बोये गये हैं। मैं ऐसी समितियों की कोई आवश्यकता नहीं समझता ।

अब मैं केन्द्र शासित क्षेत्रों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस विषय में मेरा मत यह है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर आदि क्षेत्रों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अधिकार दिया जाना चाहिये। मनीपुर में पहले ऐसी व्यवस्था विद्यमान थी किन्तु उसके दुर्भाग्य से उस पर केन्द्र ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। वस्तुतः हम अपने देश के लगभग १ करोड़ लोगों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था से वंचित रख रहे हैं। यह तो वैसी ही व्यवस्था है जैसी अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने बलोचिस्तान का शासन चलाने के लिये अपनाई थी।

इसके बाद भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना पुनर्गठित राज्यों का प्रथम कर्तव्य है उनको अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये। आसाम, बंगाल और बिहार में यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। वहां पर दूसरे राज्यों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अतः ऐसे अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में विधेयक में कोई निश्चित उपबन्ध किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि ऐसे अल्पसंख्यकों को माध्यमिक स्तर तक अपनी भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि वे अपना निर्वाह करने योग्य बन सकें। मुझे आशा है कि इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जायगा।

अंत में मुझे केवल इतना और कहना है कि विभिन्न राज्यों में जो विधान परिषदें हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिये। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सारा काम केवल विधान सभाओं से चल सकता है। उनका निर्माण अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिये किया था। कांग्रेस को चाहिये कि वह उन्हें समाप्त कर दे।

†**श्री केशव आय्यंगार** (बंगलौर उत्तर) : राज्य पुनर्गठन विधेयक की चर्चा में मैसूर के बहुत कम सदस्यों ने भाग लिया है। कुछ लोगों ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनके लिये मेरा निवेदन है कि वे संयुक्त समिति को विचार के हेतु अवश्य दिये जायें।

प्रस्तुत विधेयक में अनेक उपबन्ध प्रशंसनीय हैं। भाग क, ख और ग राज्यों का भेद दूर करके सबको समान श्रेणी में रखना बड़ा सुन्दर कार्य है। दूसरी बात जिसका मैं स्वागत करता हूं, वह राजप्रमुख पद का समाप्त किया जाना है। मैं चाहता हूं कि असैनिक सेवाओं में जो आई० सी० एस० व्यक्ति हैं उनको भी यथाशक्ति कम किया जाय। वे भी अपने आपको जनता के सेवक के बजाय अधीश्वर समझते हैं।

विधेयक के खण्ड २२ पर मुझे कुछ आपत्ति है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि मैसूर, राजस्थान और केरल के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में कमी का उपबन्ध क्यों किया गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि न्यायालयों में आमदनी कम है किन्तु यह एक असमानता का चिन्ह है। अन्य न्यायाधीशों की तुलना में उनकी स्थिति हीन बना दी गई है। एक ओर तो न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरण का उपबन्ध किया जा रहा है और दूसरी ओर वेतनों में कमी का यह उपबन्ध किया जा रहा है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि यह पक्षपात दूर किया जाय। मैसूर तथा अन्य न्यायालयों में बड़े-बड़े योग्य न्यायाधीश मौजूद हैं और अन्य न्यायाधीशों के समान उनका भी आदर किया जाना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने मैसूर विधान-सभा के बारे में जो कटाक्ष किया है उसमें कोई सत्यता नहीं है। जब अन्य राज्यों ने दक्षिण प्रदेश बनाने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की तो मैसूर सभा के इस संकल्प में अनुचित बात क्या थी कि जब कभी संभव होगा तब वे दक्षिण प्रदेश बनायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री केशव आय्यंगार]

दूसरा संकल्प जो वहां की सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है वह यह है कि वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् सदस्यों तथा विधान-सभा के सदस्यों की संख्या का अनुपात बढ़ाया जाये क्योंकि वह राज्य अब बड़ा हो गया है। मैं समझता हूं कि वहां के संसद् सदस्यों और विधान-सभा के सदस्यों का अनुपात १ और ९ होना चाहिये।

जहां तक वहां की अन्तरिम विधान-सभा का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि जो कुर्ग के २४ सदस्य हैं उनकी संख्या उतनी ही रखी जाय। मैसूर सभा वहां के सदस्यों की संख्या कम करना चाहती है किन्तु मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अन्तरिम सभायें कुछ दिनों ही तो काम करेंगी अतः उनमें कोई काट-छांट नहीं होनी चाहिये और अजमेर आदि अन्य स्थानों के बारे में भी यही नीति अपनाई जानी चाहिये।

अन्त में मुझे एक बात और कहनी है। मेरे पूर्ववक्ता ने यह दलील दी है कि राज्यों की विधान परिषदें हटायी जानी चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि केन्द्रीय संसद् के लिये राज्य-सभा अनिवार्य है तो यही सिद्धान्त राज्यों पर भी लागू होता है अतः उन्हें यथावत् बनाये रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री सी० के० नायर** (बाह्य दिल्ली) : इस लोक-सभा में दो विधेयक एक साथ पुरःस्थापित किये गये थे। उनमें से एक विधेयक तो संयुक्त समिति को सौंपा ही जा चुका है, और अब दूसरे को भी संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव है। पहले विधेयक के द्वारा तो दिल्ली राज्य को हटा दिया गया है, और अब इस दूसरे—संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—द्वारा दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिल्कुल ही समाप्त किया जा रहा है। इन विधेयकों में दिल्ली के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। हकीम अजमल खां, डा० अन्सारी, श्री आसफ अली, श्री देशबन्धु और स्वामी श्रद्धानन्द जैसे नेताओं की आत्मायें क्या कहेंगी? वे दिल्ली की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिये जीवन भर संघर्ष करते रहे थे।

पहले विधेयक द्वारा दिल्ली को केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों में रख दिया गया है। भाग 'ग' में के राज्यों की समाप्ति तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्रात्मक अधिकार तो कायम रहने ही चाहिये। पेरिस जैसे एकीय प्रशासन व्यवस्था वाले नगर में भी जनता को लोकतंत्रात्मक अधिकार प्राप्त हैं। दिल्ली की तुलना वाशिंगटन और कैनबैरा नगरों से करना गलत है, क्योंकि वे औपनिवेशिक देशों में राजधानी क नगर थे। दिल्ली तो एक प्राचीन शहर है और वह सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से देश के प्रमुख नगरों में से एक है।

दिल्ली राज्य भाग 'ग' में का राज्य है। संविधान के अनुच्छेद २३९ और २४० में भाग 'ग' में के राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निश्चित किया गया है। इस विधेयक में इन दोनों अनुच्छेदों को एक प्रतिगामी ढंग से संशोधित किया जा रहा है। मूल संविधान में तो यह उपबन्ध है कि भाग 'ग' में के राज्य में एक विधान मण्डल रहेगा, या परामर्शदाताओं या मंत्रियों की एक परिषद् रहेगी। लेकिन, अब उसे संशोधित करके, राष्ट्रपति को ही संघीय प्रदेशों के प्रशासन का दायित्व दिया जा रहा है। यह बहुत ही अनुचित बात है और संसद् को इस पर विचार करना चाहिये। राज्य पुनर्गठन विधेयक के प्रस्तावित प्रारूप में भी राष्ट्रपति के दायित्व को इतना सीमित किया गया था कि वह जहां भी उपयुक्त समझे एक मुख्य आयुक्त के जरिये प्रशासन चलाये। इस संशोधन में तो वह सीमा भी हटा दी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली के प्रशासन के सम्बन्ध में तो लोक-सभा की शक्ति भी कम की जा रही है। सारा प्रशासनकार्य राष्ट्रपति स्वयं करेगा।

†मूल अंग्रेजी में

तब, दिल्ली का प्रशासन कैसे किया जायेगा ? संशोधन के अनुसार, अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त के लिये परामर्शदाताओं की एक परिषद् नियुक्त की जायेगी । इसका अर्थ यह है कि हमें फिर से मुख्य आयुक्त की नौकरशाहाना शासन के बुरे दिन देखने पड़ेंगे । संसद् सदस्य उसके प्रशासन में सीधे-सीधे कोई भी भाग नहीं ले सकेंगे । संविधान में प्रत्येक राज्य को लोकतंत्रात्मक अधिकारों का आश्वासन दिया गया है, पर दिल्ली को उनसे बंचित किया जा रहा है संसद् दिल्ली की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं देती है । संसद् के प्रत्येक सदस्य को इस सम्बन्ध में सोचना चाहिये ।

दिल्ली की प्राचीन वैभवशाली नगरी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिये । दिल्ली की बीस लाख जनता को भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित होने का अधिकार दिया जाना चाहिये । उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किये गये सभी अधिकार मिलने चाहिये ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली और बम्बई के साथ एक समान बर्ताव किया जा रहा है । मुझे बम्बई से भी हमदर्दी है । अण्डमान, निकोबार और लक्क द्वीप के केन्द्र द्वारा प्रशासित होने को तो मैं ठीक समझता हूं, क्योंकि वे समुद्र के बीचोंबीच छोटे-छोटे से उपनिवेश हैं । वहां एक कठोर नौकरशाही प्रशासन रखना ही ठीक है । परन्तु अन्य तीन या चार क्षेत्रों का क्या होगा ? मुझे विश्वास है कि अन्त में मनिपुर और त्रिपुरा को भी कुर्ग और अजमेर आदि की भांति बड़े राज्यों में मिला दिया जायेगा । इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश को भी महापंजाब में मिला दिया जायेगा ।

अभी तक बम्बई को केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों में रखा गया है । पांच वर्ष या इससे कम समय में इसका विलय महाराष्ट्र में कर दिया जायेगा । मैं उन लोगों में से हूं जो बम्बई पर महाराष्ट्र के अधिकार को स्वीकार करते हैं । न जाने लोग कैसे कहते हैं कि बम्बई पर महाराष्ट्र का नहीं बल्कि सारे भारत का अधिकार है । इस प्रकार तो सभी नगरों पर समस्त भारत का ही अधिकार है । बम्बई एक सर्वदेशीय नगर होने के नाते प्रसिद्ध है । महाराष्ट्र में सम्मिलित होने से यह एक प्रान्तीय नगर नहीं बन जायेगा । और इस अन्तर्राष्ट्रीयवाद युग में यह एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर बनेगा। यदि बनारस उत्तर प्रदेश का अंग बन सकता था तो बम्बई को महाराष्ट्र में क्यों सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । अतः मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता था कि बम्बई या तो महाराष्ट्र का अंग बने या किसी द्विभाषी राज्य का ।

संविधान में किये जाने वाले संशोधन के अन्तर्गत दिल्ली में जो नौकरशाही प्रशासन व्यवस्था की जा रही है उससे इसका सर्वनाश हो जायेगा सरकार और संसद् से मेरी प्रार्थना है कि दिल्ली को लोकतंत्र का अधिकार दिया जाना चाहिये । दिल्ली को संसद् के अधिकार क्षेत्र से भी निकाला जा रहा है । राष्ट्रपति स्वयं शासन नहीं कर सकता है । इसके लिये उच्चायुक्त , उप-राज्यपाल या राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहियें । मंत्रणा निकाय का उल्लेख किया गया है । इसकी क्या आवश्यकता है संविधान के अनुच्छेद २३९ और २४० को ही रहने दिया जाये । इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और फिर यह कोई साधारण बात नहीं है । अतः मेरा अनुरोध है कि इन अनच्छेदों २३९ और २४० को वैसे ही रहने दिया जाये ।

"प्रथम अनुसूची के भाग 'ग' में के राज्यों का प्रशासन" शीर्षक के स्थान पर "संघ प्रदेशों का प्रशासन" शीर्ष रखना तो ठीक है परन्तु अन्य बातें ठीक नहीं हैं । अतः ऐसा कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये जिससे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकतन्त्रात्मक प्रशासन की व्यवस्था की जाये । ऐसी व्यवस्था इस समय विद्यमान है परन्तु संविधान में संशोधन करके इसे समाप्त किया जा रहा है । मैं सरकार और संसद् से अपील करता हूं कि इस प्रयत्न को विफल किया जाये ।

मनिपुर एक छोटा सा सीमन्त राज्य है, वहां की स्वतन्त्रताप्रिय जनता को भी वही स्तर दिया जाना चाहिये जो लोकतन्त्रात्मक प्रशासन वाले क्षेत्र का होता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को एक सुझाव देना चाहता हूं। अभी हम जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं उसे संविधान में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो समय पर कोई बंधन नहीं होना चाहिये किन्तु वक्ताओं की संख्या अधिक है और मैंने भाषणों से देखा है कि माननीय सदस्य उन्हीं बातों के बारे में कहते हैं जो उन्होंने राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के समय कहीं थीं। निश्चय ही कुछ सदस्य संवैधानिक बातों पर कुछ कहना चाहते हैं, और साधारणतः समय पर कोई बंधन नहीं होना चाहिये। किन्तु उस विधेयक पर चर्चा के समय हमने प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिये १० मिनट का समय दिया था और वही समय-सीमा हमें यहां भी रखनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में अपवाद अवश्य हो सकते है किन्तु उन्हीं बातों को दुहराया न जाये। इस प्रकार हम उन सदस्यों को भी बोलने का मौका देंगे जिन्हें कि पिछले विधेयक पर चर्चा के समय अवसर नहीं मिल सका था। मैं आशा करता हूं कि यह व्यवस्था सभा को मान्य होगी।

†**श्री एन० एम० लिंगम** (कोयम्बटूर) : मैं बम्बई सम्बन्धी विवाद के बारे में एक पहलू का निर्देश करता हूं। यदि यह मान भी लिया जाये कि बम्बई के बारे में महाराष्ट्र का दावा न्यायोचित है तथापि सभा को इस बात पर विचार करना है कि क्या इस प्रश्न के हल के लिये यह प्रत्यक्ष तरीका ठीक है।

मैं इस सम्बन्ध में एक-दो उदाहरण देता हूं। आज़ाद काश्मीर के बारे में हमारा दावा न्यायोचित है। किन्तु ऐसे मामलों में हमें प्रत्यक्ष तरीके से सहायता नहीं मिलती है। हाल ही में नेकोवाल की घटना हुई जिसमें हमारे १२ सैनिकों को पाकिस्तानी पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। किन्तु तब भी हमने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया। ऐसे कई अधिकार होते हैं जिन्हें हम आक्रमण के ज़रिये साध्य नहीं कर सकते हैं। इसलिये सदन से मेरा अनुरोध है कि वह यह देखे कि बम्बई सम्बन्धी विवाद प्रत्यक्ष विवाद में परिणीत न हो जायें।

माननीय सदस्यों ने हमारे देश के मौजूदा चोटी के नेताओं की सराहना की है। जब देश की जनता की भी उनके सम्बन्ध में धारणा यही है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इस जटिल समस्या को हमारे नेताओं के हाथों में क्यों न छोड़ दिया जाये। जनता इस सभा से विवाद और चर्चा की नहीं वरन् मार्गप्रदर्शन और शक्ति की अपेक्षा रखती है। और इस नाते हम सभी पर एक महान उत्तर-दायित्व है।

मैं इस विधेयक के केवल दो खंडों का निर्देश करूंगा। विधेयक में कहा गया है कि इस सभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ा कर ५२० कर दिया जाना चाहिये। सन् १९५२ में परिसीमन अधि-नियम पारित करते समय इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी और सदस्य संख्या की वृद्धि के पक्ष में अधिकांश सदस्य थे। किन्तु १९५२ में संविधान में संशोधन करके यह निश्चय किया गया था कि सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिये। व्यक्तिगत रूप से मैं सदस्यों की संख्या बढ़ाये जाने के पक्ष में नहीं हूं। इस सम्बन्ध में वृद्धि का समर्थन करने के लिये इंग्लैंड का उल्लेख किया गया है। किन्तु यह विस्मृत किया जाता है कि हमारे यहां राज्यों में विधान-सभाएं और विधान-परिषदें हैं। इस सभा की सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिये सरकार के पास क्या कारण हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। संभवतः इसका एक कारण राज्यों का पुनर्गठन भी हो सकता है। मैं तो यहां तक सुझाव देता हूं कि संघ क्षेत्रों के अतिरिक्त जो राज्य हैं उनके स्थानों को घटा कर संघ क्षेत्रों के समकक्ष किया जाये ताकि सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक न हो।

विधेयक में संघ क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचनों का उपबन्ध नहीं किया गया है। यह बात कुछ खटकनेवाली है क्योंकि इस सभा का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते

†मूल अंग्रेजी में

हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस सभा की प्रतिष्ठा को कायम रखा जाना चाहिये और अप्रत्यक्ष निर्वाचन या नाम निर्देशन या निर्वाचन के किसी अन्य तरीके से इसकी प्रतिष्ठा कम नहीं की जानी चाहिये। मैं इस बात पर बल देता हूं कि संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही चुने जायें ।

खण्ड २० द्वारा भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिये उनकी ही मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा देने के लिये सुविधायें दिये जाने सम्बन्धी जो उपबन्ध किया गया है वह सराहनीय है और मेरा आग्रह है कि अल्पसंख्यकों की अन्य शिकायतों पर भी राष्ट्रपति या उनकी ओर से नियुक्त किये गये किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाये । इस कार्य के लिये राज्यपाल के अनुपयुक्त होने के कारण सब से अच्छा ढंग यह है कि अल्पसंख्यकों सम्बन्धी कार्य के लिये एक आयुक्त नियुक्त किया जाये । परन्तु उसको केवल मातृ-भाषा के ही प्रश्न की नहीं वरन् अन्य बातों की भी जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिये, जिससे कि न केवल उनकी न्यायपूर्ण मागों का ही ध्यान रखा जा सके, वरन् उनकी आधारहीन और कल्पित शिकायतों का पर्दाफाश किया जा सके ।

खण्ड २१ प्रादेशिक (रीजनल) समितियों के सम्बन्ध में है । यह संविधान के अधीन एक नया उपबन्ध है, परन्तु फिर भी समितियों के कार्यों की परिभाषा नहीं की गयी है । मेरा आग्रह है कि उन समितियों को केवल एक निश्चित अवधि के लिये ही नियुक्त किया जाये और उसके बाद संसद् द्वारा समिति के कार्य का सिंहावलोकन किया जाये और उपयुक्त सुधार किये जायें । मैं नहीं चाहता कि ये रीजनल समितियां हमारे संविधान का एक स्थायी अंग बन जायें, क्योंकि हम सभी अपने देश के सामाजिक और आर्थिक एकीकरण के लिये लालायित हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि इसको संविधान में एक स्थायी उपबन्ध न बनाया जाये ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ—मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बड़ी मशकूर हूं जो आपने मुझे पांच मिनट का समय बोलने के लिये दिया है । मैंने पांच मिनट के लिये आपसे प्रार्थना की थी जो कि आपने कृपा करके मुझे दे दिये ।

जहां तक राज्य पुनर्गठन विधेयक का उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में प्रभाव पड़ने का सवाल है, तो हमारा प्रान्त तो जैसे पहले था वैसे ही अब भी रहेगा और वह न तो घटा है और न बढ़ा ही है । परन्तु फिर भी जब हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं का यह मत है कि अपने देश की एकता और संगठन को सुदृढ़ करने के लिये आज छोटे-छोटे राज्यों के बजाय बड़े-बड़े राज्यों का निर्माण किया जाना आवश्यक है और वह भी पोलिटिकल (राजनीतिक) विचारों पर नहीं बल्कि एकानामिक (आर्थिक) आधार पर बनाये जायें, तब उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहने का साहस करती हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश का प्रान्त बहुत ही पिछड़ा हुआ और बैकवर्ड प्राविंस है और यह स्पष्ट है कि केवल कृषि से ही उसकी जो बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, वह हल नहीं हो सकती है और बेकारी और बेरोजगारी की समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिये औद्योगिक विकास किया जाना जरूरी है । औद्योगिक विकास करने के लिये हैवी इंडस्ट्रीज (भारी उद्योग धन्धे) चाहियें और इनके लिये खनिज पदार्थों की आवश्यकतां है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि विन्ध्य प्रदेश, जो कि हमारे प्रान्त से बिलकुल सटा हुआ है और जहां कि खनिज पदार्थ और दूसरे मिनरल रिसोर्सेज (खनिज संसाधन) बहुत पाये जाते हैं, उनको मध्य भारत अभी बहुत समय तक अपने उपयोग में नहीं ला सकता है और वह यूं ही पड़े रहेंगे और बिलकुल बेकार जायेंगे और किसी के काम नहीं आयेंगे, इसलिये यदि आज विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में जोड़ दिया जाय तो दोनों ही प्रान्तों का उसमें बड़ा लाभ होगा । और दोनों ही की इसमें उन्नति होगी, दोनों ही प्रान्तों की जो जनता है उसको रोजगार प्राप्त होगा, जनसमुदाय को काफी रोजगार मिल सकेगा और दोनों ही प्रान्तों की जो बेकवर्डनेस (पिछड़ापन) है वह मिट जायेगी ।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

उत्तर प्रदेश किसी को जबर्दस्ती अपने में मिलाना नहीं चाहता, न कभी वह इसी बात का इच्छुक रहा है। वह किसी प्रान्त के खनिज पदार्थों को छीन कर खुद पाने की इच्छा भी नहीं रखता है। परन्तु ऐसा कहा जाता है, कि जो विन्ध्य प्रदेश के लोग हैं वे स्वयं इस बात के इच्छुक हैं कि उनको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। जो वहां की असेम्बली है उसके काफी सदस्यों ने इस बात की मांग की है कि उनको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय, और यदि यह बात सही है तो उत्तर प्रदेश को इसमें क्या इन्कार हो सकता है ? क्योंकि यह दोनों के हित में है, साथ ही वहां के लोगों के रीति रिवाज और संस्कृति भी उत्तर प्रदेश के समान हैं।

मैं नहीं कहती कि ऐसा हो ही जाय, यदि आज हमारे नेता न चाहते हों, यदि वे इस मत के न हों कि समस्त विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय, तो वह इतना ध्यान जरूर दें कि जो विन्ध्य प्रदेश के वह तीन डिस्ट्रिक्ट्स (जिले) हैं जो कि बघेलखण्ड कहलाते हैं, जहां के लोग इस बात के लिये इच्छुक हैं और विशेषकर यह बात चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय। मैं आपके द्वारा सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) तक केवल यह बात पहुंचाना चाहती हूं कि जब वे इस मसले पर विचार करें तो इस प्रश्न के ऊपर भी ध्यान दें और यदि उचित समझें तो इसके ऊपर कुछ कार्यवाही करन का प्रयत्न करें।

†**श्री बोगावत** (अहमदनगर—दक्षिण) : जिस समय हम संविधान में संशोधन कर रहे हों, उस समय कोई भी बात असैद्धांतिक, अवैधानिक, अलोकतन्त्रात्मक, अस्वाभाविक और अनुचित ढंग से नहीं की जानी चाहिये। इस विधेयक में संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में सात क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ संकेत किये गये हैं। कुछ सदस्य बम्बई और दिल्ली के सम्बन्ध में बोले हैं। मैं बम्बई के सम्बन्ध में बोलूंगा।

बम्बई महाराष्ट्र का ही एक भाग है। परन्तु उसको महाराष्ट्र में मिलाया न जाकर महाराष्ट्र से अलग किया जा रहा है। यदि ऐसा किया गया तो यह अवैधानिक होगा क्योंकि इससे वहां के निवासियों को मताधिकार से वंचित कर दिया जायेगा। सम्पूर्ण महाराष्ट्र और बम्बई में इससे बड़ा रोष फैला हुआ है। यहां तक कि बम्बई के निगम तक ने एक संकल्प स्वीकार किया है। निगम के मेयर ने इसी प्रश्न पर पद त्याग कर दिया है। इस सभा के भी कुछ ही सदस्यों को छोड़कर शेष सभी ने यह विचार प्रगट किया है कि बम्बई को महाराष्ट्र में ही होना चाहिये। इसलिये यदि लोकतन्त्र का मान रखना है, तो निर्णय स्पष्ट है।

वहां हुये सत्याग्रह और अन्य घटनाओं के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर एक आन्दोलन भी चलाया जा रहा है। बच्चे-बच्चे के मुंह पर यही बात है :

"मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे"

महिलायें प्रदर्शनों में भाग ले रही हैं। यह सब कुछ १९४२ की ही तरह हो रहा है। बम्बई ही महाराष्ट्र का मुख्य केन्द्र है। यहां तक कि श्री एस० के० पाटिल ने कहा है कि बम्बई का शामिल न किया जाना महाराष्ट्र का सिर काटना जैसा है। माननीय गृह-कार्य मंत्री को स्थिति का भली प्रकार से ज्ञान है। मुझे आशा है कि पंडित जी० बी० पन्त और श्री जवाहरलाल नेहरू लोकतन्त्र के प्रेमी हैं और वह कभी अन्याय नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि किसी न किसी सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिये। जनता के अधिकार क्यों छीनते हैं ? मेरा अनुरोध है कि शीघ्र ही कोई निर्णय किया जाना चाहिये। मुझे आशा है, संयुक्त समिति लोगों की भावनाओं,उनके अभ्यावेदनों और उनकी अभिव्यक्तियों पर ध्यान देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्रियन बड़े अच्छे लोग हैं। वे देश भक्त हैं और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में बलिदान दिये हैं। यदि आप उनसे मित्रता बढ़ायेंगे, तो वे आपके लिये वह सब कुछ कर गुजरेंगे और आप के लिये जान तक दे देंगे। वे आपकी रक्षा करेंगे। कुछ सदस्यों ने शिवाजी का उल्लेख किया है। वे नहीं जानते कि शिवाजी कितने महान व्यक्ति थे और किस तरह दुर्बलों और स्त्रियों आदि की रक्षा करते थे। द्वेष और घृणा की भावना उत्पन्न हो जाने के कारण, लोग यह सब कुछ भूल गये हैं; नहीं तो ऐसी बातें न कही गई होतीं।

मेरे कुछ अन्य सुझाव भी हैं। महाराष्ट्र विधान-सभा में, संसद् के प्रत्येक स्थान के लिये केवल ६ स्थान रखे गये हैं। मैं चाहता हूं कि यह यदि आठ नहीं, तो कम से कम सात अवश्य होने चाहिये और कुल स्थान २४० की बजाय २८० होने चाहिये।

उच्च न्यायालय के मामले में मेरा सुझाव यह है कि बम्बई और महाराष्ट्र के लिये सांझा न्यायालय होना चाहिये और यह बम्बई में स्थित होना चाहिये।

न्यायाधीशों के वेतनों के बारे में मेरा सुझाव है कि ये ४,००० रुपये की बजाय ३,५०० रुपये, ३,५०० रुपये की बजाय ३,००० रुपये, ३,००० रुपये की बजाय २,५०० रुपये और २,५०० रुपये की बजाय २,००० रुपये होने चाहिये। एक संशोधन द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

सेवा निवृत्त न्यायाधीशों द्वारा वकालत किये जाने के सम्बन्ध में, मैं यह उचित समझता हूं कि उन्हें उस न्यायालय में वकालत न करने दी जाये, जिसमें वे न्यायाधीश रहे थे।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं अपना भाषण उच्च न्यायालयों और उनके न्यायाधीशों के विषय तक सीमित रखना चाहता हूं।

सब से पहले मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरित किये जाने के उपबन्ध का स्वागत करता हूं। यह एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जिन लोगों का न्यायालयों से सम्बन्ध रहा है, वे जानते हैं कि जब कोई नया न्यायाधीश बनाया जाता है, तो कुछ वकील उसका स्वागत करते हैं और कुछ उसे पसन्द नहीं करते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश की भी अपनी-अपनी पसन्द होती है। न्यायिक और प्रशासनिक सेवाओं के मामलों में यह अनुभव किया गया है कि पदाधिकारी को हर तीसरे या चौथे वर्ष स्थानांतरित करना उचित होता है। यदि न्यायाधीश स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहे, तो वकील अपनी राय खुले तौर पर प्रकट नहीं कर सकेगा, इसलिये मुझे हर्ष है कि इस विधेयक में उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने का उपबन्ध किया गया है। अब एक अस्थायी न्यायाधीश एक स्थान से दूसरे को स्थानान्तरित किया जा सकेगा किन्तु वह सेवा निवृत्ति के बाद एक से अधिक न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेगा। इसलिये यह उपबन्ध चुनाव के क्षेत्र को सीमित करता है।

न्यायाधीशों के वेतनों के आप ने दो क्रम रखे हैं—एक ४,००० रुपये और ३,५०० रुपये का और दूसरा ३,००० और २,५०० रुपये का। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीशों के दो वर्ग होंगे और प्रत्येक वर्ग को केवल विशिष्ट क्षेत्र में ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

अब मैं न्यायाधीशों की भर्ती के बारे में कहूंगा स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आप मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल आदि का परामर्श लेना चाहते हैं। इसका उपबन्ध है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिये स्थायी न्यायाधीशों की संख्या निश्चित होती है। किन्तु आप इसे हटा कर यह उपबन्ध कर रहे हैं कि राष्ट्रपति अस्थायी न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं। और उन्हें किसी मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघवाचारी]

इस उपबन्ध के अधीन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बना सकेंगे, जो न्यायाधीश बनने के लिये अर्ह होगा । परिणाम यह होगा कि जिन जिला-न्यायाधीशों और दूसरे लोगों के साथ सरकार पक्षपात करना चाहेगी वे न्यायाधीश बना दिये जायेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि संयुक्त समिति को ध्यानपूर्वक इस मामले पर विचार करना चाहिये ।

अब न्यायाधीशों को साठ वर्ष की आयु पर सेवा निवृत होना पड़ता है । परन्तु आप उपबन्ध करने जा रहे हैं कि वह उसके बाद वकालत कर सकेंगे । इसका कारण यह नहीं कि उनको पेंशन नहीं मिलती । प्रजातन्त्र व्यवस्था के अन्दर प्रत्येक सज्जन की यह भावना होनी चाहिये कि उच्च न्यायालय क न्यायाधीश के पद से निवृत्त होने के पश्चात उसे केवल अपने लिये कुछ धन कमाने की बजाये कुछ और काम करना चाहिये, जिस का समाज को कुछ लाभ हो । ऐसी कोई प्रथा स्थापित की जानी चाहिये कि वे न्यायाधीश या विधि मंत्री के नाते देश की सेवा करें । ऐसे आदर्श वाले कई लोग हो सकते हैं जो अपने अनुभव के द्वारा देश की सेवा करने को तैयार हों । देश में बहुत से न्यायाधिकरण बनते हैं, उनमें ये लोग काम कर सकते हैं । यद्यपि उन्हीं उच्च न्यायालयों में वकालत करने में कोई खराबी नहीं है । परन्तु फिर भी यह भद्दा प्रतीत होता है कि जहां वे न्यायाधीश थे, अब वहीं वकालत करें । इनसे और कई बातें पैदा हो जाती हैं जो न्याय संचालन के लिये लाभदायक नहीं हैं ।

राज्यों की विधान परिषदों की संख्या बढ़ाने का विचार किया जा रहा है । परन्तु यह दूसरे सदन का विचार अवांछनीय है और इस देश के लिये बड़ा महंगा है । इन में पुनरुक्ति और दोहरे काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । दोनों सभाओं में अपनी शक्तियों के ऊपर झगड़ा होता रहता है । जिन लोगों को निर्वाचन में स्थान नहीं मिलता, उनको लाने का यह एक तरीका है । अतः संख्या बढ़ाने से व्यय भी बढ़ेगा । मुझे इस की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती ।

सरकार उच्च न्यायालयों को संघ राज्य क्षेत्र में लाना चाहती है, परिणाम यह होगा कि न्यायाधीशों या कर्मचारियों की नियुक्तियों आदि की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी और राज्य सरकारों का उस में कोई हाथ नहीं होगा । राज्य क्षेत्र से निकाल कर इनको संघ क्षेत्र में ले जाया जा रहा है । चाहे आप का यह इरादा न हो, परन्तु जो यह करना चाहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकेगा ।

तेलंगाना और पंजाब की प्रादेशिक समितियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आन्ध्र में तेलंगाना के विलय की उत्सुकता के कारण उन्होंने सब बातें स्वीकार कर ली हैं । इन समितियों की रचना में राज्य का कोई हाथ नहीं है । यह राज्यों की एक शक्ति छीनना मात्र है । यदि यह एक एकक है तो ठीक है । परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है । इसलिये मैं इस पक्ष में नहीं कि इन समितियों को ये शक्तियां सौंप दी जायें ।

†**श्री शेषगिरि राव** (नंदयाल) : विधेयक के उपबन्धों को दो भागों में रखा जा सकता है । पहला भाग राज्यों के पुनर्गठन और दूसरा भाग प्रशासनीय पुर्नगठन के बारे में है । प्रशासनीय पुनगर्ठन के अन्तर्गत एक ही राज्यपाल की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग, प्रादेशिक समितियां, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरण आदि आते हैं । इनमें से कुछ उपबन्धों का मैं स्वागत करता हूं । किन्तु मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल क्यों होना चाहिये । यह तो ठीक है कि इसमें बचत होगी और आज-कल प्रत्येक बचत के मामले का स्वागत करना चाहिये किन्तु यह देखना है कि क्या इस बचत के साथ-साथ कार्यकुशलता भी बढ़ जायगी अथवा नहीं । इस पर विचार करना है । प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का स्थान बहुत ऊँचा होता है और उसके लिये उच्च स्तर और अनुभवशील व्यक्ति को ही रखा जाता है । किन्तु उसके कार्य बहुत साधारण स हैं । आपात काल के समय ही राज्यपाल

†मूल अंग्रेजी में

की महत्ता प्रतीत होती है । वह उस समय परामर्श देते हैं और प्रशासन का प्रभार सम्भालते हैं । किन्तु जब दो अथवा अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल हों और वहां एक साथ ही संकट आये तो राज्यपाल राज्यों को क्या परामर्श देंगे ।

बहुत से राज्यों में आज कल राज्यपाल सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग लेते हैं । बहुत से राज्यों में एक ही राज्यपाल होने से उनका परामर्श एवं पथप्रदर्शन भी नहीं मिल सकेगा अतः प्रत्येक राज्य के लिये एक ही राज्यपाल होना चाहिये ।

अब मैं प्रादेशिक समितियों की चर्चा करूंगा । निश्चय ही यह ठीक है कि इन प्रादेशीय समितियों का कार्य गड़बड़ी को दूर करना और उस राज्य में विभिन्न दलों में अच्छी भावना बनाये रखना है । क्या यह स्थायी होंगी ? संविधान के अनुच्छेद ३७१ को दूसरा रूप दिया जा रहा है । नया अनुच्छेद पंजाब और आंध्र तेलंगाना के बारे में स्थायी होगा । आन्ध्र तेलंगाना में जब तक दोनों आंध्र और तेलंगाना निवासी एक दूसरे को समझें तब तक परिमाण के लिये प्रादेशिक समिति वहां रहेगी । हो सकता है कि कुछ सिद्धान्तहीन राजनीतिज्ञों के हाथ में रहने से यह प्रादेशिक समिति संविधान के सचारुरूप से चलने वाले कार्य संचालन में गड़-बड़ी उत्पन्न करे । अतः मेरा निवेदन है कि यह बहुत थोड़े समय के लिये अर्थात् ५ अथवा १० वर्षों के लिये होनी चाहिये ।

तीसरी बात अनुच्छेद २६३ के बारे में है । श्री रामस्वामी ने इसका उल्लेख किया है । क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों के बारे में वे एक दूसरा नया खण्ड प्रस्तुत करना चाहते हैं । यदि आप अनुच्छेद २६३ को देखें तो आप को पता चलेगा कि इसके शब्द भी ठीक वही शब्द हैं जो कि राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड २१ के शब्द हैं । अतः मेरा सुझाव यह है कि नया खण्ड रखने की अपेक्षा अनुच्छेद २६३ को निकाल दिया जाय क्योंकि उसकी बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है । इसे नये खण्ड में अनुच्छेद २६३ की सभी बातें ज्यों की त्यों हैं केवल "सामाजिक कार्य" शब्द बढ़ा दिये गये हैं और "झगड़ों" के स्थान पर "राज्य पुनर्गठन के कारण उत्पन्न स्थिति" शब्द रख दिये गये हैं । इसमें कवल शब्दों का ही अन्तर है जब कि उसका आकार वही है । अतः क्षेत्रीय परिषदों की दृष्टि से अनुच्छेद २६३ को निकालना पड़ेगा ।

माननीय गृह-मंत्री ने आज प्रातः कहा था आंध्र की जनता को कोई भी चिन्ता नहीं होगी यदि बेल्लारी मैसूर राज्य म ही बना रहे ।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** मैंने कहा था कि सभी समझदार व्यक्ति ।

†**श्री शेषगिरि राव :** यदि माननीय गृह-कार्य मंत्री आंध्र विधान मंडल के निर्वाचित व्यक्तियों को समझदार नहीं समझते तो आप देखेंगे कि इस बारे में आन्ध्र विधान मंडल ने सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित किया है ।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** वास्तव में वे इसके विरोध में नहीं हैं ।

†**श्री शेषगिरि राव :** संकल्प मौजूद है और इसका निर्वाचन माननीय गृह-कार्य मंत्री पर ही छोड़ता हूं ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने बेल्लारी को आन्ध्र में मिलाने के लिये केवल एक ही आधार पर नहीं अपितु अन्य बहुत से आधारों पर सिफारिश की है । उन में से मुख्य बातें यह हैं कि तुंगभद्रा परियोजना वहां है, वाणिज्य और व्यापार के लिये बेल्लारी आन्ध्र पर निर्भर है, भूगोल की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह आन्ध्र राज्य से अन्य दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक मिला हुआ है । अतः मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण बातों पर फिर से विचार किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई उपनगर) : मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक के द्वारा बम्बई एक संघ राज्य क्षेत्र बनने जा रहा है। यह तो ठीक है बम्बई निवासियों को इससे ठेस लगेगी क्योंकि इस सम्बन्ध में उनका मत नहीं लिया जायगा किन्तु वर्तमान स्थिति में यही सबसे अच्छा हल है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बम्बई द्विभाषी राज्य बनने को था। यह सब से अच्छा हल था। किन्तु कुछ महाराष्ट्र सदस्यों को यह बात पसन्द नहीं आई। मेरा विचार है कि द्विभाषी राज्य में उनका बहुमत होता। इसके अतिरिक्त उन्हें मराठी भाषी राज्य विदर्भ भी मिल जाता। इस प्रकार उन्होंने अपने कल्याण के लिये कार्य किया होता। उन्हें शिकायत का तो कोई मौका नहीं था। जब कि दूसरी जातियां जिन की संख्या कम थी उनकी शिकायत जरुर ठीक थी। महाराष्ट्र वाले बम्बई पर इस प्रकार अधिकार जता रहे हैं मानों यह उनकी सम्पत्ति हो। क्या वे उस नगर के ५६ प्रतिशत नागरिकों के साथ विदेशी जैसा बर्ताव कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरह अलग होने की मांग कर सकते हैं ? मैं तो कहूंगी कि बम्बई न महाराष्ट्र वालों का है और न गुजरात वालों का और न किसी एक अन्य जाति का वह तो राष्ट्र की सभी जातियों का है। बम्बई राज्य सब से अच्छा प्रशासित राज्य माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना वहां बड़ी अच्छी तरह क्रियान्वित हुई है। उससे महाराष्ट्र वालों को ही अधिक लाभ हुआ है किन्तु गुजरात वालों ने कभी यह शिकायत नहीं की है उनके साथ न्याय नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र वाले चाहते हैं कि पूना राजधानी बने। उन्होंने एक अलग विश्वविद्यालय की मांग रखी। किन्तु अब वे कहते हैं कि उनकी संस्कृति बम्बई नगर में है। बम्बई की संस्कृति तो सभी जातियों की संयुक्त संस्कृति है। सभी जातियां कहती हैं कि बम्बई उनका है। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ७७ प्रतिशत विद्यार्थी मराठी भाषी नहीं हैं। अतः इसको एक भाषी राज्य बनाना अन्य जाति वालों के साथ अन्याय करना होगा। महाराष्ट्र वालों को मैं यही सलाह दूंगी कि वे इसे द्विभाषी राज्य के रूप में स्वीकार कर लें। इसी में भला है। स्वतन्त्रता आन्दोलन मे भी बम्बई राज्य आगे रहा है। हमको स्वतन्त्रता मिली। और अब जब स्वतन्त्रता मिल गई है तो उसे भोगने की अपेक्षा हम अलग-अलग होना चाहते हैं।

गुजरातियों में बड़े अच्छे-अच्छे वकील भी हुये हैं। उन्होंने सदैव ही महाराष्ट्रियों की सहायता की है। गत वर्षों में सभी जगह भाई चारे का बर्ताव था। यह बड़े आश्चर्य की बात है अचानक ही वे अन्य जातियों को विदेशी की तरह देखने लगे मानों उनका इस राज्य से कोई सम्बन्ध ही न हो।

महाराष्ट्र वालों से मैं अपील करूंगी कि वे इस समस्या पर विचार करें। यदि वे इतना बड़ा महाराष्ट्र राज्य पाने से सन्तुष्ट नहीं हैं तो कम से कम संघ राज्य क्षेत्र से ही सन्तुष्ट हो जायें और सभी उपबन्ध लाभों को जो कि वहां अन्य सभी जाति वालों को मिलेंगे, प्राप्त करें। अतः मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे विधेयक को इसी रूप में स्वीकार कर लें।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसैन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस कांस्टिट्यूशन (नवां अमेंडमेंट) के २३वें क्लाज में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कांकरेंट लिस्ट को **ऐक्विजिशन एण्ड रिक्विजिशन आफ प्रापर्टी** की हद तक संशोधित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना ह कि हम सभी भारत की एकता पर जोर देते रहे हैं और भाषावार प्रान्तों के बटवारे के कारण जो कुछ डर पैदा हुआ है उस को मिटाने के लिये हम ने इस में एक योजना जोनल कौंसिल की रखी है, और साथ ही साथ इस बात की भावना पर जोर दिया है कि हम ज्यादातर अलग २ टुकड़ों के रूप में न सौंपे बल्कि एक भारत के रूप में ही सोचें। ऐसी सूरत में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी को इस वक्त यह मौका है कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट कांकरेंट लिस्ट तीनों को अच्छी तरह

†मूल अंग्रेजी में

से देखें और रिवाइज करें । सिर्फ इसी बात पर नहीं बल्कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ज्यादा कामयाब बनाने के लिये, विभिन्न स्टेट्स को एक में बांधने के लिये और दूसरे सुधार के कार्य जो हैं, जिन में दिक्कत आती है, उसी तरह की दिक्कत जैसी कि लेंड रिक्विजिशन और ऐक्विजिशन में आती है, उन दिक्कतों को सामने रख कर, इस विधेयक पर विचार करें । इस वक्त समय नहीं है कि मैं विस्तारपूर्वक तमाम बातें हाउस के सामने रख सकूं इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी और हमारे होम मिनिस्टर साहब खास तौर से इस चीज के ऊपर गौर करें कि ऐसे और भी दूसरे विषय हैं जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में अलग-अलग हैं, उन को जहां तक हो सके कांकरेंट लिस्ट में लाने का प्रयत्न किया जाय, और जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं उस में हम से मदद मिलेगी ।

हालांकि में भाषावार प्रान्तों का हामी हूं और मुझे अभी तक कोई दलील ऐसी नहीं बताई गई है जिस के कारण मैं यह सोचूं कि भाषावार प्रान्तों के बटवारे से भारतीय जनता अलग-अलग होती है या भारत के टुकड़े-टुकड़े होते हैं, खुद हमारा यह स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल और कांस्टिट्यूशन एमेंडमेंट बिल इस बात की दलील हैं कि भाषावार प्रान्तों की जीत हुई मैं इस सम्बन्ध में पंजाब के अकाली भाइयों को और वहां के दूसरे निवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, इसलिये कि जब एस० आर० सी० की रिपोर्ट सामने आई तब सबसे ज्यादा खतरा पंजाब में नजर आता था क्योंकि यह एक वार्डर स्टेट है और हर समय यही कहा जाता था कि आखिर वहां पर क्या होगा । लेकिन बम्बई के सम्बन्ध में यह ख्याल भी नहीं था कि वहां इस प्रकार की घटनायें घट जायेंगी । जिन से हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो गये, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के भाइयों ने हिन्दुस्तान के सामने एक रास्ता खोला । अच्छा होता कि उन्हीं लाइन्स के ऊपर बम्बई और गुजरात का भी कुछ फैसला हुआ होता । बम्बई की प्रगति और उस के विकास की तस्वीर हमारे सामने दो ही रूपों में आती है । या तो वह बाई-लिंग्वल स्टेट बने और बम्बई उस की राजधानी हो या फिर बम्बई पर चूंकि महाराष्ट्र का हक है इस लिये उसको महाराष्ट्र के साथ ही जाना चाहिये और मुझे पूरा विश्वास है कि वह महाराष्ट्र के साथ जायेगा । आज मेरी समझ में यह बात हर्गिज नहीं आती कि क्या यह बात समझी नहीं जाती कि अगर सूरत के भाइयों ने और पारसियों ने वहां पर अपना पैसा लगा कर एक छोटे से गांव को बम्बई बनाया है तो महाराष्ट्र और वहां के आसपास के मजदूरों का खून और पसीना वहां की सड़कों और वहां की बड़ी-बड़ी इमारतों में नजर आ रहा है । आज कोई वजह नहीं मालूम होती है कि यह दोनों वहां पर मिल कर क्यों नहीं रह सकते हैं । मुझे यह भी याद है कि महाराष्ट्र के भाइयों ने नान-महाराष्ट्रियन्स को यह आफर दिया कि अगर तुम को महाराष्ट्रियों पर भरोसा नहीं है तो महाराष्ट्र वाले तुम को ब्लैंक चैक देने को तैयार हैं । तुम क्या-क्या सेफगार्डस चाहते हो, उन सब को तुम ले लो, हम यह मामला तय करने को तैयार हैं ।

यहां पर यह बात भी आई थी कि विदर्भ को शामिल करके गुजरात और महाराष्ट्र को मिला दिया जाय । इस के लिये मैं कहता हूं कि इसको गुजराती और महाराष्ट्री भाइयों को मान लेना चाहिये यह ठीक नहीं है कि इस में माइनारिंटी और मैजारिटी का सवाल पैदा किया जाय जब दोनों भाई हमेशा से मिल कर रह रहे हैं तो अब भी वह मिल कर क्यों नहीं रह सकते । इसलिये विदर्भ को मिला कर अगर बाईलिंग्वल स्टेट बना दी जाती है तो कोई हर्ज नहीं है । लेकिन इसको भी नहीं माना गया । अगर हम इस चीज में विश्वास करते हैं कि जनता की आवाज भी कोई चीज हैं तो आप को आवाज़े-खल्क को नक्कारे खुदा समझ कर बम्बई को महाराष्ट्र को देना ही होगा । किसी सूरत में भी आप बम्बई को गुजरात के साथ नहीं मिला सकते ।

अब जो यहां पर यह मांग की गई है कि विन्ध्य प्रदेश को यू० पी० में शामिल किया जाये, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा कहना चाहता हूं । जब एक बार फैसला हो चुका है कि विन्ध्य प्रदेश को मध्य

[पंडित सी० एन० मालवीय]

प्रदेश में मिलाया जायेगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि बार-बार क्यों यह मांग दोहराई जाती है कि इसे उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाये। इस मामले पर विस्तार से बहस हो चुकी है और अब जबकि एक फैसले पर पहुंचा जा चुका है तो फिर दुबारा क्यों उस मसले को खोला जा रहा है। मैं पूछता हूं कि क्या आखिर हम किसी फैसले पर पहुंचेंगे भी ? क्या यह चीज कहीं खत्म होगी भी ?

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ--दक्षिण) बन्धेलखण्ड के लोग खुद आना चाहते हैं।

पंडित सी० एन० मालवीय : जब आप यह कहते हैं कि बन्धेलखण्ड के लोग खुद आना चाहते हैं तो आप से कहता हूं कि आप हिस्टरी को देखिये। अगर आप हिस्टरी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे सैंट्रल इण्डिया एजेंसी में.....

उपाध्यक्ष महोदय : वे खुद आना चाहते हैं या नहीं, इसका फैसला आपस में यहां पर न कर लीजिये।

पंडित सी० एन० मालवीय : अगर वे खुद आना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप से कहता हूं कि आप मध्य प्रदेश को भी यू० पी० में मिला दीजिये और दोनों को मिलाकर एक स्टेट बना दीजिये, इस में मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे डर सिर्फ इतना है कि कहीं आप का शरीर इतना न फैल जाये कि उसके फटने की किसी वक्त नौबत आ जाये। अपनी तरफ से मैं यह कहता हूं कि हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

यह दलील दी गई है कि साहब वहां पर खनिज पदार्थ बहुत हैं। अगर वहां पर खनिज पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में हैं तो मैं आप से पूछता हूं कि वहां के खनिज पदार्थ और आप के यहा के कृषि पदार्थ यह दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की तरह से नहीं हैं कि इनका लाभ ही न उठाया जा सकता हो। इस वास्ते में चाहता हूं कि इन छोटी-छोटी बातों पर अब हमें अपनी शक्ति जाया नहीं करनी चाहिये। अब इन मसलों को तय हुआ हमें समझना चाहिये।

क्योंकि समय बहुत थोड़ा ह इस वास्ते अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूं ? अभी हाई कोर्ट जजेज के बारे में और उनकी तनख्वाह के बारे में बोगावत साहब ने एक तजवीज पेश की जिस से मैं सहमत नहीं हूं।

मैं आज देखता हूं कि सेक्रेटेरियट में बड़े-बड़े अफसरों को चार-चार हजार रुपया माहवार तनख्वाह मिलती है। जब ऐसी बात है तो क्या बजह है कि जजों को कम तनख्वाह दी जाये। उनको भी जो हाइएस्ट तनख्वाह हो सकती है वह मिलनी चाहिये। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको ३,५०० और २,५०० रुपया माहवार तनख्वाह दी जाये जब कि औरों को चार-चार हजार रुपया महावार तनख्वाह दी जाती ह। हां अगर आप सब की तनख्वाहें घटाते हैं तो फिर अगर आप जजों की तनख्वाहें भी घटा दें तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। मैं यह भी चाहता हूं कि जितने भी हाई कोर्टस् के जजेज हैं उन सबकी तनख्वाहें एक जैसी होना चाहियें और इस बिल में स्टेट वाइज तनख्वाहों की जो बात रखी गई है वह नहीं होनी चाहिये।

एक और चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि सिलेक्ट कमिटी इस कानून के अन्दर कोई ऐसी तजवीज रखे जिस से कि जो हाईकोर्ट जजेज हैं और जो रिटायर हो चुके हैं उनको फिर से नौकर न रखा जाये और उनको एक्सटेंशन न दी जाये। इससे न्याय देने के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता है। उनको इस तरह की फिक्र रहती है कि किसी न किसी तरीके से उनको नौकरी मिल जाये जो कि अच्छी बात नहीं है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट कमिटी इस पर भी विचार कर ले

और तनख्वाहों के बारे में किसी तरह का डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये और उनको हाइएस्ट तनख्वाह मिलनी चाहिये ।

अब मुझे माइनोरिटीज के सेफ गार्डस के बारे में कुछ थोड़ासा कहना है । इस बिल में उनके लिये प्राइमरी एजुकेशन तक ही सेफगार्ड की बात रखी गई है, इसको मैं काफी नहीं समझता हूं । माइनोरिटीज को सेफ गार्डस देने के बारे में हमें और आगे बढ़ना चाहिये । मैं चाहता हूं कि यह जो एमेंडिंग बिल रखा गया है इस में और ज्यादा गौर करके कुछ और चीजें माइनोरिटीज के सेफगार्ड के लिये रखनी चाहिये । मैं यह इसलिये कहता हूं कि छोटी-छोटी बातें कभी-कभी बड़ी बन जाती हैं और ऐसी मांगें बाद में जाकर पेश होने लग जाती हैं जिन से कि रियासतों के टुकड़े होते हैं । इस वास्ते यह जो प्राइमरी एजुकेशन की बात रखी गई है इसका कुछ मतलब नहीं है । हमें माइनोरिटीज को तरक्की करने के पूरे-पूरे मौके देने चाहियें ताकि आगे चलकर वे किसी भी कम्पीटीशन में बैठ कर कम्पीट कर सकें । किसी को थोड़ी-सी सेफ गार्डस दे देने से काम नहीं चलता है । हमें चाहिये कि हम उन्हें निर्विघ्न आगे बढ़ने का मौका दें ताकि वे अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर कर सकें । उनकी जितनी भी जायज शिकायतें हैं उनको हमें सुनना चाहिये और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि उनको सैकण्डरी स्टेज तक उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाये । अब मैं उर्दू पर आता हूं ।

मैं यह चाहता हूं कि आप इस भाषा की तरफ भी ध्यान दें । यह भाषा भी हिन्दुस्तान की भाषा है । यह ठीक है कि पाकिस्तान ने अपने यहां इस भाषा को रखा है । आज यह कहा जाता है कि चूंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल भाषा है इस वास्ते हम इसे अपने यहां रख रहे हैं । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि उर्दू भाषा के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है । जिस सक्रिप्ट में यह भाषा लिखी जाती है उसे कई देश समझते हैं और उनमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि कई देश हैं जिन के साथ आप राबता कायम रख सकते हैं । इस वास्ते मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इस तरफ भी खास तौर से ध्यान दिया जाये और जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनके लिये आप को इस भाषा को पढ़ाने का खास इंतिजाम करना चाहिये । साथ ही साथ आप को हर सम्भव कदम उर्दू भाषा को तरक्की देने के लिये उठाना चाहिये ताकि हमें यह कहने में फख्र हो सके कि इस भाषा के विकास में हमने मदद दी है और इसके पनपने में हर प्रकार की सहूलियतें हम ने दी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं और वह है.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब और कुछ कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला—शिमला): मैं संविधान के अध्याय ५ के अन्तर्गत आनेवाले उन मामलों की, जिन का सम्बन्ध उच्च न्यायालय से है, चर्चा करूंगा ।

प्रायः उच्च न्यायालयों की महत्ता पूर्णरूप में नहीं समझी जाती । यदि बाहरी आक्रमणों से हमारी स्वतन्त्रता के परिमाण के लिये प्रतिरक्षा आवश्यक है तो इन उच्च न्यायालयों का महत्व कम नहीं है क्योंकि हमारे नागरिक अधिकारों और नागरिक स्वतन्त्रता के ये गढ़ हैं । जब कभी हमारे नागरिक अधिकारों और नागरिक स्वतन्त्रता पर आघात पहुंचाया जाता है तो नागरिक इन न्यायालयों में जाकर न्याय प्राप्त करते हैं । ये न्याय के स्रोत हैं जिनको कि जनता की विधि और न्याय की दृष्टि से अच्छी सेवा करनी चाहिये । इस विधेयक में उच्च न्यायालयों के बारे में कुछ प्रशंसनीय परिवर्तन करने का उपबन्ध किया गया है । इस विधेयक द्वारा एक यह परिवर्तन करने का विचार है कि उच्च न्यायालयों की संख्या कम हो किन्तु वे बड़े उच्च न्यायालय हों । बड़े उच्च न्यायालयों में अच्छे वकील ही नहीं होंगे अपितु अच्छे न्यायाधीश भी होंगे । अतः वहां अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति आयेंगे । बड़े-बड़े उच्च न्यायालय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टेक चन्द]

जब कभी पूर्वोदाहरण और निर्णयोत्पन्न विधि बनाते हैं तो वे बड़ी सावधानी एवं श्रद्धा के साथ देखे जाते हैं तथा अन्य उच्च न्यायालय उनका अनुसरण करते हैं ।

इस विधेयक में एक बात न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के बारे में कही गई है जो स्वागत करने योग्य है । देश की एकता की दृष्टि से ही नहीं अपितु इसलिये भी यह आवश्यक है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के प्रतिभाशाली न्यायाधीशों को कुछ वर्ष के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज दिया जाय ताकि वे अपनी विद्वत्ता का उपयोग कर सकें और स्थानीय अथवा राज्यीय विधियों को सीख सकें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें । क्योंकि सचिव को अभी एक संदेश पढ़ना है ।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २१ अप्रैल, १६५६ को पारित विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५६ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २७ अप्रैल, १६५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २७४९

पच्चीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

नियम समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २७४९–५९

सरदार हुक्म सिंह ने २५ अप्रैल, १९५६ को सभा-पटल पर रखे गये नियम समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा । चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोक-सभा ने प्रक्रिया नियमों के उन संशोधनों को स्वीकार किया जिन की सिफारिश नियम समिति ने की थी ।

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत २७५९–६९

संयुक्त समिति को राज्य पुनर्गठन विधेयक सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही । चर्चा के पश्चात् प्रस्ताव, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन २७६९–९४

पंडित जी० बी० पन्त ने संयुक्त समिति को संविधान (नवां संशोधन) विधेयक सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

राज्य-सभा से संदेश २७९४

सचिव ने बताया कि उन्हें राज्य-सभा से यह सन्देश प्राप्त हुआ है कि राज्य-सभा को विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५६ के बारे में, जो २१ अप्रैल, १९५६ को लोक-सभा में पारित हुआ था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि––

संयुक्त समिति को संविधान (नवां संशोधन) विधेयक सौंपने के प्रस्ताव, हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक और गर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर और आगे चर्चा ।

M124LSD—190—9-12-57—GIPF